भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

28 वीं वार्षिक रिपोर्ट

28th Annual Report

2009-10

व्यापार वित्त में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

वैश्विक वित्तीय संकट ने न केवल आर्थिक वृद्धि की गति को मन्द किया वरन इसने व्यापार वित्तपोषण के स्रोतों तक पहुँच को भी बाधित किया। परिणामत: वित्तपोषण की लागत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गत वर्ष की तुलना में 3-4 प्रतिशत बढ़ गई जिसने निर्यातकों को प्रतिकूलत: प्रभावित किया। कई सरकारों ने इस संकट के प्रभावों से अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था तथा निर्यात क्षेत्र को बचाने के लिए कई उपाय किए जिनका स्वरूप तथा मात्रा भिन्न-भिन्न रही। इस दृष्टि से सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। (i) बैंकों की तरलता बढ़ाना ताकि व्यापार वित्त सहित नकदी की कमी के दबाव को कम किया जा सके। (ii) निर्यात संवर्द्धन तथा विस्तार कार्यक्रमों के विकास के जरिए देश के निर्यातकों की दीर्घावधि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। संरक्षणवाद के विरूद्ध जी-20 नेताओं की प्रतिबद्धता तथा व्यापार वित्त में आई कमी को पूरा करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदम व्यापार वित्त पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

निर्यात ऋण एजेंसियों पर, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में, फर्मों के लिए व्यापार वित्त जुटाने की बड़ी जिम्मेदारी रही। कुछ देशों में सरकारों ने निर्यात ऋण एजेंसियों के जरिए ही व्यापार वित्त वृद्धि के उपाय किए। कारोबारी सहभागियों के बीच व्यापार तथा व्यापार वित्त बढ़ाने के लिए सूचना का आदान-प्रदान तथा संस्थागत सहयोग दो प्रमुख रणनीतियाँ हैं। हाल ही में संपन्न ब्रिक बैठक के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने ब्राजील, रूस तथा चीन के तीन प्रमुख विकास बैंकों के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ज्ञापन के उद्देश्यों में से एक था परस्पर हित की परियोजनाओं तथा सीमा-पार संव्यवहारों को सहायता पहुँचाने तथा उसके सुगमीकरण के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच दीर्घावधि व्यापक संबंध विकसित करना। व्यापार वित्त को बढ़ावा देने में ऐसे संस्थागत सहयोग संबंधों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे पूर्व एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच सहयोग संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 1996 में भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की भी संकल्पना की गई थी। इस फोरम ने ही सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय साख पत्रों की पुष्टिकरण संबंधी सुविधा पर भी हस्ताक्षर करवाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही फोरम द्वारा एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय निधीयन एजेंसी के सहयोग से एक क्षेत्रीय निर्यात ऋण एजेंसी की स्थापना की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। विश्व स्तर पर ऐसी ही एक व्यवस्था की स्थापना के लिए बैंक ने पहल की जिसकी परिणति अंकटाड के तत्वावधान में एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) की स्थापना के रूप में हुई; जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तेजी से बढ़ रहे व्यापार का सुगमीकरण करना तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विस्तारित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इस सहयोग ज्ञापन से विकासशील देशों को व्यापार लागत में कमी लाने, सीमापार निवेश को बढ़ाने तथा नवोन्मेषी व्यापार के लिए ऋण सुविधा आसानी से सुलभ कराने सहित विशिष्ट बाजारों का विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

बहुपक्षीय / क्षेत्रीय विकास वित्त संस्थाओं को सुविचारित ऋण वृद्धि कार्यक्रमों, नीतिगत सहयोग तथा क्षमता निर्माण पहलों के जरिए क्षेत्र के सदस्य-सरकारों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में पुन: विश्वास जगाने के लिए मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इनमें तकनीकी सहायता/व्यापार वित्त नीति पर परामर्श, वित्त संबंधी सुविधाओं के निर्माण के लिए ऋण तथा व्यापार वित्त संव्यवहारों को सहायता पहुंचाने वाली संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें मजबूत करने के लिए सहयोग आदि प्रमुख हो सकते हैं। विकसित देशों की संस्थाओं को भी विकासशील देशों में सरकारों तथा संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वहां व्यापार वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सके। वैश्विक कानून निर्मात्री संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) आदि को, विशेषकर विकासशील देशों के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं (जो वित्तपोषण करती हैं तथा गारंटियाँ प्रदान करती हैं) को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा विकासशील देशों के लिए आसान नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि रियायती दरों पर व्यापार वित्त को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर विकासशील देशों में बढ़े हुए जोखिम प्रभावों को कम करने के लिए क्षमता सृजन पर जोर दिया जाए तथा व्यापार वित्त के लिए निर्धारित नकदी युक्त बाजार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बी आई एस) द्वारा समुचित मॉडल तैयार कर व्यापार वित्त को बासेल - II के अंतर्गत अलग ढंग से ट्रीट किया जाना चाहिए। विकासशील देशों के बीच भुगतान विलंबों की निगरानी तथा ऋण जोखिम पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वृद्धिशील सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सहयोग सामूहिक रूप से व्यापार वित्तपोषण के लिए न केवल लाभप्रद होगा बल्कि अंतत: यह व्यापार वृद्धि तथा आर्थिक विकास में योगदान करेगा।

विषय-वस्तु

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक वातावरण	7
निदेशकों की रिपोर्ट	24
तुलन-पत्र एवं लाभ / हानि लेखा	45

इस वार्षिक रिपोर्ट की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए कृपया **www.eximbankindia.in** देखिए

निदेशक मंडल

श्री टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(08 अप्रैल, 2010 से)

श्रीमती रवनीत कौर
संयुक्त सचिव (आई एफ)
वित्तीय सेवाएँ विभाग
वित्त मंत्रालय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(01 नवंबर, 2009 - 07 अप्रैल, 2010)

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(31 अक्तूबर, 2009 तक)

डॉ. राहुल खुल्लर
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सुश्री पार्बती सेन व्यास
सचिव (ईआर)
विदेश मंत्रालय

श्री राजिंदर पाल सिंह
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डॉ. कौशिक बसु
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री योगेश अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आई डी बी आई बैंक लिमिटेड

श्री ए. वी. मुरलीधरन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी
निगम लिमिटेड

श्री ओ. पी. भट्ट
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ बडौदा

श्री आलोक कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ इंडिया

गत दशक

(मिलियन रुपये)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	संचयी (2000-2010)	वृद्धि (सीएजीआर)
ऋण												
अनुमोदन	21743	42407	78283	92657	158535	204887	267622	328045	336285	388430	1918893	38%
संवितरण	18964	34529	53203	69575	114352	150389	220760	271587	289327	332485	1555171	37%
ऋण-आस्तियाँ [1]	56443	68260	87736	107751	129104	175931	228862	287767	341564	390357		24%
गारंटियाँ												
अनुमोदित	2118	5450	9328	10792	15887	43264	49978	21994	16184	13580	188575	23%
जारी	1741	4164	7275	5743	16602	21959	16972	20386	10315	3875	109032	9%
गारंटी संविभाग	10740	11273	16133	15769	23727	34023	35360	34556	35401	22736		9%
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	5500	6500	6500	6500	8500	9500	10000	11000	14000	17000		
आरक्षित राशियाँ	10664	12026	13171	14933	16625	17703	18741	21064	24681	28316		
नोट बाँड और डिबेंचर	22915	33158	64902	76701	98972	126727	154230	179273	215786	242894		
जमा राशियाँ [2]	2797	3416	9121	20922	82	454	702	26741	28191	29383		
अन्य उधार राशियाँ	20255	16619	16467	21583	21064	32909	61684	111149	128046	132811		
कुल संसाधन	73981	82734	123189	155192	156922	201401	262439	373006	442017	481446		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	2047	2212	2686	3042	3144	3769	3909	5334	6101	7724	39968	
कर पश्चात लाभ	1541	1712	2066	2292	2579	2707	2994	3330	4774	5135	29130	
केंद्र सरकार को अंतरित/ अंतरणीय निवल लाभ अधिशेष	380	420	450	470	654	868	956	1008	1157	1500	7863	
स्टाफ (संख्या)[3]	154	163	167	190	193	200	212	222	232	232		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1	16.8	18.9		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	37.2	36.9	41.3	46.8	41.9	41.9	40.1	50.8	48.8	49.8		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	13.1	12.8	14.1	14.2	13.5	14.4	14.0	17.5	17.2	18.4		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	2.8	2.8	2.6	2.2	2.0	2.1	1.7	1.7	1.5	1.7		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (मिलियन रुपये)	13.5	14.0	16.3	17.0	16.4	19.2	19.0	24.6	26.9	33.3		

1 वर्ष 1997-98 से प्रभावी ऋण-आस्तियाँ, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि. द्वारा निपटाये गये दावो को घटाकर निवल है तथा 2004-05 से प्रभावी अनर्जक-आस्तियों के लिए प्रावधानों का निवल भी हैं।

2 जमा राशियाँ प्रति पक्षकारों के साथ रखी जमा राशियों / किए गए निवेशों की अनुरूपी निवल राशियाँ हैं जो 2004-05 से 2006-07 वर्षों के लिए हैं।

3 यह एक्जिम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्षीय वक्तव्य

एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पहली बार बैंक के वित्तीय परिणाम पूर्ण जवाबदेही तथा विनम्रता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आर्थिक गतिविधियों में आई भारी मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था, संपूर्ण विकास वृद्धि की दृष्टि से, विकासशील देशों में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है तथा वैश्विक व्यापार में सुधार के अनुरूप, नवंबर 2009 से निर्यातों ने भी गत 13 माह की गिरावट के बाद वृद्धि की प्रवृति प्रदर्शित की है।

भारत की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था के रूप में एक्ज़िम बैंक अपनी विविध वित्तपोषी, परामर्शी एवं सलाहकारी कार्यक्रमों के जरिए भारतीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीयकरण को सहायता पहुँचाने, सुगमीकरण करने तथा संवर्द्धन करने का सक्रिय प्रयास करता है। बैंक प्रौद्योगिकी के दुतरफा अंतरण का भी सुगमीकरण करता है। इसके लिए बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशों से प्रौद्योगिकी के आयात के वित्तपोषण सहित विदेशों में संयुक्त उद्यम, अनुषंगी कंपनी स्थापित करने अथवा विदेशी अधिग्रहण के निवेश के वित्तपोषण आदि में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त हम अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों एवं ग्रासरूट तथा कृषि आधारित उद्यमों में निर्यात क्षमता निर्माण की दिशा में भी कार्य करते हैं।

व्यवसाय पहलें

वर्ष के दौरान बैंक ने 18 देशों को कुल 753.31मिलियन यू एस डॉलर की 22 नई ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं जो भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देंगी। प्रभावी बाजार पहुंच माध्यम के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने की रणनीति के अनुरूप बैंक की वर्तमान में अफ्रीका, एशिया, सी आई एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 94 देशों को शामिल करते हुए 136 ऋण-व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं। जिनके अंतर्गत कुल 4.5 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि उपलब्ध है। हम ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी भौगोलिक पहुंच तथा ऋण की मात्रा बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक के ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम जो कि लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बाजार प्रवेश की एक प्रभावी व्यवस्था है तथा आगत देशों में व्यापार, आर्थिक विकास प्रौद्योगिकी एवं कौशल अंतरण तथा रोजगार सृजन की दिशा में सहायक है, को एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा वर्ष 2010 का ''ट्रेड डेवेलपमेंट अवार्ड'' प्रदान किया गया है।

भारत से परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने में बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 20 देशों में 25 कंपनियों द्वारा प्राप्त संविदाओं की 41परियोजनाओं को बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई है। यह संविदाएं भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को प्राप्त करने तथा उनके निष्पादन की क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। बैंक ने भारत से निर्यातों के संवर्द्धन के लिए विदेशी कंपनियों को 7.2 बिलियन रुपये का क्रेता ऋण भी प्रदान किया है।

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम, अनुषंगियां स्थापित करने या विदेशों में कंपनियों के अधिग्रहण के लिए बैंक ने 18 कंपनियों को उनके विदेशी निवेशों के लिए आंशिक वित्तपोषण सहायता प्रदान की है। विगत वर्षों में बैंक द्वारा 64 देशों में 209 कंपनियों के 259 विदेशी उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। ये उद्यम औद्योगिक तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं सहित उभरते बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।

वर्ष के दौरान जारी दूसरे तथा तीसरे रेग एस बांडों की सफलता ने बैंक में निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करते हुए एक मात्र क्वासी-सोवरेन भारतीय निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में बैंक के महत्त्व को रेखांकित किया है। बाँड निर्गम एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातक कंपनियों को प्रतिस्पर्धी आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व, व्यापक निवेशक आधार तथा अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का लाभ उठाते हुए निवेशकों से विदेशी मुद्रा जुटाता है।

हमने अपने ग्रासरूट व्यवसाय पहल कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण को भी सहायता प्रदान करना जारी रखा है। इसके लिए बैंक अपने विदेशी कार्यालयों तथा संस्थागत संबंधों का प्रभावी उपयोग करते हुए नवोन्मेषी निर्यात विपणन सेवाओं के जरिए ग्रामीण उत्पादों को बाजार पहुँच सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत से ग्रामीण ग्रासरूट उद्यमों की निर्यात उन्मुखता बढ़ाने तथा ग्रामीण नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को निर्यात क्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्यात विकास निधि की स्थापना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रकुल सदस्य देशों में आर्थिक वृद्धि तथा विकास सुनिश्चित करने तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों में क्षमता निर्माण पहलों के संवर्द्धन के लिए हमने बैंगलोर तथा जयपुर में संपन्न क्रमश: 9वें तथा 10वें कॉमनवेल्थ - इंडिया स्मॉल बिजनेस कॉम्पिटीटिवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम में सहभागिता की है।

संभावित देशों तथा क्षेत्रों के बारे में सूचना प्रदान करने की दृष्टि से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों को शामिल करते हुए शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं जिनमें अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वैश्वीकरण: भारत तथा चुनिंदा देशों में संस्थागत सहयोग प्रणाली का विश्लेषण ; अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त एवं मुद्रा : असमान विकास पर लेख; सिक्किम : निर्यात संभाव्यता तथा संभावनाएं; मिजोरम : निर्यात संभाव्यता एवं संभावनाएं; पुष्पोत्पादन : एक क्षेत्रीय अध्ययन ; भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग : विकास के अवसर; भारतीय रत्न एवं आभूषण : एक क्षेत्रीय अध्ययन; तथा एस ए डी सी : भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता पर अध्ययन आदि प्रमुख हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले समकालीन व्यापार एवं वाणिज्यिक विषयों पर चर्चा के योगदान के रूप में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष 2010 के लिए बैंक का 25वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान अंकटाड के महासचिव डॉ. सुपाचई पैनिचपाकड़ी द्वारा ''आर्थिक अभिशासन का पुनर्निर्माण : संपोषी वृद्धि तथा विकास का एजेंडा'' विषय पर दिया गया।

वैश्विक बाजारों की गतिविधियों के बारे में भारतीय कंपनियों को जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से हमारे एक्ज़िमिअस केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर 28 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें देश / क्षेत्र आधारित 15 व्यवसाय अवसर सेमिनारों के अलावा केन्द्र द्वारा अतिलघु तथा लघु उद्यमों की निर्यात क्षमता बढ़ाने, फार्मा तथा हर्बल उद्योगों के लिए निर्यात अवसर, ग्रासरूट उद्यमों का वैश्वीकरण, कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने जैसे विषयों सहित अफ्रीकी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंकों द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर सेमिनार एवं कार्यक्रम शामिल हैं। मध्य यूरोप एवं मध्य एशिया पर भी इसी प्रकार के एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम (ए ई बी एफ) की 15वीं वार्षिक बैठक फुकेट, थाईलैंड में अक्तूबर 2009 में आयोजित की गई। फोरम की संकल्पना तथा स्थापना 1996 में भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा की गई थी। वर्ष 2009 की बैठक की थीम ''वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में एशियाई एक्ज़िम बैंकों का सहयोग'' विषय पर केन्द्रित थी। इस बैठक में सदस्य देशों को वैश्विक वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में संबंधित संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों तथा उपायों से परिचित होने का एक प्रभावी मंच मिला।

दक्षिण-दक्षिण संबंध विकसित करने की दिशा में बैंक ने अफ्रीकी विकास बैंक (ए एफ डी बी) के साथ एक सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जिसमें ए एफ डी बी के क्षेत्रीय सदस्य देशों में परियोजनाओं के संयुक्त वित्तपोषण के लिए व्यवस्था है। इस सहमति ज्ञापन से दोनों देशों के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जा सकेगा तथा परियोजना निर्यात के साथ सामान्यत: जुड़े हुए सीमा पार जोखिमों तथा भुगतान जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही बैंक ने ब्राजील में अप्रैल 2010 में आयोजित ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) देशों के सम्मेलन के अवसर पर चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों / प्रमुखों की उपस्थिति में ब्राज़ील, रूस तथा चीन के तीन प्रमुख विकास बैंकों क्रमश: ब्राजीलियन डेवेलपमेंट बैंक (बी एन डी ई एस), बैंक फॉर डेवेलपमेंट एण्ड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ़ रशिया (वेनेशकोनोम बैंक) तथा चाइना डेवेलपमेंट बैंक के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य समान हितवाली परियोजनाओं तथा सीमा पार संव्यवहारों का वित्तपोषण करना, ब्रिक देशों तथा इनकी संस्थाओं के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाना तथा समग्र रूप से ब्रिक देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए निवेश परियोजनाओं का वित्तपोषण करना शामिल है।

बैंक ने वर्ष के दौरान चंडीगढ़ में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। इससे देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी।

व्यवसाय परिणाम

वर्ष के दौरान हमारा कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा जो बैंक के सशक्त वित्तीय आधार को प्रदर्शित करता है। कुल ऋण मंजूरियाँ 388.4 बिलियन रुपये की रहीं जबकि संवितरण 332.5 बिलियन रुपये के रहे जो गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 16 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। बैंक की ऋण आस्तियाँ गत वर्ष के 14 प्रतिशत से बढ़कर 390.4 बिलियन रुपये हो गईं।

कर पूर्व लाभ गत वर्ष से 26.6 प्रतिशत बढ़कर 7.72 बिलियन रुपये रहा जबकि कर-पश्चात लाभ 5.13 बिलियन रुपये रहा। जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर)18.99 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर रहा, जबकि निवल ऋण आस्तियों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियाँ यथा 31 मार्च, 2010 को घटकर 0.20 प्रतिशत हो गईं। वर्ष के दौरान भारत सरकार से बैंक को 3 बिलियन रुपये की पूंजी प्राप्त हुई जिससे बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर 17 बिलियन रुपये हो गई जो बैंक को भारत सरकार के निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधियों की कुल 202.66 बिलियन रुपये की उधार राशियां जुटाईं जिनमें 130.37 बिलियन रुपये के रुपया संसाधन और 1.61 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य के विदेशी मुद्रा संसाधन थे। यथा 31 मार्च, 2010 को बाँड / वाणिज्यिक पत्र, कंपनी जमाओं को शामिल करते हुए कुल रुपया उधार राशियां 245.8 बिलियन रुपये थीं जबकि बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियां 4.16 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य की थीं।

यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3 (स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी - (स्थिर) तथा फिच ने बी बी बी - (स्थिर) रेटिंग दी है तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी + (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है।

भविष्य में भी हम अपनी वृद्धि की गति बनाए रखेंगे। हम अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने विभिन्न वित्तपोषक कार्यक्रमों तथा परामर्शी एवं सहयोग सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि इसके लिए हमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, निदेशक मंडल, स्टाफ तथा सभी हितधारकों का सहयोग मिलता रहेगा।

संस्थागत संबद्धताएं

व्यापार तथा निवेश के संवर्द्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विकसित बैंक के विशिष्ट तथा अनौपचारिक संस्थागत संबंधों से बैंक के विभिन्न प्रयासों को सहायता मिली है। सी आई आई, फिक्की, एसोचेम, नैसकॉम, फिओ, ई ई पी सी भारत, भारतीय परियोजना निर्यात संवर्द्धन परिषद, इंडो-ई यू चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, अन्य निर्यात संवर्द्धन परिषदें, वाणिज्य मंडल और आर्थिक शोध संस्थाएं बैंक के कार्य में ज्ञान तथा सहायता का एक मूल्यवान स्रोत रही हैं। बैंक को उद्योगों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। डॉ. कौशिक बसु, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग; श्री एन. रवि, सचिव (ईस्ट), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; डॉ. राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; सुश्री पार्बती सेन व्यास, सचिव (आर्थिक संबंध) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री राजिंदर पाल सिंह, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग तथा श्री आलोक के. मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ इंडिया को बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया।

डॉ. अरविंद विरमानी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग; श्री जी. के. पिल्लई, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री एन. रवि, सचिव (ईस्ट), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री एच. एस. पुरी, सचिव (आर्थिक संबंध), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; डॉ. के. सी. चक्रबर्ती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक; तथा डॉ. नागेश कुमार, महानिदेशक, विकासशील देशों के लिए शोध एवं सूचना प्रणाली ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यभार में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका विशेष आभार मानता है।

निदेशक मंडल में मेरे सहयोगी और मैं श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन के प्रति भी विशेष आभार प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बैंक को समग्र मार्गदर्शन, सहयोग एवं दिशा दी जिससे बैंक श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन एवं प्रगति दर्ज कर सका। हम श्रीमती रवनीत कौर, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में भारत सरकार की नामिती के प्रति भी अपना विशेष आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने बीच की अवधि में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

बैंक के स्टाफ़ ने बैंक के लिए सतत समर्पण और शीर्ष स्तर की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। मैं तथा बोर्ड में मेरे सहयोगी बैंक के मिशन को आगे बढ़ाने तथा कारोबार वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके विशेष योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
29 अप्रैल, 2010

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, अप्रैल 2010 के अनुसार वर्ष 2009 में वैश्विक जी डी पी की वृद्धि दर में गत वर्ष की 3.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 0.6 प्रतिशत तक कमी आई है जिसका प्रमुख कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में कमी रहना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां जी डी पी की वास्तविक वृद्धि 2008 के 0.5 प्रतिशत से घटकर 2009 में 3.2 प्रतिशत रही है, वहीं विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह गत वर्ष के 6.1 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत तक रही है।

तथापि वर्ष 2009 के उत्तरार्द्ध में वित्तीय एवं स्थावर संपदा क्षेत्र में लौटे पुन:विश्वास से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई जिसके वर्ष 2010 की पहली छमाही में भी बने रहने की आशा है।

इस उछाल को असाधारण नीतिगत प्रोत्साहनों, उच्च विस्तारक मौद्रिक नीतियों सहित अधिकांश उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में रिकॉर्ड कमी तथा वित्तीय पैकेजों का लाभ मिला। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2010 में 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है तथा इस वृद्धि के वर्ष 2011 तक 4.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि वित्तीय पैकेज तथा इन्वेंटरी चक्रों द्वारा वृद्धि को मिले सकारात्मक प्रभाव के समाप्त होते ही वृद्धि दर में कमी आ सकती है जिसका एक कारण लोगों तथा बैंकिंग क्षेत्र द्वारा विशेषकर उनके तुलन-पत्रों के पुन: प्रबंधन के कारण खर्च में कमी करना है।

विकासशील देशों में वास्तविक जी डी पी के वर्ष 2010 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है तथा सशक्त घरेलू मांग के चलते इसके 2011 में 6.5 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है।

डॉ. सुपाचई पैनिचपाकड़ी, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने 25वें एक्जिम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक अभिभाषण में ''आर्थिक अभिशासन का पुनर्निर्माण : संपोषी वृद्धि तथा विकास का एजेंडा'' विषय पर अपना व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2010 में 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने तथा वर्ष 2011 में इसके 2.4 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसका प्रमुख कारण इन्वेंटरी चक्र में परिवर्तन तथा अमेरिकी उपभोग में अनपेक्षित वृद्धि होना रहा है।

संयुक्त राज्य (यू एस) की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के संकेत मिल रहे हैं। यद्यपि वर्ष 2009 की प्रथम छमाही में उत्पादन में काफी कमी आई तथा बेरोजगारी की दर भी 1980 से अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। तथापि ऐतिहासिक मौद्रिक, वित्तीय तथा राजकोषीय हस्तक्षेपों ने उपभोक्ता व्यय, आवास तथा वित्तीय बाजारों को स्थिर रखने में मदद की जिससे वर्ष 2009 की दूसरी छमाही में वृद्धि को थोड़ी गति मिली। यू एस की अर्थव्यवस्था, जिसमें 2009 में 2.4 प्रतिशत की कमी हुई थी, के वर्ष 2010 में सुधरने तथा 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।

कनाडा की अर्थव्यवस्था भी भारी मंदी के दौर से गुजरने के बाद अब सुधर रही है। औद्योगिक उत्पादन, फुटकर बिक्री तथा बाजार संकेतों से यह पता चलता है कि अब इसमें स्थायित्व आ रहा है। कनाडा की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर के भी वर्ष 2009 के 2.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के बाद वर्ष 2010 में 3.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

यूरो क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि गत वर्ष के 0.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बाह्य मांग में कमी के कारण जर्मनी को

काफी घाटा हुआ किंतु अब विश्व बाजार में सुधार के चलते यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ क्षेत्र के किसी अन्य देश की तुलना में तेजी से सुधर रही हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो फ्रांस को कम मंदी का सामना करना पड़ा जिसका प्रमुख कारण व्यापार में कम खुलापन तथा बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का होना रहा। पश्चिमी यूरो क्षेत्र से बाहर, यू के में भी वृद्धि में वर्ष 2008 के 0.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009 में 4.9 प्रतिशत की कमी आई किंतु वर्ष 2010 में इसमें 1.3 प्रतिशत का सुधार होने का अनुमान है।

जापान में, जी डी पी में वर्ष 2008 के 1.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009 में 5.2 प्रतिशत की और गिरावट आई। टिकाऊ उपभोक्ता सामानों विशेषकर कारों की मांग तथा क्षेत्र की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश गतिविधियों में कमी के चलते विनिर्माण निर्यात प्रभावित हुए। गिरते निवेशक विश्वास, बढ़ती अनिश्चितताओं, कमजोर होते मजदूर बाजार, वित्तीय दशाओं में सख्ती तथा बढ़ते अतिरिक्त क्षमता सृजन के बीच घरेलू मांग में भी कमी आई। वैश्विक बाजारों में सुधार के चलते वर्ष 2010 में वास्तविक जी डी पी वृद्धि के 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

एशियाई क्षेत्र में विकासशील एशिया में वास्तविक जी डी पी वृद्धि 2008 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2009 में 6.6 प्रतिशत रही जो फिर भी उच्च दर कही जा सकती है। भारत तथा चीन में मजबूत वृद्धि के बल पर वर्ष 2010 में इस वृद्धि के बढ़कर 8.7 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के 2009 में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।

विश्व व्यापार में समग्र प्रभाव तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में आए संकट के प्रभाव को परिलक्षित करते हुए अफ्रीका में भी वृद्धि के, वर्ष 2008 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2009 में 2.1 प्रतिशत के न्यून स्तर पर रहने का अनुमान है। तथापि विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ अफ्रीका में भी वृद्धि की दर बढ़ने की आशा है। वैश्विक मंदी का प्रभाव प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका सहित उन अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक पड़ा जो वैश्विक वित्तीय बाजारों से भली प्रकार जुड़ी हुई थीं। इसके बाद इस मंदी ने तेल निर्यातकों (अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया और नाइजीरिया सहित) विनिर्माण निर्यातकों (मोरक्को तथा ट्यूनिशिया) तथा पण्य निर्यातकों (बोत्सवाना) को भी अपनी चपेट में ले लिया। यद्यपि वित्तीय दशाओं तथा पण्य मूल्यों में हाल में आए सुधार के संकेतों से इन अर्थव्यवस्थाओं को सुधरने का मौका मिलेगा तथा वर्ष 2010 तक अफ्रीकी अर्थव्यवस्था के 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियाँ

(बिलियन रुपये)

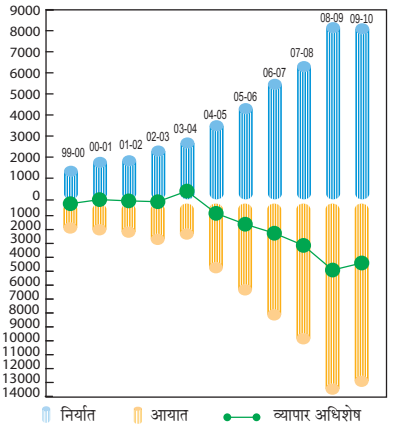

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियाँ

(बिलियन रुपये)

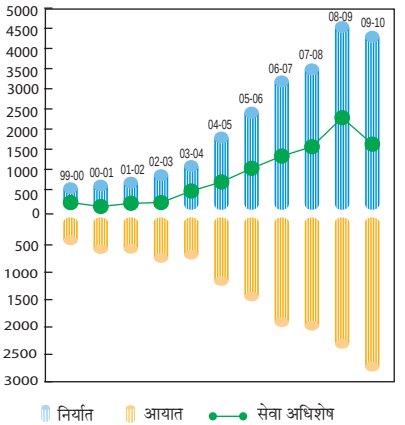

भारतीय एक्जिम बैंक ने ब्राजील, रूस तथा चीन के तीन प्रमुख विकास बैंकों के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ज्ञापन पर ब्रासिलिया, ब्राजील में अन्य ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन) के विकास बैंकों के साथ भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम श्री लूला दा सिल्व्हा, रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री दमित्री मेदवेदेव एवं चीन के राष्ट्रपति महामहिम श्री हू जिंताओ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

मध्य पूर्व क्षेत्र में हाल ही में सुधार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं जिसका कारण विश्व अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तथा तेल की कीमतों में तेजी रहा है। इन अर्थव्यवस्थाओं को भी वैश्विक मंदी का बुरी तरह से सामना करना पड़ा, परिणामत: वृद्धि में तेजी से कमी आई। क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को विशेषकर तेल के मूल्यों में कमी तथा मजदूरों के विप्रेषणों सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी का सामना करना पड़ा। वैश्विक वित्तीय दशाओं में हाल में आए सुधार तथा पण्य मूल्यों में तेजी से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बल मिल रहा है। तद्नुसार क्षेत्र की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर जो 2009 में 2.4 प्रतिशत थी, के बढ़कर वर्ष 2010 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है।

लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्र में भी स्थायित्व तथा सुधार के संकेत मिल रहे हैं जिसका श्रेय विश्व स्तर पर वित्तीय तथा पण्य बाजारों में सुधार सहित सशक्त नीतिगत हस्तक्षेपों को दिया जा सकता है, जिसने न केवल वृद्धि को प्रोत्साहित किया बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बल प्रदान करने के लिए नीतिगत प्रत्युत्तरों की अनुमति दी। परिणामत: क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि, जो वर्ष 2009 में लगभग 1.8 प्रतिशत कम हो गई थी, के वर्ष 2010 में 4.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। यद्यपि वृद्धि की दर सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान नहीं रहेगी तथापि ब्राजील के एशिया के साथ बढ़ते संबंधों तथा इसके बड़े घरेलू बाजारों और निर्यात उत्पादों तथा बाजारों की व्यापक श्रेणी के चलते वर्ष 2010 में 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। जबकि मेक्सिको में यू एस में सुधार के चलते गत वर्ष की 6.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के बदले 2010 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।

स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल (सी आई एस) क्षेत्र भी वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित हुआ है किंतु यह भी इस मंदी से धीरे-धीरे से निकल रहा है। रूसी अर्थव्यवस्था में गिरावट ने क्षेत्र के निम्न आय वाले ऊर्जा आयातकों को कड़े समायोजनों के लिए विवश किया। इनमें से अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात आय तथा विप्रेषणों हेतु मुख्यत: रूस पर निर्भर होने के कारण कुछ देशों में तो घरेलू मांग में काफी कमी आई और कुछ देशों की तो विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुँच बंद हो गई। अधिकांश तेल निर्यातक देश वित्तीय संकट तथा तेल के मूल्यों में आई कमी को तुलनात्मक रूप से बर्दाश्त कर गए क्योंकि उनके पास बड़ा नीतिगत बफर था और वे रूस में आर्थिक गतिविधियों पर कम निर्भर थे। सी आई एस क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2008 के ऋणात्मक 5.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009 में और घटकर 6.6 प्रतिशत रही जिसके वर्ष 2010 में बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। रूस की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर वर्ष 2009 में घटकर 7.9 प्रतिशत रह गई जिसका कारण मूल्यों में कमी तथा पूंजी प्रवाहों का अचानक रूक जाना रहा। इससे नियत निवेशों में गिरावट आई तथा निवेश उत्पादकता एवं वास्तविक मजदूरी में वृद्धि को झटका लगा। तथापि वर्ष 2010 में वास्तविक जी डी पी वृद्धि के 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मध्य एवं पूर्वी यूरोप के उभरते हुए देश पूंजी प्रवाहों में कमी से विशेष रूप से प्रभावित हुए तथा इनकी वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर गत वर्ष के 3.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009 में घटकर 3.7 प्रतिशत रही। इससे बॉल्टिक अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् बुल्गारिया तथा रोमानिया में काफी संकुचन हुआ यद्यपि उदार प्रशासन वाली अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दरों ने इन झटकों को झेलने में मदद की। हाल के महीनों में क्षेत्र में मंदी की गति नाटकीय रूप से कम हुई है जिसका कारण क्षेत्र में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी, निर्यातों में वृद्धि तथा इन्वेंटरी में कमी आना रहा है। यद्यपि निजी ऋणों में अभी भी तेजी नहीं आई है तथा बेरोजगारी भी बढ़ रही है। क्षेत्र द्वारा वर्ष 2010 में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है जिसका कारण कुछ क्षेत्रों अर्थात तुर्की एवं पोलैंड में उत्पादन

एक्ज़िम बैंक द्वारा जांबिया को 50 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान करने संबंधी करार पर हस्ताक्षर करते हुए जांबिया के वित्त एवं राष्ट्रीय आयोजना मंत्री डॉ. सितुमबेको मुसोकोतवाने; इस अवसर पर भारत के उप राष्ट्रपति महामहिम श्री हामिद अंसारी तथा जांबिया के उप राष्ट्रपति महामहिम श्री जार्ज कुन्दा सहित दोनों देशों के मंत्री, संसद सदस्य तथा राजनयिक उपस्थित थे।

लाभों में पर्याप्त वृद्धि होना रहा है। फिर भी सुधारों की गति अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मंद रहने की संभावना है क्योंकि कई अर्थव्यवस्थाओं को अभी सीमा पार पूंजी प्रवाहों के कम रहने के अनुमानों के कारण गंभीर समायोजनों का सामना करना पड़ेगा।

विश्व व्यापार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2010 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार वस्तुओं का वैश्विक निर्यात वर्ष 2009 में 12.3 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष के 15.9 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 22.5 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित करता है। मात्रा की दृष्टि से वस्तुओं की वैश्विक व्यापार वृद्धि में वर्ष 2009 में 11.8 प्रतिशत की गिरावट रही जो कि गत वर्ष की 2.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में है। जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निर्यातों की मात्रा में 13.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई वहीं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी 9.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2008 में 7.5 प्रतिशत के मुकाबले प्राथमिक गैर-ईंधन माल के यू एस डॉलर में विश्व व्यापार मूल्य में वर्ष 2009 में 18.7 प्रतिशत की गिरावट आई। तेल मूल्यों में भी वर्ष 2008 की 36.4 प्रतिशत की तुलना में गिरावट दर्ज की गई तथा यह वर्ष 2009 में 36.3 प्रतिशत रहे। विनिर्माण के विश्व व्यापार मूल्य में भी वर्ष 2008 की 8.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009 में 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2010 के दौरान वैश्विक निर्यातों के बढ़कर 14.3 बिलियन यू एस डॉलर पहुँचने का अनुमान है जिसका कारण वस्तुओं के वैश्विक पण्य मूल्यों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करना रहा है। विश्व का सेवा निर्यात वर्ष 2009 में 3.4 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा जो वर्ष 2008 की तुलना में 12.9 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित करता है। माल तथा सेवाओं के वैश्विक निर्यात की मात्रा में वर्ष 2009 के 10.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है।

एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार 2008 की विजेता डॉ. रमा वासुदेवन, मुंबई में आयोजित एक समारोह में डॉ. दिलीप एम. नाचने, निदेशक, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई से पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी प्रवाह, चालू खाते अधिशेष तथा बाह्य ऋण

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी प्रवाहों में सुधार 2009 में पूरे साल जारी रहा। तथापि वर्ष 2009 में निवल पूंजी प्रवाह 530.8 बिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है जो कि वर्ष 2008 के 588.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में कम है।

वर्ष 2009 में एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूंजी प्रवाह 282.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समग्र प्रवाह का 53.3 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की तुलना में 163.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। लैटिन अमेरिका को भी निवल निजी पूंजी प्रवाहों में वृद्धि हुई है तथा यह वर्ष 2008 के 129.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2009 में 156.6 बिलियन यू एस डॉलर रहे। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूंजी प्रवाहों में यूरोप का हिस्सा वर्ष 2008 के 44.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009 में घटकर मात्र 8.2 प्रतिशत रहा जिसका कुल मूल्य 43.5 बिलियन यू एस डॉलर था। अफ्रीका तथा मध्य पूर्व क्षेत्र में भी निजी पूंजी प्रवाहों में गिरावट आई तथा वे वर्ष 2008 के 88.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2009 में 47.8 बिलियन यू एस डॉलर रहे।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता अधिशेष गत वर्ष की तुलना में 40.5 प्रतिशत की ऋणात्मक गिरावट दिखाते हुए वर्ष 2009 में 351.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा। उभरते एशियाई क्षेत्र में कुल चालू खाता अधिशेष वर्ष 2008 के 435.9 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 33.0 प्रतिशत घटकर वर्ष 2009 में 370.6 बिलियन यू एस डॉलर

भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात का गठन

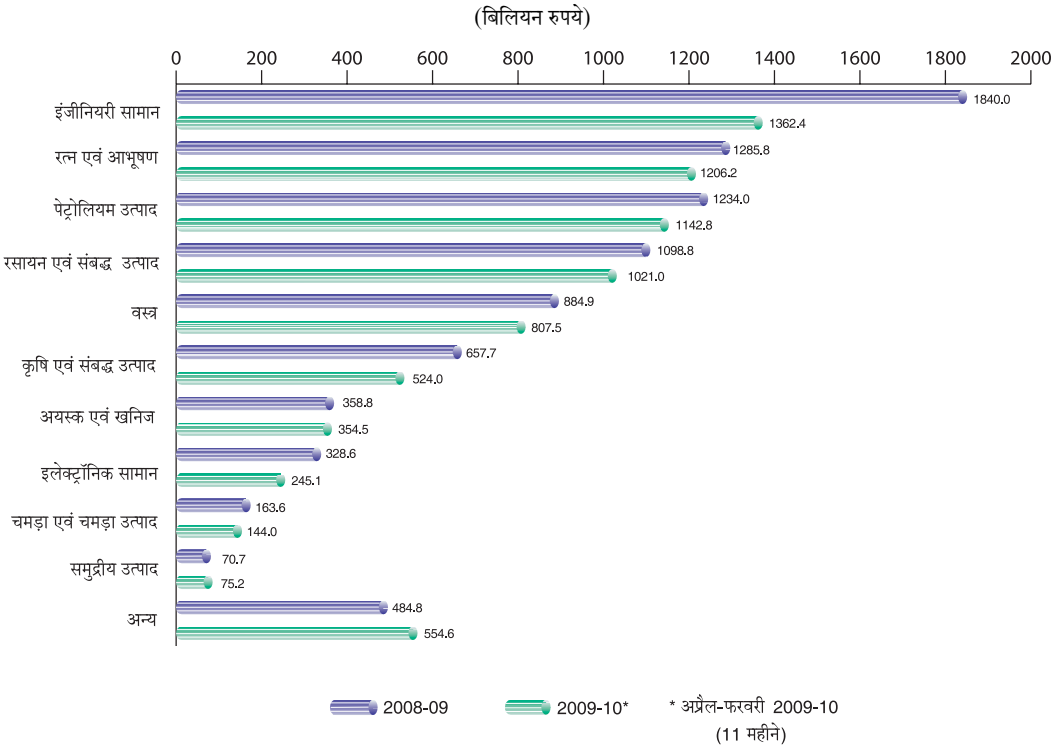

रहा जो कि प्रमुख रूप से चीन के चालू खाते अधिशेष में गिरावट को प्रदर्शित करता है।

उभरते लैटिन अमेरिका का चालू खाते का घाटा बढ़कर गत वर्ष के 12.9 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2009 में 25.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा। अफ्रीका तथा मध्य पूर्व का चालू खाते का अधिशेष भी कम हुआ तथा गत वर्ष के 184.9 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में घटकर वर्ष 2009 में 18.7 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है। तथापि उभरते यूरोप में वर्ष 2009 में चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 16.9 बिलियन यू एस डॉलर के घाटे की तुलना में 25.3 बिलियन यू एस डॉलर के आधिक्य में आ गया जो निर्यातों में तीव्र गिरावट को प्रदर्शित करता है।

उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का बाह्य ऋण माल तथा सेवाओं के निर्यात की तुलना में वर्ष 2008 के 20.6 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2009 में 26.1 प्रतिशत हो गया। मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा सी आई एस क्षेत्र के मामले में भी यह अनुपात बढ़कर क्रमश: 69.9 प्रतिशत तथा 46.9 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 2008 के क्रमश: 52.4 प्रतिशत एवं 38.6 प्रतिशत के मुकाबले में हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए भी यह अनुपात वर्ष 2008 के 9.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2009 में 14.5 प्रतिशत हो गया। उभरते एशियाई क्षेत्र में यह अनुपात वर्ष 2008 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2009 में 11.4 प्रतिशत हो गया। उप सहारीय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में यह अनुपात वर्ष 2009 में बढ़कर क्रमश: 15.0 प्रतिशत एवं 39.4 प्रतिशत रहा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

विश्व आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में आई भारी मंदी, विलंबित एवं कम मानसून तथा विकासशील विश्व में व्याप्त मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि के मामले में अच्छी प्रगति दर्शायी तथा यह विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2009-10 में भारत के जी डी पी की वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वर्ष 2008-09 में दर्ज 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में है। वर्ष 2009-10 में उच्च वृद्धि प्रमुखत: उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई 8 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि के कारण है।

कृषि

कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के वर्ष 2009-10 में गत वर्ष के 1.6 प्रतिशत की तुलना में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्नों, तिलहनों तथा गन्ने के उत्पादन में क्रमश: 8.0 प्रतिशत, 5.0 प्रतिशत तथा 11.8 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट की संभावना है।

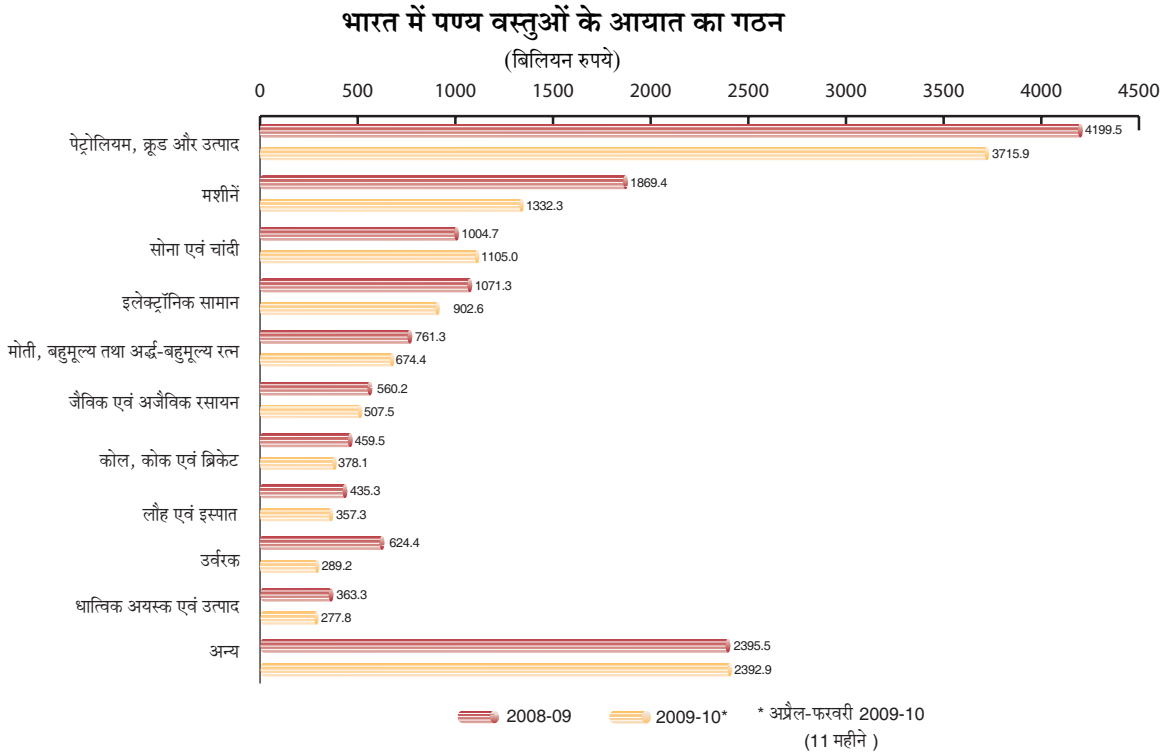

भारत में पण्य वस्तुओं के आयात का गठन

(बिलियन रुपये)

वर्ष 2009-10 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों (केवल खरीफ) के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन 98.83 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो कि वर्ष के लिए निर्धारित 125.15 मिलियन टन लक्ष्य की तुलना में कम है, साथ ही यह वर्ष 2008-09 के लिए चौथे अग्रिम आंकलन (केवल खरीफ) 117.70 मिलियन टन की तुलना में भी कम है। वर्ष 2009-10 में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सा 14.6 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2008-09 में यह 15.7 प्रतिशत था।

उद्योग

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अनुसार उद्योग क्षेत्र, जिसने 2008- 09 में 3.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की थी, ने मुख्यत: विनिर्माण एवं विद्युत तथा गैस एवं जल आपूर्ति जैसे उप-क्षेत्रों में तेजी के कारण 2009-10 में 8.5 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की है। वास्तविक जी डी पी वृद्धि में, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर, जो 2008-09 में 1.6 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में तीव्र होकर 10.6 प्रतिशत रही, का प्रमुख हिस्सा रहा। जबकि विनिर्माण, बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति से उत्पन्न वृद्धि दर का 2008-09 के क्रमश: 3.2 प्रतिशत तथा 3.9 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.8 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत का हिस्सा रहा। निर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2009-10 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि वर्ष 2008-09 में यह 5.9 प्रतिशत थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) 2008-09 की अवधि में दर्ज 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में बढ़कर 10.4 प्रतिशत रहा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में हुई वृद्धि मुख्यत: खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण रही है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार मूल माल क्षेत्र गत वर्ष में 2.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर अप्रैल -जनवरी 2009-10 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। पूंजीगत माल क्षेत्र 2009-10 के दौरान 19.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2008-09 के दौरान यह 7.3 प्रतिशत था। मध्यवर्ती माल क्षेत्र ने भी 2009-10 के दौरान 13.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है, जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान इसमें 1.9 प्रतिशत की मंदी दर्ज की गई थी। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु खंड में वर्ष 2008-09 के 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 में 26.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर गैर टिकाऊ उपभोक्ता खंड में वृद्धि में कमी आई तथा यह वर्ष 2008-09 के 4.8 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में घटकर 1.5 प्रतिशत रही।

विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह औद्योगिक उप- क्षेत्रों में से 2009-10 के दौरान पंद्रह उप -क्षेत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इन पंद्रह उप-क्षेत्रों में परिवहन उपकरण तथा पुर्जे (24.4 प्रतिशत); परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण

(21.0 प्रतिशत); मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पाद एवं पुर्जे (15.6 प्रतिशत), अन्य विनिर्मित उद्योग (10.6 प्रतिशत), रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद (15.3 प्रतिशत); पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर मूल रसायन तथा रसायन उत्पाद (10.3 प्रतिशत); लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद; फर्नीचर एवं फिक्चर (10.1 प्रतिशत); ऊन, सिल्क तथा मानव निर्मित टेक्सटाइल (8.5 प्रतिशत); टेक्सटाइल उत्पाद (परिधान सहित) (8.0 प्रतिशत); गैर-धात्विक खनिज उत्पाद (7.7 प्रतिशत); मूल धातु एवं मिश्र उद्योग (6.4 प्रतिशत); सूती वस्त्र (5.4 प्रतिशत); कागज तथा कागज उत्पाद एवं प्रिंटिंग, प्रकाशन तथा संबंधित उद्योग (3.8 प्रतिशत); चमड़ा एवं चमड़ा तथा फर उत्पाद (2.3 प्रतिशत); पेय, तम्बाकू एवं उससे संबंधित उत्पाद (0.8 प्रतिशत) हैं। वर्ष के दौरान जूट एवं अन्य वेजीटेबल फाइबर (कॉटन को छोड़कर) तथा खाद्य उत्पादों में क्रमश: 24.5 प्रतिशत तथा 1.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

सेवाएं

सेवा क्षेत्र में वृद्धि व्यापक बनी रही। इसमें वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष में दर्ज की गई 9.8 प्रतिशत की तुलना में है। सेवा क्षेत्र के भीतर सकल घरेलू उत्पाद के उप-क्षेत्रों अर्थात् व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार क्षेत्र में 2009-10 की अवधि के दौरान 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2008-09 के दौरान दर्ज 7.6 प्रतिशत की तुलना में है। जबकि वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाओं के उप-क्षेत्र में भी 2008-09 की अवधि के 10.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 9.7 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। जबकि सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाओं में वर्ष 2009-10 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि गत वर्ष की 13.9 प्रतिशत की तुलना में है।

बुनियादी क्षेत्र

छह बुनियादी तथा मूल उद्योगों अर्थात् अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट तथा तैयार इस्पात ने 2009-10 के दौरान 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि गत वर्ष के दौरान यह वृद्धि 3.0 प्रतिशत थी। इन क्षेत्रों में से विशेषकर दो क्षेत्रों सीमेंट उत्पादन, विद्युत तथा कोयला उत्पादन में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। बिजली के उत्पादन में 2008-09 के दौरान 2.7 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। सीमेंट के उत्पादन में वर्ष 2009-10 में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 7.2 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक रही। तैयार इस्पात के उत्पादन में गत वर्ष के 1.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन गत वर्ष के दौरान 3.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 0.4 प्रतिशत रहा जबकि कोयले के उत्पादन में गत वर्ष के 8.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 में 7.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अपरिष्कृत तेल उत्पादन में गत वर्ष के दौरान (-) 1.8 प्रतिशत की सर्वाधिक गिरावट की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि 0.5 प्रतिशत थी।

एक्ज़िम बैंक तथा रूस के सरकारी बैंक 'बैंक फॉर डेवेलपमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन' (वेनेश्कोनोम बैंक), भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री दमित्री मेदवेदेव की उपस्थिति में 100 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित तथा बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर परिकलित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च 2010 को 14.50 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही जो गत वर्ष की इसी अवधि के 5.15 प्रतिशत की तुलना में है। मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्यान्नों विशेषकर गेहूँ, दाल, फल, दूध, गैर खाद्य मदों जैसे तिलहन तथा फाइबर में मूल्य वृद्धि के कारण रही।

पूंजी बाजार

वर्ष 2009-10 में भारत में निवल पोर्टफोलियो निवेश 32.38 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जो 2008-09 के दौरान (-) 13.86 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित करता है। इसका प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) द्वारा निवल निवेश में 2008-09 के दौरान (-)15.02 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2009-10 में 29.05 बिलियन यू एस डॉलर की वृद्धि का होना रहा।

विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन

भारत का निर्यात 2009-10 के दौरान 176.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जबकि गत वर्ष यह 185.3 बिलियन यू एस डॉलर था। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत का आयात 278.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि गत वर्ष यह 303.7 बिलियन यू एस डॉलर था। समग्र रूप में व्यापार घाटा गत वर्ष के 118.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2009-10 के दौरान 102.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। विश्व में आर्थिक गतिविधियों एवं व्यापार में सुधार के अनुरूप भारतीय निर्यातों ने भी नवंबर 2009 से सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जहां तक 2009-10 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत के मुख्य निर्यात की पण्य संरचना का संबंध है, अधिकांश पण्यों ने इस अवधि के दौरान वृद्धि में मंदी दिखाई है। मुख्य निर्यात पण्यों में मिश्र धातुओं में सर्वाधिक 51.6 प्रतिशत की कमी रही। इसके बाद लौह एवं इस्पात (-45.1 प्रतिशत) हथकरघा उत्पाद (-34.8 प्रतिशत); परियोजना माल (-25.1 प्रतिशत) तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान (-22.0 प्रतिशत) की मंदी रही। तेल आयात

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये)

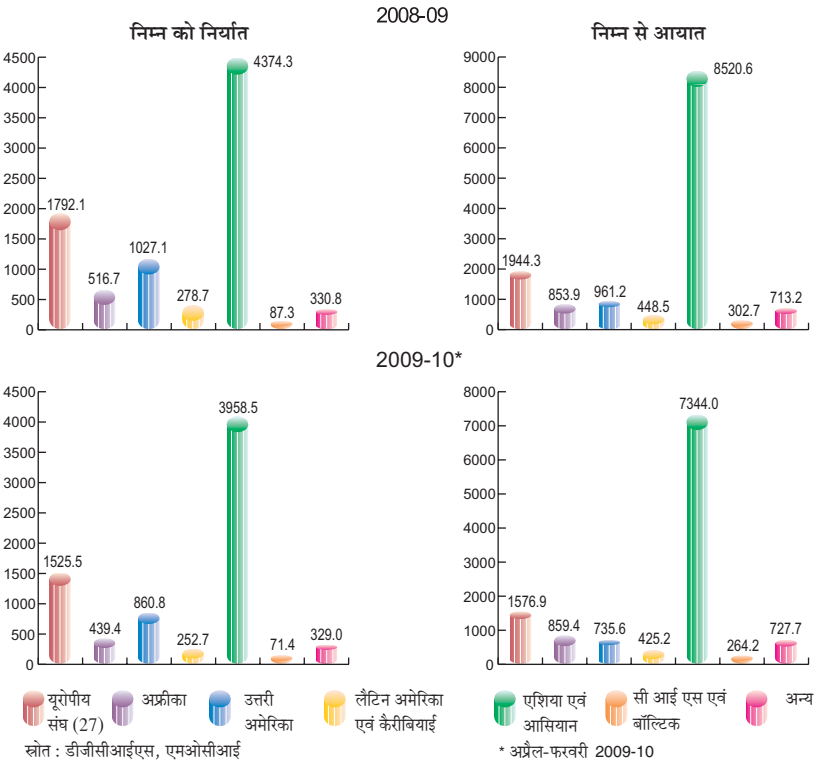

स्रोत : डीजीसीआईएस, एमओसीआई

* अप्रैल-फरवरी 2009-10

वर्ष 2009-10 के दौरान 85.5 बिलियन यू एस डॉलर का रहा जबकि गत वर्ष में यह 93.7 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 8.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2009-10 के दौरान गैर-तेल आयात 193.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष में 210.0 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के आयात स्तर से 8.0 प्रतिशत कम है।

भारत की अदृश्य सेवा मदों का निवल अंतर्वाह 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में दर्ज किए गये 89.9 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 2009-10 की अनुरूपी अवधि में 78.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। व्यवसाय सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और संचार सेवाओं में कमी के कारण सेवाओं का अंतर्वाह गत वर्ष 2008-09 के 49.6 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 2009-10 में 34.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात सेवाओं का कुल मूल्य 93.8 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा, जिसमें से सॉफ्टवेअर सेवाओं का निर्यात 49.7 बिलियन यू एस डॉलर का था। इसी अवधि के दौरान निवल अंतरण 52.1 बिलियन यू एस डॉलर के रहे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 2009-10 में 34.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। वर्ष 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा संपूर्ण अनुषंगियों की स्थापना के लिए 14.3 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के 2,984 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह राशि तथा संख्या क्रमश: 16.4 बिलियन यू एस डॉलर तथा 2,828 थी। वर्ष 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर) अवधि के दौरान विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों की स्थापना के लिए भारत से कुल वास्तविक निवेश 8.4 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो पिछले वर्ष में इसी अवधि के निवेश

12.7 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 34.1 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2009 के अंत में 252.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 279.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। भारत का विदेशी ऋण, जो मार्च 2009 के अंत में 224.5 बिलियन यू एस डॉलर था बढ़कर दिसम्बर 2010 में 261.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। आई एम एफ द्वारा अतिरिक्त एस डी आर के आबंटन, वाणिज्यिक उधारियों, एन आर आई जमा राशियों तथा अल्पावधि व्यापार ऋण के कारण आई एम एफ देयताओं में वृद्धि हुई जिससे मार्च 2009 के अंत में विदेशी ऋण में लगभग 36.9 बिलियन यू एस डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

चुनिंदा क्षेत्रों की संभाव्यता

वस्त्र एवं परिधान

कृषि के बाद वस्त्र एवं परिधान उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय के योगदान के जरिए यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत तथा देश के कुल निर्यात में 10.8 प्रतिशत योगदान करने के साथ-साथ 35 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। भारतीय वस्त्र उद्योग काफी विशाखित है जिसमें हथकरघा क्षेत्र के साथ-साथ पूंजी गहन आधुनिकतम मिल क्षेत्र भी शामिल है। विकेन्द्रित पॉवरलूम / होजरी तथा बुनाई खंड भारतीय वस्त्र उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। वर्तमान मूल्यों पर भारतीय वस्त्र उद्योग लगभग 55 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का अनुमानित है जिसका लगभग दो तिहाई हिस्सा घरेलू मांग को पूरा करने में जाता है।

भारत, जिसका विश्व टेक्सटाइल निर्यात में 4.1 प्रतिशत तथा विश्व वस्त्र निर्यात में 3.0 प्रतिशत हिस्सा है, को इन दोनों क्षेत्रों में ही विश्व स्तर पर वर्ष 2008 में 6वाँ स्थान प्रदान किया गया है। विश्व में व्याप्त मंदी के कारण निर्यातों के मामले में उद्योग का निष्पादन कम हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत से वस्त्र एवं कपड़ों का निर्यात 19.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। जहां तैयार वस्त्रों का निर्यात 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा वहीं सूती यार्न तथा फैब्रिक में (10.6 प्रतिशत) की ऋणात्मक वृद्धि हुई तथा मानव निर्मित कपड़े के निर्यात में (4.1 प्रतिशत) की धीमी वृद्धि दर्ज की गई जिसने उद्योग के समग्र निर्यात वृद्धि को प्रभावित किया। यू एस ए तथा यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण मांग में आई कमी के चलते वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र प्रभावित हुआ है तथा इसके 2009-10 में भी जारी रहने की संभावना है। वस्तुत: 2009-10 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत से वस्त्र एवं परिधान निर्यात में लगभग 3.8 प्रतिशत की कमी आई। यद्यपि भारत के कुल निर्यात में इसका हिस्सा, जिसमें गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की 10.2 प्रतिशत की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसके अच्छे निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

गत वर्षों में वस्त्र एवं परिधान उद्योग कच्चे माल से लेकर वस्त्र निर्माण तक अपनी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में बेहतरीन निष्पादन प्रदर्शित करता रहा है। किंतु पश्चिम, विशेषकर यू एस, में आई मंदी ने इसके विभिन्न उत्पाद खंडों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसका प्रभाव 2009-10 में भी जारी है। इस प्रतिकूल प्रभाव के मध्य पूर्व क्षेत्र विशेषकर यू ए ई तथा यूरोप में आए सुधार तथा मांग में आई तेजी से समंजित हो जाने की आशा है। समग्र रूप में उद्योग के वर्ष 2010-11 में पुन: तेजी पकड़ने की संभावना है।

औषध एवं औषधयां

कुछ समय की मंदी के उपरांत विश्व का औषधि उद्योग पुन: वृद्धि की ओर लौट रहा

माली सरकार को प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्ज़िम बैंक की 45 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादित की जा रही माली तथा कोत-दि-वुआर के बीच 225 के वी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य।

है। आई एम एस हेल्थ के अनुसार वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार जो वर्ष 2008 में 773 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित था के वर्ष 2013 तक 910 से 940 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। तब तक उभरते बाजारों के भी 155 से 185 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। यद्यपि आर्थिक दशाओं ने कुछ देशों के बाजारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है तथापि सात उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, भारत, तुर्की, मेक्सिको, रूस, दक्षिण कोरिया तथा चीन) के वर्ष 2010 में लगभग 12-14 प्रतिशत की दर से तथा अगले पांच वर्षों में 13-16 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। इनमें से चीन के बाजार के 20 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान है तथा 2013 तक समग्र वैश्विक वृद्धि में इसके द्वारा 21 प्रतिशत का योगदान करने का अनुमान है।

वृद्धि की दर उन देशों, विशेषकर रूस, मेक्सिको तथा दक्षिण कोरिया में कम हुई है जहाँ औषधियों पर व्यक्तिगत व्यय तो ज्यादा है किंतु आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। इसके विपरीत उन देशों जैसे जर्मनी, जापान तथा स्पेन में, जहाँ दवाइयों पर खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, वृद्धि दर में उतनी गिरावट नहीं आई है।

भारत औषधि उद्योग क्षेत्र में तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है। भारतीय औषधि उद्योग का आकार 18 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का अनुमानित है, जिसमें से लगभग 5 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का निर्यात किया जाता है। एक आंकलन के अनुसार वैश्विक औषधि बाजार में भारतीय औषधि उद्योग का मात्रा की दृष्टि से 4था तथा मूल्य की दृष्टि से 14वां स्थान है। उद्योग दवाइयों के उत्पादन में आत्म निर्भर है तथा देश की जरूरत की लगभग 70 प्रतिशत थोक दवाओं का विनिर्माण करता है। भारत विश्व में जेनरिक दवाओं का भी एक प्रमुख उत्पादक है।

भारतीय औषधि निर्माता कंपनियाँ इस विश्व व्यापी मंदी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई हैं क्योंकि वे कम लागत पर औषधियाँ बनाती हैं तथा साथ ही उन्होंने जेनरिक औषधि निर्माताओं ने अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ पहले से ही दीर्घावधि संविदाएं कर रखी थीं। यह औषधि उत्पादों के (आई टी सी-एच एस कोड 30) निर्यात आंकड़ों से स्वत: सिद्ध हो गया जो वर्ष 2008-09 के दौरान 22.6 प्रतिशत की सशक्त वृद्धि दर्ज कर 5.1 बिलियन यू एस डॉलर रहे। हालांकि निर्यात वर्ष 2009-10 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 6.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 (अप्रैल-दिसंबर) में 3.94 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष 2009 की इसी अवधि में 3.70 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में है।

गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम उच्च तथा मध्यम वर्ग की बढ़ती जनसंख्या तथा बीमा उत्पादों के विस्तार से बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगें जिससे भविष्य में भारतीय औषधि उद्योग को गति मिलेगी। इसके अलावा महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर, कार्यशील जनसंख्या तथा नए बौद्धिक संपदा अधिकारों से भी उद्योग को अच्छी गति मिलेगी।

बैंगलोर में आयोजित 9वें कॉमनवेल्थ-इंडिया एस एम ई कॉम्पीटिटिवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम 2009 के अवसर पर एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन 'एम एस एम ई तथा वैश्वीकरण : भारत तथा चुनिंदा देशों में संस्थागत सहायता प्रणाली का विश्लेषण' का विमोचन करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम।

ऑटोमोटिव्स

ऑटोमोटिव उद्योग (ऑटोमोबाइल तथा पुर्जे) का निष्पादन हाल के वर्षों में अच्छा रहा है तथा अनुकूल मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला के चलते इसके भविष्य में भी सशक्त वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ऑटोमोटिव उद्योग धीरे-धीरे अपनी संभाव्यता को पहचान रहा है जो कि इसके विभिन्न खंडों में वैश्विक कंपनियों के प्रवेश करने तथा भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के उनके

निर्णयों से परिलक्षित होती है। कच्चे माल एवं अन्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के साथ आज यह उद्योग प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र के रूप में उभरा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

विश्व आर्थिक संकट के बावजूद ऑटोमोटिव उद्योग के दोनों खंडों ऑटोमोबाइल तथा ऑटो पुर्जा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2009-10 में 14 मिलियन वाहनों के उत्पादन के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने 2003-04 से 2009-10 के दौरान 11.7 प्रतिशत सी ए जी आर की प्रभावी वृद्धि दर्ज की। वस्तुत: वर्ष 2009-10 के दौरान तो वाहनों के उत्पादन में 25.7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें से अधिकांश हिस्सा दुपहिया तथा सवारी वाहन श्रेणी का है।

ऑटोमोबाइल निर्यात वर्ष 2003-04 से 2009-10 की अवधि के दौरान 0.4 मिलियन यूनिट से 1.8 मिलियन यूनिट बढ़े जो 24.7 प्रतिशत की प्रभावी सी ए जी आर प्रदर्शित करता है। परिणामत: ऑटोमोबाइल क्षेत्र की निर्यात उन्मुखता वर्ष 2003-04 के 6.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 12.8 प्रतिशत हो गई जो घरेलू स्तर पर निर्मित वाहनों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात गत वर्ष की तुलना में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1.8 मिलियन वाहन के स्तर पर पहुँच गए। उत्पादन रूझानों के अनुरूप निर्यातों में योगदान मुख्य रूप से दुपहिया वाहनों तथा सवारी वाहन खंड का भी रहा।

केन्द्रीय बजट 2010-11 में ऑटोमोबाइल उद्योग को पुन: प्रोत्साहन दिया गया है जिसके परिणाम आगामी महीनों में दिखाई पड़ सकते हैं। यद्यपि उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी से वाहनों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होगी तथापि इससे होनेवाली हानि देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत करों में कमी से लोगों के पास आमदनी की बढ़ोत्तरी से उपजी मांग से समंजित हो जाएगी। इसके साथ ही घरेलू आर एंड डी खर्चों पर भारित कटौती का स्लैब 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत किए जाने से भी वाहन निर्माताओं के आर एंड डी खर्च में कमी आएगी जिससे उन्हें कम कीमत पर अच्छे वाहनों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दीर्घावधि में बुनियादी सुविधाओं तथा ग्रामीण पहलों पर जोर से भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र को गति मिलेगी। ग्रामीण विकास के लिए निवेशों में वृद्धि से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ेगी जिससे ग्रामीण बाजारों में अच्छी उपस्थिति रखने वाली कंपनियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सशक्त वृद्धि से पुर्जों के मांग में भी अनुरूपी वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में ऑटो पुर्जों का उत्पादन लगभग 19.1 बिलियन यू एस डॉलर का रहा जो 2002-03 से 2008-09 की अवधि में 23.3 प्रतिशत की सी ए जी आर प्रदर्शित करता है। ऑटो पुर्जों का उत्पादन 2015-16 तक दुगुना होकर 40 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने का अनुमान है जिससे वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में भारत का हिस्सा वर्तमान के 1 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 3 प्रतिशत हो सकता है।

इस वृद्धि का श्रेय अंशत: क्षेत्र के निर्यात निष्पादन को दिया जा सकता है। ऑटो पुर्जों का निर्यात 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान (30.8 प्रतिशत की सी ए जी आर के साथ) पांच गुना बढ़कर 2008-09 में 3.8 बिलियन यू एस डॉलर तथा 2015-16 तक 20 बिलियन

अपने विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक ने टी वी एस लॉजिस्टिक्स लि., मदुराई को यू के की एक कंपनी मल्टीपार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (एम एस पी एल) के अधिग्रहण में मदद की है। यह कंपनी ऑटोमोटिव एवं रक्षा क्षेत्र को इन्वेंटरी प्रबंधन तथा लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है।

यू एस डॉलर पहुंच जाने का अनुमान है। इस सशक्त निर्यात वृद्धि से क्षेत्र की निर्यात उन्मुखता 2002-03 के 14.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 19.9 प्रतिशत हो गई जिसके 2015-16 तक 50 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत के ऑटो पुर्जो के निर्यात का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग दो तिहाई, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उन्नत बाजारों को जाता है जो इस क्षेत्र की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है।

भारतीय ऑटो पुर्जा उद्योग आज सभी प्रकार के पुर्जों जैसे इंजिन पुर्जे, ड्राइव, ट्रांसमिशन पुर्जे, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल, बॉडी तथा चेसिस आदि का विनिर्माण कर सकता है। इंजिन पुर्जा खंड सबसे बड़ा उपखंड है जिसका कुल उत्पादन में 30 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद ड्राइव ट्रांसमिशन एवं स्टीयरिंग (19 प्रतिशत) तथा बॉडी, चेसिस, सस्पेंशन तथा ब्रेकिंग (12 प्रतिशत प्रत्येक) का हिस्सा है। मूल उपकरण निर्माताओं (ओ ई एम) टियर 1 आपूर्तिकर्ताओं के हिस्से के रूप में बाजार बिक्री का अनुपात भी 1990 के 35:65 की तुलना में 2008 में 80:20 हो गया है जो क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

यद्यपि भारत में विनिर्माण लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 25 से 30 प्रतिशत तक सस्ती है तथापि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता इसकी संपूर्ण सेवा श्रृंखला की वजह से है जो भारत को एक पसंदीदा सोर्सिंग क्षेत्र बनाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में गुणवत्ता मानदंड भी वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ऑटोमोटिव क्षेत्र की 9 भारतीय कंपनियों को प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो जापान के बाद किसी देश को प्रदत्त सबसे बड़ी संख्या है। देश में सड़कों के विकास के साथ-साथ बढ़ती आय और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की शानदार बढ़त इस उद्योग की वृद्धि के सुनहरे भविष्य को प्रदर्शित करती है।

पूंजीगत माल

पूंजीगत माल उद्योग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का आधार है। भारत में विनिर्मित की जाने वाली प्रमुख मशीनरी में भारी विद्युत मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, मशीन उपकरण, खुदाई तथा निर्माण उपकरण सहित खनन उपकरण, सड़क निर्माण उपकरण, छपाई की मशीनें, डेयरी मशीनें, औद्योगिक रेफ्रिजरेशन तथा औद्योगिक ताप भट्टी उपकरण आदि शामिल हैं। पूंजीगत माल उद्योग 2003-04 से 2008-09 के दौरान 14.5 प्रतिशत की अच्छी वार्षिक औसत वृद्धि के साथ बढ़ा है जो मूल तथा मध्यवर्ती माल (आई आई पी आधारित वर्गीकरण) की तुलना में काफी आकर्षक है। यह प्रगति 2009-10 में भी जारी रही तथा उद्योग ने 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष 2008-09 के अंत तक देश में मशीन उपकरणों का उत्पादन लगभग 14.24 बिलियन रुपये तक पहुंच गया जो गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित करता है। मशीन उपकरणों के निर्यात ने गत कुछ वर्षों में स्थाई वृद्धि प्रदर्शित की है। वर्ष 2008-09 में मशीन उपकरणों का निर्यात 378 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। अप्रैल - फरवरी 2009-10 के दौरान मशीनी औजारों का निर्यात 242.04 मिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि से 33 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2008-09 में टेक्सटाइल मशीनरी का कुल उत्पादन 40 बिलियन रुपये मूल्य से अधिक रहा। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत से टेक्सटाइल मशीनरी का निर्यात 144 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 1,409 मिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है। अप्रैल-दिसंबर 2009-10 अवधि के दौरान टेक्सटाइल मशीनरी का निर्यात 88.25 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 990.0 मिलियन यू एस डॉलर रहा।

भारत द्वारा निर्माण तथा खनन क्षेत्र की मशीनरी की व्यापक श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। फिर भी बड़ी और विकासशील अर्थव्यवस्था के चलते घरेलू मांग उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक है। अत: मांग के एक बड़े हिस्से की पूर्ति आयातों के जरिए होती है। वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान निर्माण मशीनरी का भारतीय निर्यात 396 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 2,237 मिलियन यू एस डॉलर रहा। अप्रैल-दिसंबर 2009-10 अवधि के दौरान निर्माण एवं खनन मशीनरी का निर्यात 405.6 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 1510.7 मिलियन यू एस डॉलर रहा। भारत में प्रसंस्करण संयंत्र एवं पुर्जा क्षेत्र पूंजीगत माल उद्योग क्षेत्र का अलग खंड है। वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान भारत द्वारा 1490 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की प्रसंस्करण प्लांट मशीनरी का निर्यात तथा 3280 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की मशीनरी का आयात किया गया। अप्रैल-दिसंबर 2009-10 अवधि के दौरान प्रसंस्करण संयंत्र मशीनरी एवं पुर्जा क्षेत्र का निर्यात 997.91 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 2224.6 मिलियन यू एस डॉलर के रहे।

विद्युत उपकरण तथा मशीनरी क्षेत्र में भी उत्पादों की व्यापक श्रृंखला हैं जिनमें ट्रांसफार्मर्स, स्विचगियर्स, मोटर, जेनरेटर तथा कंट्रोल उपकरण आदि प्रमुख हैं। भारत द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान 2511 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की विद्युत उपकरण तथा मशीनरी का निर्यात तथा 3038 मिलियन यू एस डॉलर मशीनरी का आयात किया गया। अप्रैल-दिसंबर 2009-10 अवधि के दौरान विद्युत उपकरणों तथा मशीनरी का निर्यात 1328.5 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य का तथा आयात 1987.7 मिलियन यू एस डॉलर का रहा।

समग्र रूप में मध्यम तथा दीर्घावधि में भारत में पूंजीगत माल उद्योग का भविष्य अच्छा है। केंद्रीय बजट 2010-11 में बुनियादी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाने के संबंध में कई उपायों की घोषणा की गई है। विद्युत, सड़क परिवहन, शिपिंग, शहरी ढांचागत सुविधाओं सहित रेलवे आदि प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में निधि आबंटन को बढ़ाया गया है। इससे पूंजीगत माल उद्योग क्षेत्र को और गति मिलेगी तथा कंपनियों को ज्यादा आदेश मिलेंगे।

रसायन

भारतीय रसायन उद्योग का आकार 2008 में लगभग 35 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है जो देश के जी डी पी का 3 प्रतिशत है। मात्रा की दृष्टि से भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में बारहवां तथा एशिया में तीसरा स्थान है। वर्ष 2009-10 के दौरान भी उद्योग ने 10.3 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की जो कि विनिर्माण क्षेत्र की 10.9 प्रतिशत की वृद्धि के आसपास है।

मात्रा की दृष्टि से भारत में प्रमुख मूल रसायनों का उत्पादन वर्ष 2008-09 के दौरान 7.3 मिलियन मीट्रिक टन रहा। अप्रैल-दिसंबर 2009-10 अवधि के दौरान उत्पादन 5.5 मीट्रिक टन के स्तर को पार कर गया, जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट प्रदर्शित करता है। क्षारीय रसायन जैसे (सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा तथा तरल क्लोरीन) आदि अब तक के सबसे बड़े खंड थे जिनका अप्रैल-दिसंबर 2009-10 की अवधि में कुल उत्पादन में 75 प्रतिशत हिस्सा रहा। यद्यपि तीव्र वृद्धि के मामले में रंजक तथा रंग द्रव्य खंड रहा जिसने सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल करना जारी रखा।

यद्यपि भारत रसायनों का निवल आयातक है तथापि कुछ वर्षों में आयातों तथा निर्यातों के बीच का अंतर कुछ कम हुआ है। वैश्विक मंदी के बावजूद, रसायनों का निर्यात वर्ष 2007-08 के 10.1 बिलियन यू एस डॉलर से वर्ष 2008-09 में 10.9 बिलियन यू एस डॉलर बढ़ा जो 8.0 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। कीटनाशकों का निष्पादन सबसे अच्छा रहा तथा इनका निर्यात 38.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 0.63 बिलियन यू एस डॉलर से 1.0 बिलियन यू एस डॉलर पर पहुंच गया। अकार्बनिक रसायनों के निर्यात में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला तथा इनका निर्यात भी 36.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 0.8 मिलियन यू एस डॉलर से 1.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। तथापि अप्रैल-जून 2009-10 की अवधि के दौरान विभिन्न रासायनिक उपखंडों के निर्यात में कमी आई। अकार्बनिक रसायनों का निर्यात 32 प्रतिशत घटकर 645.98 मिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि कार्बनिक रसायनों का निर्यात 9 प्रतिशत घटकर 5304.74 मिलियन यू एस डॉलर रह गया। टैनिंग एवं डाई कार्यों में प्रयुक्त रसायनों का निर्यात 10 प्रतिशत घटकर 980.67 मिलियन यू एस डॉलर हो गया जबकि कीटनाशकों का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2009 अवधि में 5.8 प्रतिशत की कमी के साथ 757.23 मिलियन यू एस डॉलर रहा।

निवेश की दृष्टि से भारतीय रसायन उद्योग अप्रैल 2000 से फरवरी 2010 की अवधि के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले दस शीर्ष क्षेत्रों में से एक था जिसका इस अवधि के दौरान भारत को प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (115.7 बिलियन यू एस डॉलर) में 2.2 प्रतिशत हिस्सा (2.4 बिलियन यू एस डॉलर) था। हाल के वर्षों में भारतीय रसायन क्षेत्र में एफ डी आई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी काफी रही है जिसने वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 की अवधि के दौरान तिगुनी वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल-फरवरी 2009-10 की अवधि के दौरान उद्योग ने लगभग 0.36 बिलियन यू एस डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्जित किया। अगस्त 1991 से सितंबर 2009 की अवधि के दौरान विदेशी प्रौद्योगिकी अंतरण अनुमोदनों के आवेदनों की संख्या 900 को पार कर गई जो इस अवधि के दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संबंधी प्राप्त कुल आवेदनों का 11 प्रतिशत रही। इसका स्थान विद्युत उपकरणों (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सहित) के बाद दूसरा रहा। निवेश के लिए उदारीकृत नीतियों तथा वित्तीय क्षेत्र के सहयोग से इस क्षेत्र में निवेश को अच्छी गति मिल रही है।

पेट्रोलियम उत्पाद

पेट्रोलियम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र जिसमें खनन, परिष्करण तथा पेट्रोलियम एवं गैस

पदार्थों का विपणन शामिल हैं, का भारतीय जी डी पी में 15 प्रतिशत योगदान है। वर्ष 2007-08 के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 144.9 मिलियन मीट्रिक टन रहा जो 3 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2008-09 में 149.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया। वर्ष 2009-10 के दौरान उत्पादन की मात्रा 148.91 मीट्रिक टन तक पहुँच गई जो गत वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट प्रदर्शित करता है।

भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की मात्रा 32.16 प्रतिशत की सी ए जी आर की दर से बढ़कर 2005-06 के 11.63 बिलियन यू एस डॉलर से वर्ष 2008-09 में 26.87 बिलियन यू एस डॉलर पर पहुंच गई। परिणामत: कुल निर्यातों में पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात का हिस्सा 2005-06 में 11.2 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-फरवरी 2009-10 में 15.4 प्रतिशत तक पहुँच गया। वैश्विक बाजारों में मंदी तथा मांग में संकुचन से पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में कमी आई तथा अप्रैल-फरवरी 2008-09 के दौरान निर्यात गत वर्ष की अनुरूपी अवधि से 7.4 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 24.1 बिलियन यू एस डॉलर रह गया।

भारत में तेल तथा गैस की घरेलू मांग बढ़ रही है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार तेल तथा गैस की मांग 2009-10 के 186.54 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 233.58 मिलियन टन हो जाने की संभावना है। अधिकांश मांग वृद्धिशील आर्थिक गतिविधियों के चलते परिवहन वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि के कारण अनुमानित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान दर्शाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अंतिम वर्ष में (2011-12) 140 मिलियन टन से ज्यादा होगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में रिफाइनिंग क्षमता बढ़कर 240 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाने का अनुमान है जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआती वर्ष में यह लगभग 150 मिलियन टन थी। इस क्षमता विस्तार से रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 90 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि होगी जिससे निर्यात बाजार में आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। रिफाइनिंग उद्योग के लिए मध्यावधि संभावना सकारात्मक दिखती है जिसका कारण घरेलू बाजार में क्षमता निर्माण तथा उपयोग में वृद्धि होना है।

योजना आयोग के 'दृष्टिकोण 2020' दस्तावेज में पुन: यह आंकलन किया गया है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि घरेलू परिवहन उद्योग द्वारा संचालित होगी। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में तेजी तथा इन पदार्थों के विपणन से सरकारी नियंत्रण हटाने से इस क्षेत्र के लिए वृद्धि संभावनाएं और बढ़ेंगी।

एक्ज़िम बैंक ने आशरा-दि इजरायल एक्पोर्ट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार की सहभागिता के जरिए दोनों देश एक-दूसरे के उद्यमियों के कारोबारी संव्यवहारों को वित्तीय एवं बीमा संबंधी सहायता प्रदान कर सकेंगे जो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में सहायक होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र हाल के वर्षों में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा मनोरंजन क्षेत्र में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वैश्विक बाजारों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विकास तथा विनिर्माण की पर्याप्त क्षमता है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग सहित अन्य भारतीय विनिर्माण उद्योगों के बीच परस्पर समन्वय तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का गठन किया गया है।

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कुल उत्पादन 1099.40 बिलियन रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। संचार तथा प्रसारण उपकरणों का कुल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन में 29 प्रतिशत हिस्से के साथ एक बड़ा हिस्सा रहा। इसके बाद उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक (27.4 प्रतिशत), कम्प्यूटर (13.1 प्रतिशत), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक (12.4 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे (12.2 प्रतिशत) तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (6.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। वृद्धि के मामले में भी वर्ष 2009-10 के दौरान संचार तथा प्रसारण उपकरण 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2008-09 के उत्पादन की तुलना में अग्रणी रहे। वैश्विक मंदी के बावजूद भी उत्पादन वृद्धि की तुलना में भारत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की निर्यात वृद्धि अधिक रही। वर्ष 2008-09 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात गत वर्ष की तुलना में 104.6 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज करते हुए 7.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। उसी अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात गत वर्ष की तुलना में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 23.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा। तथापि अप्रैल-फरवरी 2009-10 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समग्र निर्यात 5.13 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित करता है।

यद्यपि निकट भविष्य में भारत में इस उद्योग के लिए संभावनाएं भले ही न्यून हों, दीर्घावधि में इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। निकट भविष्य में उपभोक्ता वित्त में मंदी के कारण घरेलू मांग में कमी आ सकती है जिससे उद्योग की प्रगति बाधित हो सकती है। तथापि भारतीय बाजार का बड़ा आकार अथवा इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उपभोग की मात्रा इसके लिए नए अवसर सृजित करेगी। इसके अतिरिक्त बेहतर ऊर्जा प्रबंधन / संरक्षण की मांग, गुणवत्तायुक्त इंजीनियरिंग के लिए प्रौद्योगिकी उन्मुखता और लागत कटौती रणनीतियों से दीर्घावधि में नए अवसर सृजित होंगें।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार 40 बिलियन यू एस डॉलर का है जो लगभग 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। इस दृष्टि से वर्ष 2015 तक इस उद्योग के 150 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। दूर संचार क्षेत्र में उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है तथा भारत में प्रतिमाह 2 मिलियन नए टेलीकॉम उपभोक्ता बढ़ जाते हैं। अन्य विशिष्ट उत्पादों के क्षेत्र में भी प्रभावी वृद्धि हो रही है। कम्प्यूटर/आई टी उत्पादों, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र भी लगातार बढ़त दर्ज कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि तथा उद्योग जगत के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, उपभोग, निर्यात तथा सकल घरेलू उत्पाद के मामले में एक सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र कुल उद्योग उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 प्रतिशत का योगदान करता है। उद्योग का आकार लगभग 70 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 4.4 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा लगभग 9 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है।

वैश्विक मंदी के बावजूद भारत से प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जिसका प्रमुख कारण एशियाई तथा अफ्रीकी बाजारों से अधिक मांग का रहना है। तथापि अप्रैल-सितंबर 2009-10 की अवधि के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के निर्यात में गत वर्ष की अनुरूपी अवधि से 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। देश के लगभग 70 प्रतिशत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों को किया जाता है। वैश्विक आर्थिक संकट के चलते इन देशों में सुपरबाजारों की लाभप्रदता प्रभावित हुई है जिससे वे अब भारत जैसे बाजारों से कम महंगे उत्पादों की मांग कर रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों की राय के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के साथ ही भारतीय खाद्य बाजार के वर्ष 2015 तक वर्तमान मूल्य से बढ़कर 300 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने का अनुमान है।

भारत में लगभग हर किस्म की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ताजे फलों के उत्पादन में यह विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, सब्जियों का यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, अनाजों तथा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक तथा पशुपालन में भी विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। समुद्री जीवों के उत्पादन में भारत तीसरा, मुर्गीपालन में पांचवां तथा मसालों के उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात में पहला स्थान रखता है। अधिकांश कृषि जिंसों का अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद भारत

के कुल उत्पादन के केवल 6 प्रतिशत हिस्से को ही प्रसंस्कृत किया जाता है जिसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में न्यून निवेश तथा संगठित क्षेत्र की न्यून उपस्थिति है।

केन्द्रीय बजट 2010-11 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की गई है। इनमें पांच अतिरिक्त मेगा फूड पार्कों की स्थापना, प्रशीतन श्रृंखला के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने हेतु नए मानदंड तथा प्रसंस्करण एवं भंडारण उपकरणों के आयात पर करों का सरलीकरण आदि प्रमुख हैं जिससे इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

हाल में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में आई तेजी, जिसका कारण कुछ जरूरी जिंसों की आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध रहे, अल्पावधि तथा मध्यावधि में उद्योग के लिए चिंताजनक हो सकती है क्योंकि इससे कच्चे माल की उपलब्धता पर दबाव बनेगा जिससे लागत प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होगी।

नीतिगत परिवेश

भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2009 को अपनी विदेश व्यापार नीति 2009-14 की घोषणा की गई जिसमें कई सुविधाओं सहित फोकस बाजार योजना के अंतर्गत 26 नए बाजारों, जिसमें लैटिन अमेरिका में 16 तथा एशिया-ओसेनिया में 10 बाजार शामिल हैं, को जोड़ना; फोकस मार्केट तथा फोकस प्रोडक्ट योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों को क्रमश: 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तथा 1.25 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करना; डी ई पी बी योजना को दिसंबर 2010 तक बढ़ाना; समन्वय सहायता योजना (एडजस्टमेंट असिस्टेंस स्कीम) को विस्तारित करना ताकि आर्थिक संकट से प्रभावित क्षेत्रों को मार्च 2010 तक 95 प्रतिशत तक निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ई सी जी सी) कवर दिया जा सके; मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट योजना (एम एल एफ पी एस) विस्तारित करना तथा इसमें चार अंकीय कूट वाले 153 आई टी सी (एच एस) उत्पादों को शामिल करना; एफ पी एस योजना के अंतर्गत इंजीनियरी, प्लास्टिक, जूट, तथा सीसल उत्पाद टेक्निकल टेक्सटाइल, ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पाद तथा परियोजना माल सहित विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादों को शामिल करना; एफ पी एस, एफ एम एस, एम एल एफ पी एस योजना सहित विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत छूटों का लाभ उठाने के लिए एक नया सरलीकृत फार्म लागू करना आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ ही केन्द्रीय बजट 2010-11 में निर्यात के श्रम गहन क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल (हैण्डलूम सहित) हैंडीक्राफ्ट्स, कार्पेट्स, लेदर, जवाहरात, समुद्री उत्पादों तथा एस एम ई के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया है।

वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा (सितंबर 2008 में) अपनाई गई समायोजक मौद्रिक नीति 2009-10 के दौरान भी जारी रही। अक्तूबर 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ क्षेत्र विशिष्ट सुविधाओं को बंद करते हुए वाणिज्यिक बैंकों के लिए सांविधिक नकदी अनुपात एस एल आर को संकट से पूर्व के स्तर पर लाकर विस्तारक मौद्रिक नीति से हटने की शुरुआत कर दी। जनवरी 2010 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुन: आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) में 75 आधार बिंदु की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे दो चरणों में 5.0 से 5.75 प्रतिशत कर दिया। इसे 13 फरवरी, 2010 से 5.5 प्रतिशत तथा पुन: 27 फरवरी, 2010 से 5.75 प्रतिशत किया गया। रेपो रेट को भी 19 मार्च, 2010 से 4.75 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो रेट को 3.25 से 3.50 प्रतिशत कर दिया। अप्रैल 2010 में सी आर आर को पुन: 24 अप्रैल, 2010 को बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत तथा रेपो एवं रिवर्स रेपो को 20 अप्रैल, 2010 से क्रमश: 5.25 प्रतिशत एवं 3.75 प्रतिशत कर दिया गया।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की उदारीकरण नीति 2009-10 की पहली छमाही में भी जारी रहा। 01 जनवरी, 2010 से लागू नीतिगत उपायों में बुनियादी परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) को अंतरराष्ट्रीय बैंकों सहित मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं से अप्रूवल रूट के जरिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति प्रदान की गई बशर्ते कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा ऋणदाता संस्था द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करते हुए अपनी पूरी मुद्रा की हेजिंग कर लें; साथ ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास में लगी कंपनियों को अप्रूवल रूट के जरिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने संबंधी अनुमति को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया।

भारतः द्रुतगामी प्रगति

(2009-10 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) विभिन्न चरणों में बढ़ाकर जनवरी 2010 में 5.0 से फरवरी, 2010 में 5.75 प्रतिशत तथा अप्रैल 2010 में 6.0 प्रतिशत कर दिया गया है।
- रेपो रेट को भी विभिन्न चरणों में बढ़ाया गया जिसे अप्रैल 2009 में 4.75 प्रतिशत से मार्च, 2010 में 5.00 प्रतिशत तथा पुन: अप्रैल 2010 में बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो रेट को भी अप्रैल 2009 के 3.25 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च, 2010 में 3.50 प्रतिशत तथा पुन: अप्रैल 2010 में बढ़ाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया गया।
- सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) जिसे 8 नवंबर, 2008 को 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया था, पुन: 7 नवंबर, 2009 से 25 प्रतिशत कर दिया गया।

व्यापार नीति

- श्रम गहन निर्यात क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल (हैंडलूम सहित), हैंडीक्राफ्ट्स, कार्पेट, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, आभूषण तथा समुद्री उत्पाद तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को 01 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर 2009 तक प्रदत्त 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया।
- डी ई पी बी योजना को दिसंबर 2010 के अंत तक बढ़ा दिया गया।
- आर्थिक संकट से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 95 प्रतिशत ई सी जी सी कवर उपलब्ध कराने हेतु लागू समायोजन सहायता योजना को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया।
- इंजीनियरिंग, प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मूल रसायन, औषधि, वस्त्र एवं परिधान, हैंडीक्राफ्ट, रसायन तथा संबंधित उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद आदि के लिए मार्च 2011 तक शून्य ड्यूटी पर ई पी सी जी योजना का प्रारंभ।
- विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, जूट तथा सीसल उत्पादों, टेक्निकल टेक्सटाइल, ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों, परियोजना माल, सब्जी, सूत एवं चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों को एफ पी एस योजना का लाभ उठाने के लिए इसकी सूची में जोड़ा गया।
- फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों को 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तथा फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफ पी एस) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों को 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया।

नकदी प्रबंधन

- 15 दिसंबर, 2008 को एक्ज़िम बैंक को प्रदत्त 50 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त सुविधा को मार्च 2010 तक बढ़ाया गया।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियों संबंधी मानदंड

- बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) को कतिपय शर्तों के अधीन अंतरराष्ट्रीय बैंकों सहित मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं से बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ई सी बी) जुटाने की अनुमति दी गई।
- एकीकृत शहरों का विकास करने वाली कंपनियों को अनुमोदन रूट के जरिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियां ई सी बी जुटाने की अनुमति को 31 दिसंबर, 2010 तक बढ़ा दिया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालनों की समीक्षा

यथा 31 मार्च, 2009 के 372.02 बिलियन रुपये की तुलना में यथा 31 मार्च, 2010 को कुल उधार राशियाँ 405.09 बिलियन रुपये की रहीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने वर्ष 2008-09 के 289.33 बिलियन रुपये की तुलना में 332.49 बिलियन रुपये के ऋण का संवितरण किया जबकि वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान भुगतान वर्ष 2008-09 के 269.21 बिलियन रुपये की तुलना में 264.8 बिलियन रुपये रहे। यथा 31 मार्च, 2010 को कुल ऋण-आस्तियाँ 393.71 बिलियन रुपये की रहीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत 388.43 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 में मंजूर की गई 336.28 बिलियन रुपये के मुकाबले में है। वर्ष 2008-09 के दौरान मंजूर की गई 16.18 बिलियन रुपये की गारंटियों की तुलना में वर्ष 2009-10 में बैंक द्वारा 13.51 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर की गईं जबकि, जारी की गई गारंटियाँ वर्ष 2008-09 के 10.32 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 12.39 बिलियन रुपये की रहीं। यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ 31 मार्च, 2009 के 35.40 बिलियन रुपये की तुलना में 22.74 बिलियन रुपये की थीं तथा साख-पत्र यथा 31 मार्च, 2009 के 9.39 बिलियन रुपये की तुलना में यथा 31 मार्च, 2010 को 8.43 बिलियन रुपये के थे। यथा 31मार्च, 2010 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 57 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि शेष 43 प्रतिशत विदेशी मुद्रा ऋण थे। यथा 31 मार्च, 2010 को कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋणों का हिस्सा 33 प्रतिशत रहा।

बैंक ने वर्ष 2008-09 के लिए 6.10 बिलियन रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान सामान्य निधि लेखे में 7.72 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। 2.59 बिलियन रुपये का आयकर का प्रावधान करने के बाद 2009-10 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि 5.13 बिलियन रुपये रही जबकि 2008-09 में यह 4.77 बिलियन रुपये थी। इस लाभ में से 2.87 बिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 0.1 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि में 0.1 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 0.56 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। शेष 1.5 मिलियन रुपये की राशि एक्ज़िम बैंक अधिनियम में दिए गए अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी।

वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ 29.16 मिलियन रुपये है जबकि 2008-09 में यह 39.69 मिलियन रुपये था। 9.91मिलियन रुपये का कर प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि 19.25 मिलियन रुपये होती है जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान यह राशि 32.82 मिलियन रुपये थी। 19.25 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए ले जाया गया है।

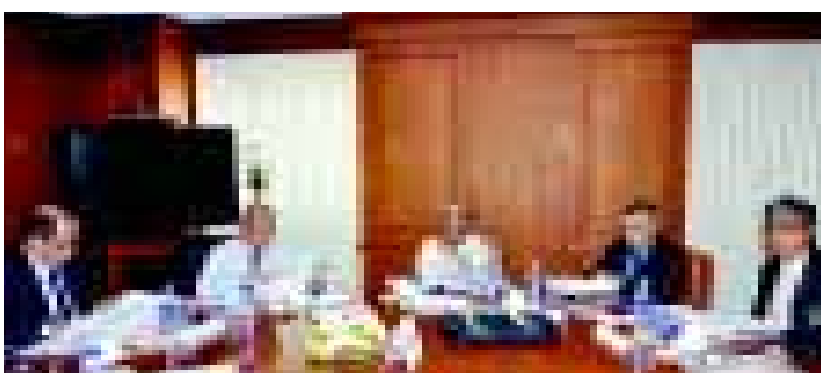

बैंक के प्रधान कार्यालय मुंबई में निदेशक मंडल की एक बैठक।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है:

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन
III. संयुक्त उद्यम
IV. नई पहलें
V. वित्तीय निष्पादन
VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VII. संस्थागत संबंध
VIII. सूचना प्रौद्योगिकी
IX. शोध एवं विश्लेषण
X. मानव संसाधन प्रबंधन
XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

निर्यात संविदाएं

परियोजना निर्यात संवर्द्धन के लिए एक्ज़िम बैंक एक समन्वयक तथा सहायक की भूमिका निभाने के साथ-साथ परियोजना निर्यातों पर कार्यकारी दल[1] के लिए केंद्र बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से 129 भारतीय निर्यातकों द्वारा 95 देशों में कुल 183.78 बिलियन रुपये की 1201 निर्यात संविदाएं प्राप्त की गईं। वर्ष 2008-09 के दौरान 144 भारतीय निर्यातकों द्वारा 104 देशों में कुल 284.03 बिलियन रुपये की 1287 निर्यात संविदाएं प्राप्त की गई थीं।

वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से प्राप्त की गयी संविदाओं में 85.92 बिलियन रुपये मूल्य की 23 टर्नकी संविदाएं, 63.10 बिलियन रुपये मूल्य की 14 निर्माण संविदाएं, 33.47 बिलियन रुपये मूल्य की 1160 आपूर्ति संविदाएं तथा 1.29 बिलियन रुपये मूल्य की 4 तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदाएं शामिल थीं।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख टर्नकी संविदाओं में कतर पॉवर ट्रांसमिशन प्रणाली विस्तार योजना फेज IX के अंतर्गत 14 नए उच्च वोल्टेज उपस्टेशनों की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, सिविल कार्य, परीक्षण तथा स्थापना सहित 9 उपस्टेशनों का सुधार तथा 5 उपस्टेशनों में केबल डाइवर्जन कार्य; भूटान में 1200 मेगावॉट की पुनात्संग्चु जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 6 विद्युत उत्पादक इकाइयों तथा उनसे संबंधित अनुषंगी इकाइयों तथा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग (ईओटी) क्रेनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा रख-रखाव के लिए संविदा; आबूधाबी में सेंट्रल मॉल पुनर्विकास परियोजना में इलेक्ट्रो, मेकेनिकल, ड्रेनेज और प्लंबिंग कार्य की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना,

बैंक के प्रमुख कार्यक्रम

[1] कार्यकारी दल एक अंतर-संस्थागत व्यवस्था है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि., भारत सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। यह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है।

परीक्षण एवं रख-रखाव कार्य; दोहा, कतर में रॉस लैफन सिटी के पश्चिमी भाग के विस्तार तथा सपोर्ट सर्विस एरिया फेज-I एवं II के लिए इलेक्ट्रिकल तथा टेलीकॉम सुविधाओं की इंजीनियरी, खरीद तथा स्थापना कार्य; आबू धाबी ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, यूएई द्वारा दाहिद से नए 400/132/133 केवी आजमन ग्रिड स्टेशन तक नई 400 किलोवॉट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की आपूर्ति, खिंचाई तथा प्रवर्तन कार्य की आपूर्ति तथा ट्यूनिशिया में 400 किलोवॉट ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन, आपूर्ति, ढुलाई, सिविल कार्य, खरीद, स्थापना कार्य तथा परीक्षण आदि शामिल हैं।

निर्माण संविदाओं में लीबिया में वादी अल मिजीनेनीट में 2000 आवासीय इकाइयों, सहायक भवनों तथा संबंधित सुविधाओं, जन सुविधाओं का निर्माण; भूटान में एक डाइवर्जन टनल, बांध, जल-ग्रहण, निकासी व्यवस्था सहित हाइड्रो मेकेनिकल कार्य; त्रिपोली, लीबिया में ज़्वारा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं अर्थात मुख्य सीवर लाइन तथा उप सीवर लाइनों को बिछाने तथा सड़कों के निर्माण के लिए इंजीनियरी, खरीदारी, स्थापना तथा प्रवर्तन कार्य; थाइलैंड में प्लेटफॉर्म कंप्रेशन सुविधा परियोजना सहित अन्य कार्य आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त आपूर्ति संविदाओं में सिंगापुर, यू के, तुर्की, मलेशिया तथा ब्राजील जैसे देशों को बी ओ पी पी फिल्में, रसायन तथा रंग द्रव्य, औषधियां, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य, चावल, खनिज एवं वस्त्र जिनमें सूती धागे तथा तैयार वस्त्र शामिल हैं, का निर्यात आदि शामिल है। साथ ही भारतीय कंपनियों ने सऊदी अरब, बेल्जियम, मिश्र, श्री लंका, यू एस ए, हांग कांग, यूगांडा, जांबिया, केन्या तथा यमन गणराज्य जैसे देशों को कलर कोटेड स्टील की चद्दरें तथा क्वॉएल, कटे तथा तराशे हीरे, साइकिलें तथा पुर्जे, भारी इंजीनियरी सामान, सिंचाई उपकरण, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया तथा पॉवर ट्रांसमिशन केबलों के निर्यात संबंधी संविदाएं भी हासिल की हैं।

तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदाओं में अल्जीरिया में गैसों के तरलीकरण तथा प्रथक्कीकरण (एल क्यू एस) के लिए इंजीनियरी सेवाएं, सोनाट्राश नामक एक सरकारी संगठन को एल एन जी परियोजना के प्रबंधन के लिए सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना; कंबोडिया में सरकारी खरीद के लिए क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक कार्य एवं परिवहन मंत्रालय में 'सुशासन कार्य योजना' के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

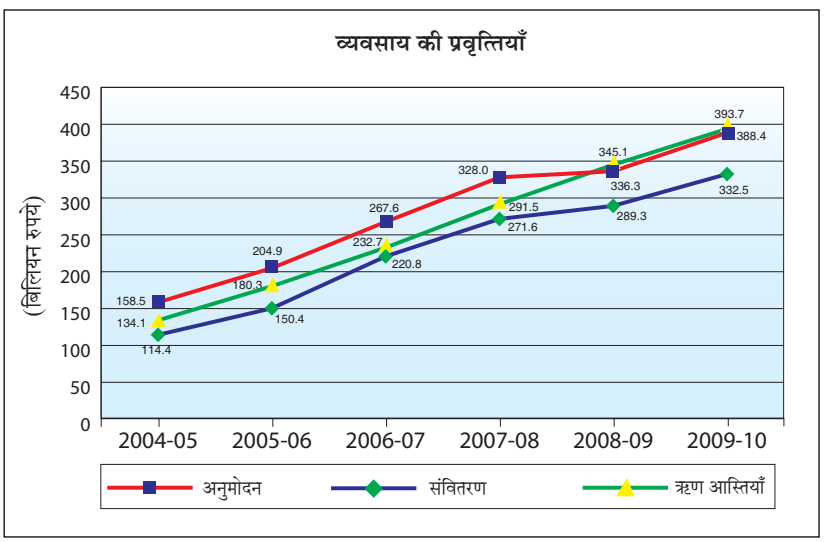

निर्यात ऋण तथा गारंटियाँ

वर्ष के दौरान बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और परियोजना निर्यात के लिए कुल 169.93 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की जबकि पिछले वर्ष में ये मंजूरियाँ 147.17 बिलियन रुपये की थीं। वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों की राशि गत वर्ष के 142.73 बिलियन रुपये की तुलना में 161.73 बिलियन रुपये थी, इसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान अनुमोदित तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के क्रमश: 16.18 बिलियन रुपये तथा 10.32 बिलियन रुपये की तुलना में क्रमश: 13.51 बिलियन रुपये तथा 12.39 बिलियन रुपये थीं। ये गारंटियाँ बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, बुनियादी सुविधाओं के विकास और निर्यात दायित्व गारंटियों जैसे क्षेत्रों में समुद्रपारीय परियोजनाओं से संबंधित थीं।

क्रेता-ऋण

क्रेता-ऋण एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ऋण देता है। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को पात्र मूल्य का भुगतान उनकी बिना किसी जिम्मेदारी के करता है। क्रेता-ऋण भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षित तथा अवलंब रहित वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराता है और उन्हें विदेशी बाजारों में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2009-10 में क्रेता-ऋण के अंतर्गत बैंक द्वारा 17 विदेशी कंपनियों को 7.27 बिलियन रुपये की ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं जिसके अंतर्गत कुल 3.47 बिलियन रुपये के संवितरण किए गए जिनमें इटली, सिंगापुर, श्री लंका, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त गणराज्य तथा यू एस ए के लिए निर्यात शामिल हैं। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात किए गए सामानों में परिवहन वाहन तथा ऑटो स्पेअर पार्ट्स, फल तथा सब्जियाँ, चावल, सादे तथा जड़ाऊ आभूषण, स्टील तार तथा तार निर्मित राड, पाइप मशीनरी, सिंचाई उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, अगरबत्ती, पेट्रो रसायन, औषधियां तथा तैयार वस्त्र आदि शामिल हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के कई निर्यातकों ने क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदायित्व रहित भुगतान सुविधा का लाभ उठाया।

एक्ज़िम बैंक द्वारा कंबोडिया में ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को मजबूती प्रदान करने के लिए 15 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था करार पर नॉमपेन्ह में हस्ताक्षर करते हुए कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री एवं आर्थिक वित्त मंत्री महामहिम श्री कीट छोन। साथ में हैं एक्ज़िम बैंक के अधिकारी तथा दोनों देशों के राजनयिक।

ऋण-व्यवस्थाएं

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेजों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से दायित्व रहित पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को, वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराती है और प्रभावी बाजार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन इसकी भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परतापूर्वक विस्तार करना चाहता है।

समुद्रपारीय सत्ताओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा, एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के निर्देश पर तथा भारत सरकार की सहायता से विकासशील विश्व में देशों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए कुल 753.31 मिलियन यू एस डॉलर की बाईस ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में पी टी ए बैंक, अफ्रीका; वेनेश्कोनोम बैंक, रूस; बेनीन, कैमरून, कम्बोडिया, कोत-दि-वुआर, डी आर कांगो, इरीट्रिया, लेसोथो, माली, मौरीटानिया, मोजाम्बिक, रवांडा, सीअरा लिओन, सेनेगल, श्री लंका, सूरीनाम, सीरिया, तंजानिया तथा जाम्बिया की सरकारों को ऋण-व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह ऋण-व्यवस्थाएं ट्रैक्टरों तथा कृषि उपकरणों, हेलीकॉप्टरों, पम्पों, चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य अस्पतालीय सामग्री, रेलवे लाइनों का उन्नयन, विद्युत उत्पादन, पारेषण लाइनें, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेय जल सुविधाएं, चावल उत्पादन, कृषि विकास, खाद्य प्रसंस्करण, साइबर सिटी के लिए सुविधाओं का विकास, शिक्षा तथा व्यावसायिक केन्द्र आदि क्षेत्रों में वित्तपोषण प्रदान करेंगी तथा निर्यात को बढ़ावा देंगी। वर्तमान में कुल 4.5 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण-बचनबद्धताओं के साथ अफ्रीका, एशिया, सी आई एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 94 देशों को शामिल करते हुए 136 ऋण-व्यवस्थाएं इस समय उपभोग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक शृंखला परिचालित करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 183.34 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण 151.30 बिलियन रुपये के थे।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 48 निर्यात उन्मुख इकाइयों को 37.93 बिलियन रुपये के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये हैं, जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि 12.45 बिलियन रुपये है। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन 16 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 4.96 बिलियन रुपये मंजूर किये गये। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 2.17 बिलियन रुपये थी। 13 कंपनियों को कुल मिलाकर 3.33 बिलियन रुपये के दीर्घकालिक कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि 2.83 बिलियन रुपये रही।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस)

कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्थापित करने एवं पात्रता हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक ने 161 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल लागत 100.41 बिलियन रुपये है। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की समग्र राशि क्रमश: 31.52 बिलियन रुपये तथा 25.04 बिलियन रुपये है। कपड़ा उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता वस्त्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियाँ और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास एक विस्तृत कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान 18 कंपनियों को 6 देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के

एक्ज़िम बैंक ने अपने समुद्रपारी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत जेलिस पॉयनियर प्रा. लि., सिंगापुर को इसकी सहायक कंपनी जेलिस पॉयनियर यूरोप बी. वी., नीदरलैंड में ईक्विटी निवेश में सहायता प्रदान की है। जेलिस पॉयनियर प्रा. लि., पॉयनियर एशिया ग्रुप, इंडिया तथा जेलिस कंपनी लि., जापान का एक संयुक्त उद्यम है।

आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 10.54 बिलियन रुपये की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक ऑस्ट्रिया, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, मॉरिशस, मोरक्को, नीदरलैंड्स, ओमान, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्री लंका, संयुक्त अरब अमीरात तथा यू एस ए सहित 64 देशों में 209 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 259 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है। विदेशी निवेश के लिए प्रदान की गई कुल राशि 133.83 बिलियन रुपये की है जिसमें विभिन्न क्षेत्र यथा फार्मास्युटिकल्स, घर सज्जा, रेडिमेड कपड़े, निर्माण, कागज एवं कागज उत्पाद, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन तथा रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण और कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त समुद्रपारीय निवेश परियोजनाओं में : यू के की एक ऑटो पाट्र्स विनिर्माता कंपनी का अर्जन; रंग तथा रसायनों के निर्माण में संलग्न एक जर्मन कंपनी का अर्जन; यू एस ए तथा चेक गणराज्य में औषधि निर्माण कंपनियों का अर्जन; यू के में लॉजिस्टिक कंपनी का अर्जन; ताजिकिस्तान में एक भारतीय कंपनी की होटल परियोजना का आंशिक वित्तपोषण आदि प्रमुख हैं।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर तथा संवितरित की गई राशि क्रमश: 38.50 बिलियन रुपये तथा 53.99 बिलियन रुपये रही।

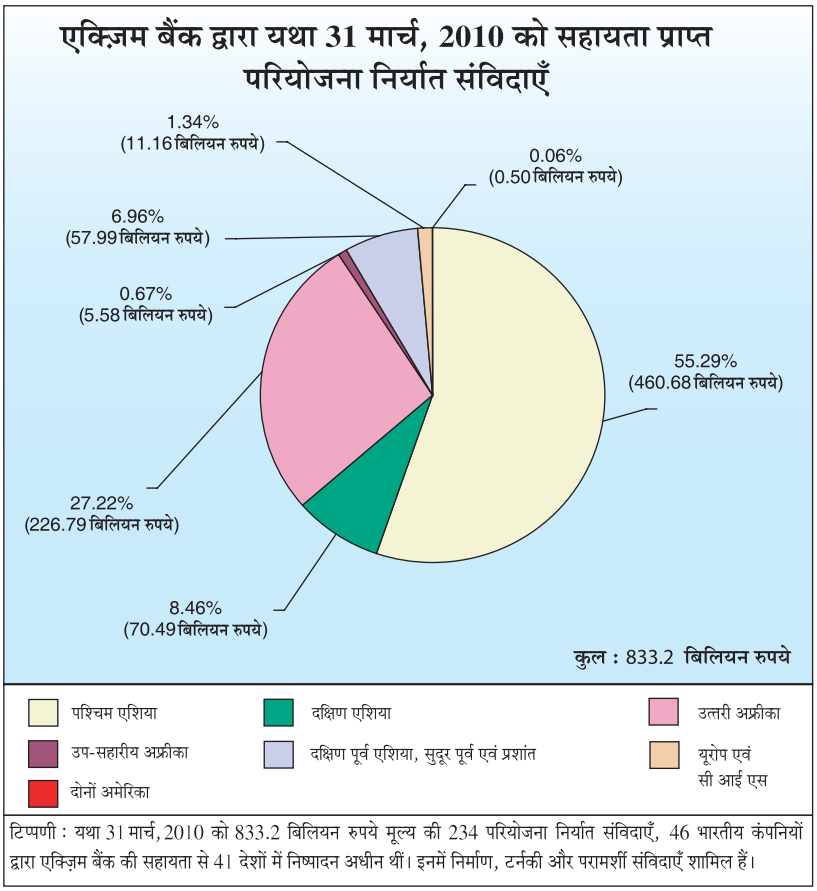

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2010 को 833.2 बिलियन रुपये मूल्य की 234 परियोजना निर्यात संविदाएँ, 46 भारतीय कंपनियों द्वारा एक्ज़िम बैंक की सहायता से 41 देशों में निष्पादन अधीन थीं। इनमें निर्माण, टर्नकी और परामर्शी संविदाएँ शामिल हैं।

आयात वित्त कार्यक्रम

आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों को मंजूर आवधिक ऋण 6.90 बिलियन रुपये रहे तथा संवितरण 0.93 बिलियन रुपये के थे।

ऋण निगरानी समूह

बैंक में एक ऋण वसूली समूह कार्यरत है जो निदेशक मंडल द्वारा ऋण निगरानी तथा वसूली नीति के अनुसार मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकता है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर ऋणों के ए बी सी वर्गीकरण (क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन प्रणाली की मॉनीटरिंग सहित) की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ ही गैर-निष्पादक आस्तियों तथा कमजोर आस्तियों की समीक्षा मासिक आधार पर अलग से गठित एक समिति द्वारा की जाती है। सभी एकबारीय निपटान (ओ टी एस) प्रस्तावों की जाँच करने तथा इन्हें आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अंतरित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र समिति गठित है। यह समिति निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

III. संयुक्त उद्यम

बैंक के संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा कर लिया है। कंपनी ने 11.71 मिलियन रुपये के कर पूर्व लाभ के साथ 2009-10 में 36.59 मिलियन रुपये की परामर्शी आय दर्ज की है। जी पी सी एल, एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली

12 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण (प्रोक्योरमेंट) संबंधी सलाहकारी तथा लेखा-परीक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

IV. नई पहलें

चंडीगढ़ में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

बैंक ने वर्ष के दौरान चंडीगढ़ में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। इससे देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की निर्यातोन्मुख भारतीय कंपनियों को विश्वसनीय वित्तपोषण एवं परामर्शी सहायता के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। इस कार्यालय का उद्घाटन पंजाब के गवर्नर तथा चंडीगढ़ के प्रशासक महामहिम शिवराज पाटील तथा केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री माननीय श्री पवन कुमार बंसल की उपस्थिति में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया। एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों के व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने में मदद करता है तथा चंडीगढ़ में कार्यालय खुल जाने से क्षेत्र में इन गतिविधियों को और बल मिलेगा।

अफ्रीकी विकास बैंक के साथ सह-वित्तपोषण करार

बैंक ने अफ्रीकी विकास बैंक (ए एफ डी बी) के साथ एक सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जिसमें ए एफ डी बी के क्षेत्रीय सदस्य देशों में परियोजनाओं के संयुक्त वित्तपोषण के लिए व्यवस्था है। इस सहमति ज्ञापन से दोनों देशों के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जा सकेगा तथा परियोजना निर्यात के साथ सामान्यत: जुड़े हुए सीमापार जोखिमों तथा भुगतान जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलेगी। अपनी स्थापना के समय से ही अफ्रीकी विकास बैंक के साथ एक्ज़िम बैंक के घनिष्ठ कार्यकारी संबंध रहे हैं। इस सहमति ज्ञापन से व्यवसाय एवं निवेश अवसरों पर सूचना एवं प्रकाशनों का आदान-प्रदान, कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों के आयोजन जैसी संवर्द्धक गतिविधियों सहित दोनों संस्थाओं के बीच विद्यमान सहयोग संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

चंडीगढ़ में एक्ज़िम बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणब मुखर्जी। साथ में उपस्थित हैं पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, महामहिम श्री शिवराज पाटील तथा केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री माननीय श्री पवन कुमार बंसल।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बैंक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (के आई एस एस), भुवनेश्वर की लड़कियों की अंडर-14 रग्बी टीम को सहायता प्रदान की है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज, जो 7000 से अधिक आदिवासी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर रहा है, का उद्देश्य उड़ीसा के इन गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ रोजगार परक नवोन्मेषी शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। एक्ज़िम बैंक द्वारा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को प्रशिक्षण एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

इसके साथ ही वर्ष के दौरान बैंक ने दृष्टिहीन, गरीब, विकलांगों को सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों सहित आदिवासी तथा झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा; आरक्षित वर्ग के ग्रामीणों के विकास सहित मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा ग्रामीण महिलाओं के कल्याण एवं विकास आदि के लिए सहायता प्रदान की है।

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कार्यक्रम

बैंक ने राष्ट्रकुल सचिवालय द्वारा चलाए जा रहे 9वें तथा 10वें कॉमनवेल्थ-इंडिया स्मॉल बिजनेस कॉम्पीटिटिवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन बैंगलोर तथा जयपुर में किया। 9वें कार्यक्रम का आयोजन 'लघु एवं मध्यम उद्यमों का संपोषी विकास : वित्तपोषण की भूमिका तथा उचित प्रौद्योगिकी' विषय पर तथा 10वें कार्यक्रम

का आयोजन 'लघु एवं मध्यम उद्यम : सहयोग, वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी के जरिए संपोषी विकास' विषय पर किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रकुल के सदस्य देशों में नीति निर्माताओं को लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ एवं कार्यनीतियाँ प्रदान कर आर्थिक विकास (वर्द्धित रोजगार, निवेश, व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलाप) का संवर्द्धन करने वाली क्षमता विकास पहलों को कार्यान्वित करना तथा संस्थागत क्षमता का निर्माण एवं विकास करना है।

यूरो डॉलर निर्गम

वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन में जनवरी 2010 के दौरान अपना दूसरा रेग एस बाँड सफलता पूर्वक जारी किया। इस 5 वर्षीय 300 मिलियन यूरो डॉलर बाँड को 5 गुने से अधिक अभिदान मिला। बाँड को मिला प्रतिसाद एक्ज़िम बैंक में निवेशकों के विश्वास तथा देश की एक मात्र क्वासी सोवरेन निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है। इस निर्गम के बाद पुन: अप्रैल 2010 में 5 वर्षीय 200 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य का निर्गम लाया गया जिसे पुन: 750 मिलियन यू एस डॉलर से अधिक का अभिदान मिला। एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातक कंपनियों को प्रतिस्पर्धी आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व, व्यापक निवेशक आधार तथा अपने मजबूत वित्तीय आधार का लाभ उठाते हुए विभिन्न प्रकार के लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) के जरिए विभिन्न प्रकार के निवेशकों से विदेशी मुद्रा जुटाता है।

ब्रिक देशों के विकास बैंकों के साथ गठबंधन सहयोग

बैंक ने हाल ही में ब्रासीलिया, ब्राजील में संपन्न हुए ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत, तथा चीन) के सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस तथा चीन के तीन प्रमुख विकास बैंकों क्रमश: ब्राजीलियन डेवेलपमेंट बैंक (बी एन डी ई एस), बैंक फॉर डेवेलपमेंट एण्ड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ रसिया (वेनेश्कोनोम बैंक) तथा चाइना डेवेलपमेंट बैंक के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ज्ञापन पर चारों देशों के प्रमुखों अर्थात भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम श्री लूला दा सिल्व्हा, रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री दमित्री मेदवेदेव तथा चीन के राष्ट्रपति महामहिम श्री हू जिंताओ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य ब्रिक देशों तथा इनके उद्यमों के बीच व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाना, समान हितवाली सीमापार व्यापार परियोजनाओं तथा संव्यवहारों को सहयोग प्रदान करना तथा महत्त्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण सहित समग्र रूप में ब्रिक देशों के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना है।

एक्ज़िम बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक समूह ने अफ्रीकी क्षेत्र में परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में श्रीमती रचनीत कौर, संयुक्त सचिव, (आई एफ), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष डॉ. डोनॉल्ड काबेरुका ने एक्ज़िम बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

ग्रामीण ग्रासरूट व्यावसायिक पहलें

अपने ग्रासरूट व्यवसाय पहल कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण को सहयोग प्रदान करना जारी रखा है। यह कार्यक्रम बैंक के अन्य सहायता कार्यक्रमों पर आधारित है जिसका उद्देश्य समाज के तुलनात्मक रूप से कमजोर वर्गों यथा देश के पारंपरिक हस्तशिल्पियों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके लिए वृद्धिशील अवसरों का सृजन कर उनकी सहायता करना है। इस उद्देश्य के लिए बैंक ने विभिन्न संस्थागत संबद्धताएं स्थापित करने, संपोषित करने और उनके साथ सहयोग बढ़ाने की अपनी सुविचारित नीति को जारी रखा है तथा ग्रामीण शिल्पकारों को क्षमता निर्माण, गुणवत्ता सुधार तथा बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन तक सीधी पहुंच के लिए चुनिंदा बड़े गैर सरकारी संगठनों के साथ औपचारिक गठबंधन भी किया है। इसी कड़ी में बैंक ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों (आर बी एच) के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय की निर्यात संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाना है जो ग्रामीण भारत से निर्यात प्रोत्साहन की बैंक की पहलों

के अनुरूप है। इस सहयोग ज्ञापन के अंतर्गत बैंक को वायनाड, केरल; नागपट्टिनम, तमिल नाडु; तथा बस्तर, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों (आर बी एच) की स्थापना के लिए गेटवे एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

एक्ज़िम बैंक अपने विशिष्ट निर्यात विपणन सेवा कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण उत्पादों को बाजार पहुंच सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसके लिए बैंक अपने विदेशी कार्यालयों तथा संस्थागत संबद्धताओं का प्रभावी उपयोग करता है। बैंक ने एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्यात विकास निधि की स्थापना के लिए भी निधि सुरक्षित रखी है जिसका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के साथ-साथ भारत की ग्रामीण प्रौद्योगिकी की निर्यात क्षमता को भी बढ़ाना है। क्षमता निर्माण तथा ग्रामीण विकास पर जानकारी प्रदान करने, महिला कर्मियों को रखने, फेयर ट्रेड प्रमाणन तथा कार्पोरेट ब्रांड्स का फायदा उठाने के लिए 'ग्रासरूट उद्यमों का वैश्वीकरण: कार्पोरेट तथा बैंकों की भूमिका' विषय पर पुडुचेरी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग

यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3 (स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी - (स्थिर) तथा फिच ने बी बी बी - (स्थिर) रेटिंग दी है तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी + (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है।

यथा 31 मार्च, 2010 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएँ
(मिलियन यू एस डॉलर)

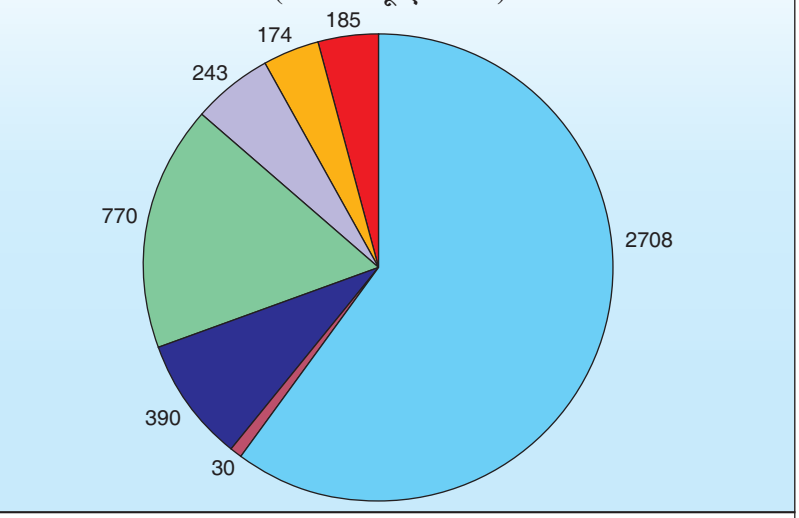

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2010 को कुल 4.5 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि के साथ 94 देशों में 136 ऋण-व्यवस्थाएँ उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

एक्ज़िम बैंक द्वारा 'ग्रासरूट उद्यमों का वैश्वीकरण : कार्पोरेट तथा बैंकों की भूमिका' विषय पर पुडुचेरी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

V. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से 3 बिलियन रुपये की शेयर पूँजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2010 को 17 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी तथा 28.32 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन 450.40 बिलियन रुपये रहे। एक्ज़िम बैंक के संसाधन आधार में बाँड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक-पत्र, सावधि जमा राशियाँ, आवधिक ऋण और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ बांड्स / नोट्स / उधार राशियाँ शामिल हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल, इक्रा द्वारा 'ए ए ए' की उच्च रेटिंग प्रदान की जाती रही है। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 202.66 बिलियन रुपये की विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियाँ जुटायीं, जिनमें

130.37 बिलियन रुपये के रुपया संसाधन और 1.61 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में द्विपक्षीय / क्लब ऋणों के जरिए 1157 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ तथा स्वैप्स की खरीद-बिक्री के जरिए 454 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ थीं। यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियाँ 4.16 बिलियन यू एस डॉलर की थीं। बाँडों/वाणिज्यिक-पत्रों/जमा प्रमाण पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ 245.84 बिलियन रुपये की रहीं। यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक की सावधि जमा योजना के अंतर्गत जुटाई गई राशि 31 मार्च, 2009 के 9.50 बिलियन रुपये की तुलना में बढ़कर 12.96 बिलियन रुपये तथा खातों की संख्या 17800 से अधिक हो गई। यथा 31 मार्च, 2010 को बाजार से जुटाई गई उधार राशियाँ कुल संसाधनों का 88.4 प्रतिशत थीं।

आय / व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 7.72 बिलियन रुपये और 5.13 बिलियन रुपये रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 6.10 बिलियन रुपये और 4.77 बिलियन रुपये थे। कारोबारी आय में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2008-09 के दौरान 26.56 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2009-10 में 22.22 बिलियन रुपये रही। निवेश आय, बैंक जमा राशियों आदि पर ब्याज आय 2008-09 के 7.93 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2009-10 में 7.66 बिलियन रुपये रही। वर्ष 2009-10 में ब्याज व्यय 20.94 बिलियन रुपये था जो ब्याज दरों में कमी के कारण 3.44 बिलियन रुपये कम है। गैर-ब्याज खर्च (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर) 2008-09 के 2.29 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 के दौरान कुल व्यय का 4.55 प्रतिशत आता है। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) वित्तीय वर्ष 2008-09 में 7.08 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 5.39 प्रतिशत हो गयी जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा उधारियों पर लाइबोर ब्याज दर में आई कमी था।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च, 2009 के 16.77 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2010 को 18.99 प्रतिशत रहा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में है। यथा 31 मार्च, 2010 को ऋण ईक्विटी अनुपात 8.82 :1 रहा जबकि 31 मार्च, 2009 को यह 9.47:1 था।

ऋण निवेश (एक्सपोजर) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च, 2002 से एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता (अर्थात एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों के 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूँजी निधियों के 45 प्रतिशत तक कुल ऋण सहायता) दी जा सकती है। वैयक्तिक उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों के अधिकतम ऋण सहायता सीमा को क्रमश: अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है (क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत अधिकतम

एक्ज़िम बैंक ने एक अग्रणी लघु वित्त संस्था भारतीय समृद्धि इनवेस्टमेंट्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेस लि. (बेसिक्स) को शोरे बैंक इंटरनेशनल यू एस ए से प्राप्त निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रीशिपमेंट निधियों के आंशिक वित्तपोषण में मदद की है। यह निर्यात आदेश अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी) वाशिंग्टन के साथ पापुआ न्यूगिनी माइक्रो फांइनेंस लि. को तकनीकी सहायता सेवा प्रदान करने के लिए की गई एक संविदा के अंतर्गत है।

सीमाओं के अतिरिक्त), बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण सहायता भारत में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। यथा 31मार्च, 2010 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत सीमा के भीतर थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएं अपनाएं ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो। बैंक ने प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सहायता सीमा कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत निर्धारित किया है। यथा 31 मार्च, 2010 को किसी भी एकल उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 13.64 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

राजकोष

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट /मिडल / बैक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विदेशी मुद्रा सौदे, निर्यात दस्तावेजों की वसूली / परक्रामण, अंतरदेशीय / विदेशी साख-पत्र / गारंटियाँ जारी करना तथा संरचित ऋण आदि शामिल हैं। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने तथा न्यून लागत पर निधियाँ जुटाने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे प्रमाणन प्राधिकारी, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आई डी आर बी टी) से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है। बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेन-देन प्रणाली - आदेश मिलान खंड (एन डी एस-ओ एम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आई एल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं। बैंक संपार्श्विकृत उधार लेन-देन संबंधित दायित्व खंड (सी बी एल ओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक सी आर ओ एम एस (क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम) जो सी सी आई एल का रेपो डीलिंग सिस्टम है, का भी सदस्य बना है। सी आर ओ एम एस एक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग क्षम एनॉनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफार्म है जिसे वर्ष के दौरान सी सी आई एल द्वारा सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के रेपो बाजार में T+0/ T+1 आधार पर डील करने के लिए प्रारंभ किया गया है। सी सी आई एल सभी प्रकार के सी आर ओ एम एस व्यापार के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षी की भांति कार्य करता है तथा सभी निस्तारणों को गारंटी देता है। बैंक स्विफ्टनेट फेज-2 में पहले ही अंतरण कर चुका है।

एक्ज़िम बैंक द्वारा यूरोपीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (ई बी आर डी) के साथ मिलकर मध्य एवं पूर्व यूरोप तथा मध्य एशियाई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश अवसरों पर मुंबई में एक सेमिनार आयोजित किया गया। ई बी आर डी के प्रथम उपाध्यक्ष श्री वारेल फ्रीमैन, जो कि इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी कर रहे थे ने विशेषकर विश्व आर्थिक संकट के बाद मध्य एवं पूर्व यूरोप तथा मध्य एशियाई क्षेत्रों के राजनैतिक एवं आर्थिक परिदृश्य पर प्रकाश डाला।

आस्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस के सहयोग से बाजार जोखिमों की निगरानी तथा प्रबंधन करती है तथा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन / नकदी नीतियों के अनुसार नकदी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ड्यूरेशन-गैप एनालिसिस का प्रयोग करते हुए ब्याज दर, घट-बढ़ की तुलना में (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के आंकलन के माध्यम से आंकी गई ब्याज दर जोखिम की मात्रा के आधार पर कार्रवाई करना शामिल है। जोखिम पर मूल्य की गणना भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए रोकी

गई' पोर्टफोलियो के लिए की गई है। निधि प्रबंध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमोदित संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और उधार राशियाँ / संसाधन जुटाने से संबंधित निर्णय लेती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति तथा प्रबंधन समिति द्वारा निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) के कार्यों की समीक्षा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक में एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी) गठित है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, नकदी, ब्याज दर, तुलन-पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों तथा उनसे संबंधित विनियामक एवं अनुपालन मुद्दों के बारे में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) के परिचालनों की देख-रेख करती है। जिनमें से सभी में परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं। जहाँ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) बैंक में आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी), ऋण-नीति और प्रक्रियाओं की देख-रेख और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है। सभी ऋण-प्रस्ताव स्वतंत्र रूप से बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के पास जाते हैं जो

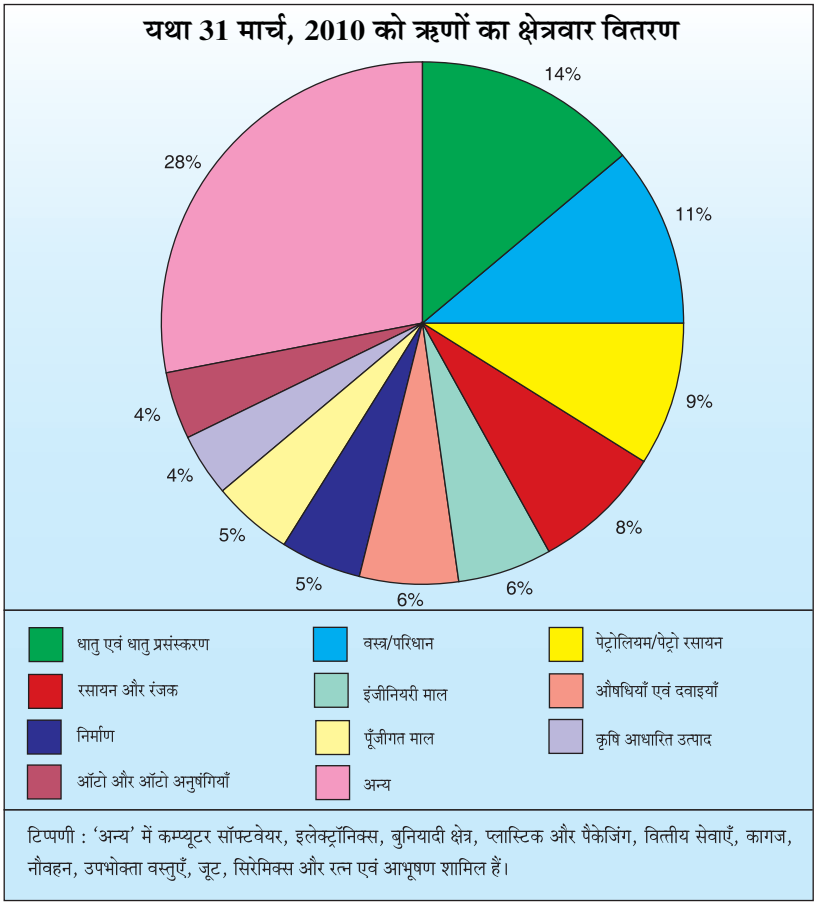

एक्जिम बैंक ने अपना दूसरा रेग एस बाँड लंदन में सफलता पूर्वक जारी किया। यह निर्गम मई 2007 में बैंक द्वारा लाए गए यूरो येन एफ आर एन निर्गम की सफलता के बाद रेग एस बाँड बाजार में बैंक की पैठ बनाने का प्रयास है। सिटी ग्रुप तथा दाइचे बैंक इस निर्गम के लिए लीड मैनेजर तथा बुक रनर थे।

उनके जोखिमों का विश्लेषण कर अनुमोदनकर्ता अधिकारियों को अपनी राय देता है। बैंक के पास आस्ति गुणवत्ता और ऋण समीक्षा में सुधार के लिए उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सी आर एम) है जिससे (गुणवत्ता तथा मात्रात्मक पैरामीटरों / उपायों की व्यापक श्रेणी के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन निर्णय लेने तथा उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमता में मदद मिलती है। व्यवसाय निरंतरता तथा आकस्मिकता प्रबंधन के लिए बैंक अपने प्रत्येक कार्यालय की समेकित वार्षिक समीक्षा करता है। प्रत्येक कार्यक्रम की व्यवसाय निरंतरता तथा जोखिमों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से उसकी पूर्णता के लिए समीक्षा की जाती है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण / कर्ज सुविधा को गैर-निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 4.13 बिलियन रुपये रही हैं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 1.05 प्रतिशत है। बैंक की निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.78 बिलियन रुपये को (प्रावधान घटाकर) 31मार्च, 2009 के 0.23 प्रतिशत की तुलना में 31मार्च, 2010 को इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.20 प्रतिशत रही हैं।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और /अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्तियाँ 12 माह से अधिक अवधि तक गैर-निष्पादक संपत्ति के रूप में बकाया रहती हैं, ऐसी आस्तियों को 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियाँ' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। कुल 1.05 प्रतिशत की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.16 प्रतिशत, संदिग्ध आस्तियाँ 0.76 प्रतिशत जबकि हानि आस्तियाँ 0.13 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2010 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 0.20 प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर-निष्पादित आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.13 प्रतिशत रहीं जबकि संदिग्ध आस्तियाँ 0.07 प्रतिशत रहीं। हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

लाभ और भारत सरकार को अंतरित लाभ अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

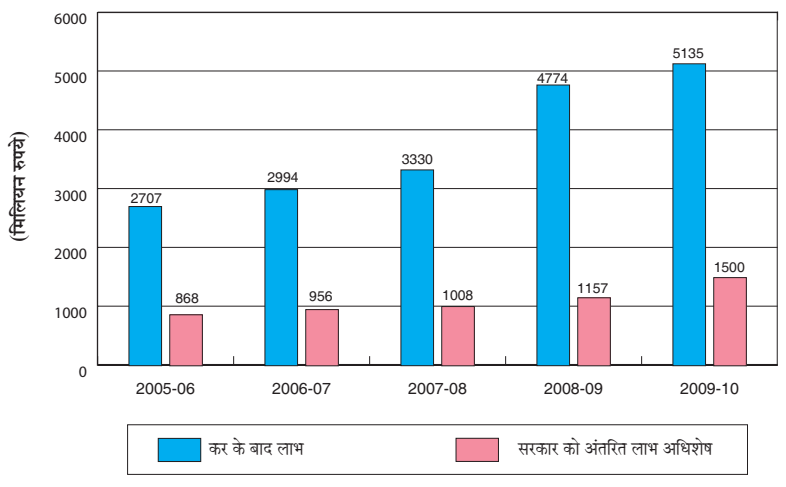

कार्पोरेट अभिशासन

एक्ज़िम बैंक सभी प्रकार की सूचना के संबंध में पूरी पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरतता है और सभी संबंधितों को पूरी, सही और स्पष्ट सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करता है। बैंक कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित उत्कृष्ट व्यवहारों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। इस हेतु रणनीतिक नियंत्रण के लिए बैंक ने एक व्यवस्था विकसित की है तथा इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय/वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामले, विश्लेषण आंकड़े / सूचना आदि को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। मुख्य महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को सभी संविधियों, विनियमों तथा अन्य प्रक्रियाओं, सहित भारत सरकार / रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों के अनुपालन के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है जो किसी भी प्रकार के विचलन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। बैंक के निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पाँच बैठकें तथा प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं। लेखा परीक्षा समिति निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों की

जांच करती है। इसके साथ ही लेखा परीक्षा समिति आवधिक आधार पर बैंक की निधि प्रबंधन समिति तथा आस्ति देयता समिति की भी समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें सात बार हुईं।

बैंक के के वाई सी, ए एम एल एवं पी एम एल उपाय

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी), हवाला निरोधी (ए एम एल) तथा हवाला निषेध (पी एम एल) नीतियाँ अपनाई हैं। के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल नीतियों में (क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति (ख) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (ग) संव्यवहारों की निगरानी (घ) जोखिम प्रबंधन (ङ) विद्यमान ग्राहकों के लिए के वाई सी मानदंड आदि शामिल हैं। बैंक के सभी ग्राहकों को न्यूनतम के वाई सी मानकों की अपेक्षाओं के अधीन लाया जाता है जो स्वाभाविक / अधिकृत व्यक्ति तथा लाभकर्ता / स्वामित्व की पहचान स्थापित करते हैं। के वाई सी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक एक प्रश्नावली के माध्यम से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। एक्ज़िम बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यवहारों के बारे में रिकार्ड/सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड, संव्यवहार की तारीख से दस वर्षों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ने के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल के उपायों के अनुपालन के लिए एक मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया है। के वाई सी तथा ए एम एल नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता विद्यमान है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

आइजॉल में 'मिजोरम से निर्यात संभाव्यता' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मिजोरम के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री माननीय श्री लालरिनलिआना साइलो एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन 'मिजोरम : निर्यात संभाव्यता एवं संभावनाएं' का विमोचन करते हुए।

VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं। ये सेवाएं भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाजारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों यथा परिवहन, निर्माण, दूरसंचार, ऊर्जा, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर भारतीय निर्यातक कंपनियों को समुद्रपारीय व्यवसाय के अनेक अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

एक्ज़िम बैंक एक परामर्शदाता के रूप में

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के रूप में बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। बैंक परामर्शी सेवाओं के जरिए अपने अनुभव

तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करता रहा है। बैंक अपने संस्थागत सहभागियों के कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ऑन-साईट एक्सचेंज ऑफ पर्सनल कार्यक्रमों के जरिए अपने अनुभव तथा कौशल का आदान-प्रदान करता है।

निर्यात विपणन सेवाएं

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी निर्यात विपणन सेवाओं के जरिए कई भारतीय कंपनियों को विदेशों में उनके उत्पादों को प्रतिष्ठित करने और नये बाजारों में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की जिसके अंतर्गत कंपनियों को भावी व्यावसायिक साझेदार की पहचान से लेकर अंतिम आर्डर देने के कार्य को सुगम बनाने तक मार्गदर्शन दिया गया। बैंक भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में अधिग्रहण / संयुक्त उद्यम / वितरण शृंखला / परामर्शी सेवाओं संबंधी अवसरों की भी पहचान करता है।

बैंक ने भारतीय कंपनियों के लिए सेनेगल को कृषि उपकरण, पम्प तथा सहायक सामग्रियों का आर्डर प्राप्त करने में सहायता की है। बैंक ने भारत तथा सेनेगल की कंपनियों के बीच व्यापार प्रस्तावों की पहचान करने में भी मदद की है।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र

वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस केंद्र द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर 28 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 15 देश / क्षेत्र विशिष्ट व्यवसाय अवसर सेमिनार शामिल हैं। ब्रिटिश मिडलैंड क्षेत्र पर निवेश अवसरों पर सेमिनारों का आयोजन कोयम्बतूर तथा राजकोट में किया गया। बहरीन राज्य पर इसी प्रकार के सेमिनार मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली तथा चेन्नै में आयोजित किए गए तथा इन्वेस्ट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापट्टनम और कोयम्बतूर में भी इसी प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया गया।

एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यापार अवसरों पर चार सेमिनारों का आयोजन कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद तथा मुंबई में किया गया। अफ्रीकी विकास बैंक निधिक परियोजना में व्यापार अवसरों पर एक सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया क्षेत्र में निवेश अवसरों को केन्द्रित करते हुए सेमिनारों का आयोजन नई दिल्ली तथा मुंबई में किया गया।

विदेशों में एशियाई विकास बैंक निधिक परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा एशियाई विकास बैंक, भारतीय निर्यात संघ तथा कंसल्टेंसी डेवेलपमेंट सेंटर के साथ मिलकर 'एशियाई विकास बैंक के साथ व्यवसाय अवसर' विषय पर मुंबई में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एन आई एम एस एम ई), हैदराबाद के प्रतिभागियों के लिए बैंगलोर में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। 9 वें 'कॉमनवेल्थ - इंडिया कॉम्पीटिटिवनेस प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल एम एस एम ई डेवेलपमेंट' पर जून 2009 में बैंगलोर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक्ज़िमिअस केन्द्र द्वारा 'निर्यात प्रविधि एवं दस्तावेजीकरण' विषय पर पटना तथा जमशेदपुर में सेमिनारों का आयोजन किया गया। एम एस एम ई के लिए संस्थागत पहलों पर बैंगलोर, देहरादून, कानपुर तथा भुवनेश्वर में सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन किया गया। लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वैश्वीकरण विषय पर कोयम्बतूर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेवा निर्यातों के लिए रणनीति विषय पर बैंगलोर तथा मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किए गए। केन्द्र द्वारा तिरूअनंतपुरम में आयुर्वेदिक निर्यात अवसरों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ई-मार्केटिंग के जरिए वैश्विक पहुंच अवसरों पर बैंगलोर में दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

केन्द्र द्वारा 'ग्रामीण ग्रासरूट उत्पादों का वैश्वीकरण : कंपनियों तथा बैंकों की भूमिका' विषय पर पुडुचेरी में तथा 'निर्यात ऋण' पर मैसूर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र विशिष्ट निर्यात संभावनाओं पर आइजॉल तथा गैंगटोक में सेमिनारों का आयोजन किया गया। तमिल नाडु से कृषि निर्यातों के संवर्द्धन पर एक कार्यक्रम का आयोजन चेन्नै में किया गया।

VII. संस्थागत संबद्धताएं

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्द्धन निकायों तथा निवेश संवर्द्धन बोर्डों के साथ गठबंधन तथा संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है। इसी दिशा में बैंक ने नवम्बर 2009 में अफ्रीकी क्षेत्र में परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए अफ्रीकी विकास बैंक समूह के साथ एक सहयोग ज्ञापन करार किया है। इस सहमति ज्ञापन से दोनों देशों के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जा सकेगा तथा परियोजना निर्यात के साथ सामान्यत: जुड़े हुए सीमापार जोखिमों तथा भुगतान जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। इस समझौता ज्ञापन से, जिसमें व्यवसाय एवं निवेश अवसरों पर सूचना एवं प्रकाशनों का आदान-प्रदान; एक दूसरे देशों में कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों के आयोजन तथा निरीक्षणों के लिए जाने वाले अधिकारियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना शामिल है। दोनों संस्थाओं के बीच विद्यमान सहयोग संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

बैंक ने सितम्बर 2009 में भारत तथा इजराइल के बीच निवेश तथा व्यवसाय संबंधों को बढ़ाने के लिए इजराइल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी (आशरा) के साथ एक सहयोग ज्ञापन करार किया है। आशरा के साथ सहयोग ज्ञापन से मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्मुख क्षेत्रों में प्रगति करने तथा उनमें निर्यात योग्य उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

ज्ञान आधारित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने तथा क्षमता सृजन के लिए बैंक ने राजीव गाँधी भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग (आई आई एम-शिलांग) के साथ सितम्बर 2009 में एक सहयोग ज्ञापन करार किया है। भारतीय प्रबंध संस्थान - शिलांग सातवां भारतीय प्रबंध संस्थान है जिसकी स्थापना उत्तर पूर्व क्षेत्र (एन ई आर), के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझाव पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा एवं शोध सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 2008 में किया गया। समझौता ज्ञापन करार के तहत एक्ज़िम बैंक तथा आई आई एम - शिलांग के सहयोग से एक विशेष पुस्तकालय तथा शोध केन्द्र की स्थापना की गई है जिसे एक्ज़िम बैंक ज्ञान केन्द्र के नाम से जाना जाता है।

''वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युतर में एशियाई एक्ज़िम बैंकों की सहयोगात्मक भूमिका'' विषय पर एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम की 15वीं वार्षिक बैठक फुकेट, थाइलैंड में अक्तूबर 2009 में आयोजित की गई। इस बैठक में एशियाई एक्ज़िम बैंकों के नौ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 15वीं वार्षिक बैठक अक्तूबर 2009 को फुकेट, थाइलैंड में संपन्न हुई। इस फोरम की संकल्पना तथा स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में की गई थी। वर्ष 2009 की बैठक का मुख्य विषय था ''वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युतर में एशियाई एक्ज़िम बैंकों की सहयोगात्मक भूमिका''। इस बैठक में सभी सदस्य संस्थाओं ने वैश्विक वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों पर चर्चा की तथा अपने अनुभव बांटे। बैठक की अध्यक्षता थाइलैंड निर्यात-आयात बैंक तथा सह-अध्यक्षता एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड इंश्योरेंश कार्पोरेशन (ई एफ आई सी) ऑस्ट्रेलिया तथा कोरिया निर्यात-आयात बैंक द्वारा की गई। बैठक में 9 सदस्य संस्थाओं यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, दि फिलीपींस एवं थाइलैंड से उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया साथ ही बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्था एशियाई विकास बैंक ने स्थायी आमंत्रिती के तौर पर हिस्सा लिया।

वार्षिक बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जिनमें एशियाई विकास बैंक द्वारा एशिया का आर्थिक परिदृश्य; वैश्विक आर्थिक संकट पर एशियाई एक्ज़िम बैंक

की रणनीतियों पर परिचर्चा; तथा वित्तीय आर्थिक संकट से विश्व को निकालने में एशिया का बढ़ता महत्त्व तथा इस परिप्रेक्ष्य में एशियाई एक्ज़िम बैंकों की भूमिका आदि प्रमुख थे। 15वीं वार्षिक बैठक की समाप्ति पर वित्तीय तथा गारंटी परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच एक सहयोग ज्ञापन करार पर हस्ताक्षर किया गया।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) ने, जिसकी स्थापना अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में मार्च 2006 में की गई थी, विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। इनमें जी-नेक्ज़िड की वेबसाइट (www.gnexid.org) का शुभारंभ तथा वार्षिक बैठकों का आयोजन प्रमुख उपलब्धियां हैं। अंकटाड द्वारा जी-नेक्ज़िड को प्रदान किया गया 'प्रेक्षक' का दर्जा फोरम को इसके सहयोग को दर्शाता है। विकासशील देशों द्वारा फोरम के महत्व को स्वीकार किया गया है जो इस बात से प्रदर्शित होता है कि सदस्यों की सक्रिय हिस्सेदारी बनी रही है।

जी-नेक्ज़िड सदस्यों के बीच निरंतर संवाद जारी रखने की प्रक्रिया के रूप में 'जी-नेक्ज़िड' की चौथी वार्षिक बैठक के अवसर पर 'वैश्विक वित्तीय मंदी : दक्षिण-दक्षिण व्यापार वित्त एवं सहयोग की महत्ता' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभवी विद्वानों ने जी-नेक्ज़िड सदस्यों के साथ अपने अनुभव बांटें। बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ घनिष्ठ कार्यकारी संबंध विकसित करने के अपने उद्देश्यों की दृष्टि से जी-नेक्ज़िड ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी) के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग ज्ञापन पर दोनों संस्थाओं ने अंकटाड के महासचिव डॉ. सुपाचई पैनिचपाकड़ी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह सहयोग ज्ञापन दक्षिण-दक्षिण अर्थव्यवस्थाओं के बीच दीर्घावधि संबंध विकसित करने में सहायक होगा।

पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जी नेक्ज़िड ने अफ्री-एक्ज़िम के सहयोग से 'पर्यावरणीय मुद्दे तथा सामाजिक जोखिम प्रबंधन और कार्बन वित्तपोषण' विषय पर 24 नवंबर, 2009 को लुसाका, जाम्बिया में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय संस्थाओं सहित निवेशकों को वैकल्पिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के विकल्पों तथा संपोषी स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से भारतीय कंपनियों को अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्य प्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड (ई एफ क्यू एम) के मॉडल पर आधारित है।

एक्ज़िम बैंक भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भारतीय कंपनियों को वार्षिक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। वर्ष 2009 के लिए दि डीजल सिस्टम यूनिट ऑफ बॉश लिमिटेड, बैंगलोर को सी आई आई वार्षिक गुणवत्ता सम्मेलन अवसर पर नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया।

विगत में छह कंपनियों, टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज लिमिटेड (2006), टाटा मोटर्स लिमिटेड (वाणिज्यिक वाहन कारोबार इकाई) (2005), इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2002), टाटा स्टील लिमिटेड (2000), मारुति उद्योग लिमिटेड (1998) तथा ह्यूलेट पैकर्ड (इंडिया) लिमिटेड (1997) को अवार्ड प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2009 में बॉश लिमिटेड (डीजल सिस्टम बिजनेस), बैंगलोर को व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2009 में टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ए टाटा इंटरप्राइजेज) को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 2009 के दौरान आठ बड़ी तथा चार लघु एवं मध्यम व्यवसाय संस्थाओं को व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रसंशा की गई। आठ बड़ी कंपनियों में भेल (हाई प्रेशर ब्यॉयलर प्लांट), तिरुचिरापल्ली; भेल (हैवी इलेक्ट्रीकल प्लांट), भोपाल; भेल (पॉवर सेक्टर), पूर्वोत्तर क्षेत्र; भेल मिलिट्री कम्युनिकेशन्स एस बी यू; क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि.; गोदरेज एंड वॉयस मैन्युफैक्चरिंग कं.लि. (लॉक्स डिविजन); जे एस डब्ल्यू स्टील लि.; तथा ट्रैक्टर एवं फार्म उपकरण लि. आदि हैं। चार लघु एवं मध्यम कंपनियों में इंडेलॉक्स सर्विसेस प्राइवेट लि.; एन टी टी एफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि.; थिंकसॉफ्ट ग्लोबल सर्विसेस लि.; तथा वेन्चर इंफोटेक ग्लोबल प्राइवेट लि. थीं। जूरी ने 23 बड़ी कंपनियों एवं परिचालन इकाइयों की दृढ़ वचनबद्धता के लिए सराहना की है।

VIII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी संरूपण में अपनी पहल को जारी रखा है। सूचना के बेहतर उपयोग, प्रयोक्ता तथा प्रणाली इटेंलिजेन्स क्षमताओं के सशक्तिकरण के लिए मूल कार्य क्षेत्रों की प्रणालियों के अतिरिक्त ज्ञान प्रबंधन, विभिन्न घटकों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक इन्फिनेट (इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क) का सदस्य है तथा विनियामक एवं औद्योगिकी संस्थाओं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. तथा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन द्वारा लागू प्रणालियों एवं पद्धतियों में डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करता है।

परिचालन व्यवसाय आसूचना, बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्य प्रवाह तथा नेटवर्क एवं मूलभूत सुविधा के लिए विशेषीकृत पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है।

बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्य-कलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अग्रताओं पर सूचना का व्यवस्थित ढंग से प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा, इस पर बैंक के विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों तथा सूचना एवं सलाहकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

बैंक के कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.in) ने संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद-वार जानकारी तथा सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा है। बैंक एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम तथा जी-नेक्ज़िड का सदस्य है तथा इन दोनों संगठनों की वेबसाइट का प्रबंधन करता है।

IX. शोध एवं विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार (ईडरा) 1989 में बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों

गंगटोक में आयोजित सेमिनार ''सिक्किम से निर्यात संभाव्यता'' के उद्घाटन अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री माननीय डॉ. पवन चॉमलिंग द्वारा बैंक का प्रकाशन ''सिक्किम : निर्यात संभाव्यता एवं संभावनाएं'' का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सिक्किम के माननीय सांसद श्री पी.डी. राय भी उपस्थित थे।

तथा शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2009 का पुरस्कार डॉ. देबाशीष मंडल, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, को उनके शोध प्रारूप "इनोवेशन, इमिटेशन एंड नॉर्थ साउथ ट्रेड : इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी" के लिए प्रदान किया गया। डॉ. मंडल ने इंडियन स्टेटिस्टीकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता से वर्ष 2009 में अपना शोध पूरा किया।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आठ प्रासंगिक आलेख नामत: मध्यम एवं लघु उद्यम एवं वैश्वीकरण : भारत तथा चुनिंदा देशों में संस्थागत सहयोग प्रणाली का विश्लेषण; अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त एवं मुद्रा : असमान विकास पर लेख; सिक्किम : निर्यात संभाव्यता तथा संभावनाएं; मिजोरम : निर्यात संभाव्यता एवं संभावनाएं; पुष्पोत्पादन : एक क्षेत्रीय अध्ययन; भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग : विकास के अवसर; भारतीय रत्न एवं आभूषण : एक क्षेत्रीय अध्ययन; तथा एस ए डी सी : भारत के व्यापार एवं निवेश संभाव्यता पर अध्ययन आदि प्रमुख हैं।

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान शृंखला, जिसकी शुरुआत बैंक के कारोबार के प्रारंभ वर्ष 1986 के उपलक्ष्य में की गई थी, को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले सम-सामयिक व्यापार और विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में ख्याति मिली है। अंकटाड के महासचिव डॉ. सुपाचई पैनिचपकड़ी, ने वर्ष 2010 के लिए बैंक का 25वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया। डॉ. पैनिचपकड़ी ने 'आर्थिक अभिशासन का पुनर्निर्माण : संपोषी वृद्धि तथा विकास का एजेंडा' विषय पर अपना व्याख्यान दिया। डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गर्वनर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

जयपुर में आयोजित 'दसवें-कॉमनवेल्थ इंडिया स्मॉल बिजनेस कॉम्पीटिटिवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम' के उद्घाटन अवसर पर माननीय वित्त राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्री नमो नारायण मीणा बैंक के प्रकाशन 'भारतीय आभूषण एवं जवाहरात : एक क्षेत्रीय अध्ययन' का विमोचन करते हुए।

X. मानव संसाधन प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 232 थी, जिसमें ऐसे 184 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, बिजनेस स्कूल, स्नातक, विधि और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, मानव संसाधन विशेषज्ञ एवं कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं। इन विशेषज्ञों की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करता रहता है। वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान 112 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में ऋण समीक्षा तथा प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कार्पोरेट विलयन, ट्रेजरी प्रबंधन, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय मॉडलिंग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, वैश्विक व्यापार वित्त तथा जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं।

XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की गति में तेजी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है:

(i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा), पुणे, ने वर्ष 2008-09 के लिए समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

(ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैंगलोर ने वर्ष 2008-09 के लिए क्षेत्र विशेष स्थित समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के बैंगलोर प्रतिनिधि कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

(iii) रूपाम्बरा, कोलकाता स्थित एक साहित्यिक संस्था द्वारा एक्ज़िम बैंक को सहस्राब्दि राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिन्दी में भी जारी की गई हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं।

बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान लक्ष्य के अनुरूप हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना बैंक में लागू है। कैलेंडर वर्ष 2009 के दौरान योजना को संशोधित किया गया तथा अधिकारियों को हिन्दी पुरस्कार राशि एवं पुरस्कारों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष के दौरान आठ अधिकारियों को हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 14 सितम्बर, 2009 से बैंक में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर स्टाफ़ सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गृहपत्रिका एक्ज़िमिअस का विशेषांक अर्थात् 'राजभाषा विशेषांक' प्रकाशित किया गया। विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा हिन्दी प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी के वृद्धिशील प्रयोग के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय किए गए। बैंक के व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी सूचनाएं एवं समस्त जानकारियाँ व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बैंक के कर्मचारियों के उपयोग संबंधी सहायक एवं संदर्भ साहित्य बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराया गया।

बैंक के परिचालनों एवं प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के अलावा सभी शोध सार एवं चुनिंदा प्रासंगिक आलेखों को हिन्दी में अनूदित किया गया। बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस: एक्सपोर्ट एडवांटेज' का हिन्दी रूपांतरण 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ 'शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज' के सभी अंकों को भी हिन्दी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिन्दी का भी एक खंड है। बैंक के वार्षिक व्याख्यान की पुस्तिका भी हिन्दी में प्रकाशित की गई।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया।

राजभाषा नीति का अनुपालन तथा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जांच-बिंदु बनाए गए हैं। बैंक में हिन्दी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही अंतरालों में आयोजित की गईं।

एक्ज़िम बैंक के ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित तथा महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., मुंबई, द्वारा स्थापित गांबिया में एक ट्रैक्टर असेंबली प्लांट।

XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक की सेवा में कुल 232 कर्मचारियों में 26 अनुसूचित जाति, 19 अनुसूचित जन-जाति और 16 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन स्टाफ़ सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति और जन-जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है। बैंक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (के आई आई टी) यूनिवर्सिटी, उड़ीसा के आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना प्रारंभ किया है।

एशिया प्रशांत की विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा वर्ष 2010 का ट्रेड डेवेलपमेंट अवार्ड एक्ज़िम बैंक को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बैंक के ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम की मान्यता में है जो कि बाजार पहुंच का प्रभावी माध्यम होने के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों के लिए सुरक्षित तथा उत्तरदायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प प्रदान करता है तथा मेजबान देश में आसान ऋण शर्तों पर विकास परियोजनाओं के आयात में सहायक है।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2010 को
एवं
2009-10 का
लाभ और हानि लेखा

एक्ज़िम बैंक के परियोजना निर्यात कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित तथा वोल्टास लिमिटेड, मुंबई द्वारा निष्पादित की जा रही आबूधाबी में सेंट्रल मार्केट रिडेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत टी2 तथा टी3 टावरों की संस्थापना तथा रख-रखाव संबंधी टर्न-की संविदा।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2010 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को) रुपये
1.	पूँजी	I	16,999,918,881	13,999,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	28,315,629,973	24,680,933,487
3.	लाभ और हानि लेखा	III	1,500,300,000	1,157,000,000
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, बाँड एवं डिबेंचर		242,893,652,328	215,786,254,779
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	29,382,680,792	28,190,875,291
7.	उधार राशियाँ	V	132,810,931,842	128,045,705,242
8.	चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		27,584,429,434	26,922,057,452
9.	अन्य देयताएँ		1,958,575,967	3,234,326,152
	योग		**481,446,119,217**	**442,017,017,284**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	22,735,865,100	35,401,225,800
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	2,620,098,700	3,041,619,300
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	61,665,000	68,907,000
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,199,220,000	3,178,720,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	8,713,530,600	9,635,976,100
	योग	**37,330,379,400**	**51,326,448,200**

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	30,753,682,353	46,156,869,070
2.	निवेश	VII	23,610,173,614	21,609,739,830
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	386,106,824,649	335,564,461,890
4.	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र	IX	4,250,000,000	6,000,000,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	907,639,967	884,493,357
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	35,817,798,634	31,801,507,137
	योग		**481,446,119,217**	**442,017,017,284**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पी. आर. दलाल
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

श्री योगेश अग्रवाल

श्री आलोक के. मिश्रा

श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री ओ. पी. भट्ट

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज		20,713,239,772	24,138,272,730
2.	ऋण बीमा , शुल्क एवं प्रभार		231,698,416	246,249,948
3.	स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		176,241,091	123,024,338
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		50,000	30,500
5.	लेखा परीक्षा की फीस		455,000	455,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		76,314,504	71,538,003
7.	संचार विषयक व्यय		20,677,137	17,318,007
8.	विधि विषयक व्यय		19,428,376	11,923,707
9.	अन्य व्यय	XII	627,018,009	255,040,896
10.	मूल्यह्रास		77,643,086	91,270,227
11.	ऋण हानियों / निवेशों पर आकस्मिकताओं, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		215,910,102	3,437,201,526
12.	आगे ले जाया गया लाभ		7,724,024,639	6,101,349,347
	योग		**29,882,700,132**	**34,493,674,229**
	आयकर के लिए प्रावधान		2,589,028,153	2,077,225,602
	[आस्थगित कर वापसी राशि 188,128,153 रुपये (गत वर्ष 704,981,398 रुपये) का निवल]			
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ		5,134,996,486	4,774,123,745
			7,724,024,639	**6,851,349,347**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च, 2010 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं ;

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं ;

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार
एम. सं. 15935

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

सामान्य निधि

आय

आय		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज और बट्टा	XIII	28,560,765,789	31,265,210,395
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस		639,823,936	1,227,259,017
3.	अन्य आय	XIV	682,110,407	2,001,204,817
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		–	–
	योग		**29,882,700,132**	**34,493,674,229**
	लाभ नीचे लाया गया		7,724,024,639	6,101,349,347
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		–	750,000,000
			7,724,024,639	**6,851,349,347**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

नोट : जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पी. आर. दलाल
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

श्री योगेश अग्रवाल

श्री आलोक के. मिश्रा

श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री ओ. पी. भट्ट

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2010 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को)
		रुपये	**रुपये**
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	20,000,000,000	20,000,000,000
	2. निगमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	16,999,918,881	13,999,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित निधियाँ :**		
	1. आरक्षित निधि	21,611,135,164	18,736,438,678
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	1,014,175,745	914,175,745
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	1,220,319,064	1,120,319,064
	4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	4,470,000,000	3,910,000,000
		28,315,629,973	**24,680,933,487**
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	5,134,996,486	4,774,123,745
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	2,874,696,486	2,867,123,745
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	560,000,000	550,000,000
	3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय)	**1,500,300,000**	**1,157,000,000**
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	29,382,680,792	28,190,875,291
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		29,382,680,792	**28,190,875,291**

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	30,000,000,000
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	–
	2. भारत सरकार से	13,333,338	26,666,671
	3. अन्य स्रोतों से :		
	(क) भारत में	47,499,811,030	25,941,626,352
	(ख) भारत के बाहर	85,297,787,474	72,077,412,219
		132,810,931,842	**128,045,705,242**
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
	1. हाथ में नकदी	49,194	123,042
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,542,301	1,998,550
	3. अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	327,305,340	109,595,061
	ii) अन्य जमा खातों में	22,075,800,000	30,885,600,000
	(ख) भारत के बाहर	8,249,014,277	13,959,881,094
	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ सी बी एल ओ के अंतर्गत ऋण	99,971,241	1,199,671,323
		30,753,682,353	**46,156,869,070**
अनुसूची VII :	**निवेश :** **(मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)**		
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	11,371,159,688	7,868,412,950
	2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,380,158,511	1,400,607,192
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	155,065,260	288,130,660
	4. अपरक्राम्य वचन-पत्र, डिबेंचर एवं बाँड	5,200,476,271	8,056,025,292
	5. अन्य	5,503,313,884	3,996,563,736
		23,610,173,614	**21,609,739,830**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची VIII :	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	67,367,385,415	57,626,726,205
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	123,598,700,000	85,002,000,000
	(ख) भारत के बाहर	2,408,124,950	3,269,146,597
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	6,554,791,264	6,224,230,796
	4. अन्य	186,177,823,020	183,442,358,292
		386,106,824,649	**335,564,461,890**
अनुसूची IX :	**भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र :**		
	(क) भारत में	4,250,000,000	6,000,000,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		4,250,000,000	**6,000,000,000**
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :**		
	(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	830,258,870	845,510,926
	2. अन्य	77,381,097	38,982,431
		907,639,967	**884,493,357**
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	क) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	3,771,496,538	3,473,680,918
	ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	1,842,437,391	2,098,286,919
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-		
	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	–	–
	3. विविध पक्षों के पास जमाराशियाँ	26,080,397	25,450,070
	4. प्रदत्त अग्रिम आयकर	13,689,069,715	11,294,785,669
	5. अन्य	16,488,714,593	14,909,303,561
		35,817,798,634	**31,801,507,137**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को)
अनुसूची XII :	**अन्य व्यय :**	**रुपये**	**रुपये**
1.	निर्यात संवर्द्धन व्यय	1,545,719	8,338,732
2.	डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	14,668,780	5,942,680
3.	मरम्मत और रखरखाव	62,306,178	49,116,859
4.	मुद्रण और लेखन सामग्री	13,600,093	11,832,282
5.	अन्य	534,897,239	179,810,343
		627,018,009	**255,040,896**
अनुसूची XIII :	**ब्याज एवं छूट :**		
1.	ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	21,737,637,895	25,227,131,105
2.	निवेशों / बैंक शेष राशियों पर आय	6,823,127,894	6,038,079,290
		28,560,765,789	**31,265,210,395**
अनुसूची XIV :	**अन्य आय :**		
1.	निवेशों की बिक्री / पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	669,728,710	1,351,026,318
2.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	810,669	912,683
3.	अन्य	11,571,028	649,265,816
		682,110,407	**2,001,204,817**

टिप्पणी : 'देयताओं' [अनुसूची IV(क) देखिए] के अंतर्गत 365.82 मिलियन यू एस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ (गत वर्ष 368.50 मिलियन यू एस डॉलर) शामिल है जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/ बाँडों के पेटे रखी गई हैं। आस्तियों [अनुसूची सं. VI 3. (क) (ii) देखिए] के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमाओं में 1,383.06 करोड़ (गत वर्ष 1,475.04 करोड़ रुपये) की रुपया जमा शामिल है जो कि स्वैप्स संव्यवहारों के कारण है। आस्तियों के अंतर्गत [अनुसूची सं. VII 4 देखिए] कुल 295.14 करोड़ रुपये (गत वर्ष 307.02 करोड़ रुपये) की बाँड राशि शामिल है जो स्वैप्स के कारण है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2010 को

देयताएँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को)
		रुपये	रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	94,382,318	84,469,318
5.	लाभ और हानि लेखा	270,567,120	251,318,293
	योग	**493,257,225**	**464,095,398**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2010 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2009 को) रुपये
1.	बैंक शेष		
	(क) चालू खातों में	242,506	242,506
	(ख) अन्य जमा खातों में	393,554,555	362,940,513
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ		
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	i) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	ii) निवेश / बैंक शेष	4,779,143	7,101,215
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	86,175,703	73,648,703
	(ग) अन्य	–	11,657,143
	योग	**493,257,225**	**464,095,398**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पी. आर. दलाल
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

श्री योगेश अग्रवाल

श्री आलोक के. मिश्रा

श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री ओ. पी. भट्ट

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	आगे ले जाया गया लाभ	29,161,827	39,687,513
	योग	**29,161,827**	**39,687,513**
	आयकर के लिए प्रावधान	9,913,000	13,490,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	19,248,827	32,815,513
		29,161,827	**46,305,513**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात संवर्द्धन निधि के संलग्न यथा 31 मार्च, 2010 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्द्धन निधि के लाभ और हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त, लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन एवं साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक के निर्यात संवर्धन निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार
एम. सं. 15935

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

निर्यात संवर्धन निधि

आय		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज और बट्टा		
	(क) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	(ख) निवेश / बैंक शेष	29,161,827	34,648,370
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	5,039,143
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	**29,161,827**	**39,687,513**
	लाभ नीचे लाया गया	29,161,827	39,687,513
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	–	6,618,000
		29,161,827	**46,305,513**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पी. आर. दलाल
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री योगेश अग्रवाल
श्री ओ. पी. भट्ट

श्री आलोक के. मिश्रा

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	राशि (रुपये मिलियन में) इस वर्ष	 गत वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	7,724.0	6,101.3
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(0.8)	(0.9)
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(669.7)	(1,351.0)
– मूल्यह्रास	77.6	91.3
– बट्टे में डाले गए बांड निर्गमों पर बट्टा/व्यय	87.6	162.5
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	—	—
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	215.9	3,437.2
– अन्य-उल्लेख करें	—	—
	7,434.7	8,440.4
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्य आस्तियाँ	(1,897.8)	872.6
– चालू देयताएँ	(3,230.2)	1,375.0
परिचालनों से नकदी निर्माण	**2,306.7**	**10,688.0**
आय कर/ब्याज कर की अदायगी	(2,394.3)	(2,888.0)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**(87.6)**	**7,800.0**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(100.0)	(221.5)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(1,330.7)	1,437.3
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से जुटायी गयी निवल नकदी	**(1,430.7)**	**1,215.8**

सामान्य निधि

	राशि (रुपये मिलियन में)	
	इस वर्ष	गत वर्ष
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से	3,000.0	3,000.0
– लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से	33,064.4	54,859.6
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल) से	(48,792.4)	(53,797.9)
– ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केंद्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(1,157.0)	(1,007.7)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह	**(13,884.9)**	**3,054.0**
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट)	**(15,403.2)**	**12,069.8**
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य	46,156.9	34,087.1
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य	30,753.7	46,156.9

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पी. आर. दलाल
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री ए. वी. मुरलीधरन
श्री योगेश अग्रवाल
श्री ओ. पी. भट्ट
श्री आलोक के. मिश्रा
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

लेखों की टिप्पणियाँ

I महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात संवर्द्धन निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस एफ आई डी. सं. सी 18 / 01.02.00/2000-01, दिनांकित 13 अगस्त, 2005 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात /आंकड़े, 'लेखों की टिप्पणियाँ' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ii) राजस्व निर्धारण

गैर-निष्पादक आस्तियों और 'भार ग्रस्त आस्तियों' पर ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बाँडों पर दिया जाने वाला बट्टा / मोचन प्रीमियम बाँड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होने वाले ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है।

खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियाँ, अवमानक, आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर और बाँड

v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक-पत्र, म्युच्युअल फंड की यूनिटें आदि)

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) अचल आस्तियाँ तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वयं के स्वामित्ववाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(vii) गारंटियाँ

ई सी जी सी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान

बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जिन्हें आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ, यदि कोई हैं, का अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ix) आय पर करों का लेखांकन

(क) चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है जो संबंधित संविधि के अधीन अदायगी योग्य कर पर आधारित है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखत: अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

II लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए इराक में केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत को समनुदेशित 27.88 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 31.50 बिलियन रुपये) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित 30.86 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 34.86 बिलियन रुपये) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आयकर

बैंक की पूँजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूँजी नहीं है। अत: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप लाभांश वितरण कर देय नहीं है साथ ही वाद सं. आई टी ए सं. 2025/ मुंबई /2000 में 18 दिसंबर, 2006 को आई टी ए टी द्वारा पारित निर्णय के आलोक में भी लाभांश वितरण कर देय नहीं है, अत: इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएँ

गारंटियों में 6.70 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 9.69 बिलियन रुपये) की अवधि समाप्त गारंटियाँ शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना बाकी है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'' के रूप में दिखाई गई 3.20 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 3.18 बिलियन रुपये) की राशि अधिकांशत: बैंक के उधारकर्ता/चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावों / प्रतिदावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा गुणवत्ता योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अत: व्यावसायिक सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा / ब्याज दर विनिमय

(i) यथा 31 मार्च, 2010 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से हेजिंग की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एम पी डी.बी सी. 187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर विनिमय, वायदा कर करार तथा मुद्रा - सह- ब्याज दर विनिमय) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदों से बाहर निकलता है तथा पुन: करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति में कैप्चर किया जाता है जिसकी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव्स के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'चालू ऋण जोखिम' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पी वी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों की टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या बट्टे को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा दर संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को 'लाँग डेटेड फॉरेन करेंसी रूपी स्वैप्स' संव्यवहारों के लिए 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है जिससे संबंधित सौदे यह अपने ग्राहकों तथा अन्य के साथ कर सकता है। रुपया डेरीवेटिव के संबंध में 'मार्केट मेकर' की भूमिका हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति मांगी है जो अभी तक प्रतीक्षित है।

(घ) मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया

जाता है। विद्यमान वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित एवं धारित आय इन अंतरणों पर सांकेतिक हानि 0.36 बिलियन रुपये (गत वर्ष (लाभ) 0.26 बिलियन रुपये) है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार-अतिरिक्त सूचना

4. पूँजी

(क)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2010 को	यथा 31 मार्च, 2009 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर)	18.99%	16.77%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मुख्य पूँजी अनुपात	16.94%	14.79%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूँजी अनुपात	2.05%	1.98%

(ख) 'नोट, बाँड और डिबेंचर' में 8% 2022 बाँड शामिल हैं जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये (गत वर्ष 5.59 बिलियन रुपये) का अभिदान किया है। ये बाँड अप्रतिभूतित हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों / जमाओं/गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I पूँजी के लिए पात्र हैं।

(ग) यथा 31 मार्च, 2010 को टीयर-II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : कुछ नहीं (गत वर्ष : कुछ नहीं)

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ-

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2010 को	यथा 31 मार्च, 2009 को
(i) तुलन-पत्र में 'शामिल' मदें	253.35	246.55
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	26.64	31.43

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारित का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त ।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

5. यथा 31 मार्च, 2010 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.20 (गत वर्ष 0.23)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2010 को		यथा 31 मार्च, 2009 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अवमानक आस्तियाँ	0.49	0.13	0.21	0.06
संदिग्ध आस्तियाँ	0.29	0.07	0.58	0.17
हानि आस्तियाँ	—	—	—	—
योग	0.78	0.20	0.79	0.23

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किए गए प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
मानक आस्तियाँ	0.19	3.88
अनर्जक आस्तियाँ	0.62	0.76
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.20	(0.22)
आयकर	2.59	2.08

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के आरंभ में निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.79	0.83
जोड़े : वर्ष के दौरान अनर्जक-आस्तियाँ	0.49	0.44
घटाएं : वर्ष के दौरान वसूलियाँ / कोटि उन्नयन	0.50	0.48
वर्ष की समाप्ति पर निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.78	0.79

(ङ) अनर्जक-आस्तियों (जिसमें ऋण, बाँड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर-कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	3.49	3.75
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.62	0.76
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	0.76	1.02
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	3.35	3.49

(च) प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	85.01%	85.32%

(छ) जमा, अग्रिमों, ऋणों तथा एन पी ए का केन्द्रण

जमा राशियों का संकेन्द्रण

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल राशि	4.90	4.47
बैंक की कुल जमा राशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का प्रतिशत	37.80%	47.65%

ऋणों का संकेन्द्रण :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
20 सबसे बड़े उधारकर्ता ओं का कुल ऋण	66.87	63.62
बैंक की कुल अग्रिमों के इन उधारकर्ताओं के ऋणों का प्रतिशत	16.98	18.44

अग्रिमों की गणना डेरीवेटिव सहित अधिकत मान दंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं. डीबीओडी सं. डीआईआर बीसी15/13.03.00/2009-10 दिनांक 1 जुलाई 2009 में परिभाषित अनुसार की गई है।

ऋणों का संकेन्द्रण (बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
बीस सबसे बड़े उधार कर्ताओं / ग्राहकों को एक्सपोजर	97.21	87.35
बैंक के कुल एक्सपोजर में इन उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	14.35	14.48

एक्सपोजरों की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडीने डी आईआर बीसी 15/13.03.00/ 2009-10 दिनांकित 1 जुलाई 2009 के अंतर्गत निवेश जोखिमों की परिभाषा के अनुसार की गई है।

1) भारत सरकार द्वारा गारंटी किए गए विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ऋणों को भारत सरकार की ओर से दिए गए ऋण माना गया है तथा उन्हें एकल समूह उधारकर्ताओं की श्रेणी में नही माना गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एक उधारकर्ता था जिसे 15% से अधिक पूँजी निधियाँ मंजूर की गई थी जिसकी अनुमति निदेशक मंडल से ले ली गई थी। यथा 31 मार्च 2010 को इस उधारकर्ता को मंजूर बैंक की कुल पूंजी निधियों का 15.49% था।

अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण (बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
शीर्ष वर्ष चार एन पी ए खातों को कुल ऋण	1.48	1.81

I. क्षेत्रवार अनर्जक अस्तियाँ :

(बिलियन रुपये)

क्रम.सं	क्षेत्र	क्षेत्र विशेष में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अस्तियों का प्रतिशत	
		2009-10	2008-09
1.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	—	—
2.	उद्योग (अति लघु तथा लघु, मध्यम तथा बड़े)	2.21*	2.34
3.	सेवाएं	—	—
4.	व्यक्तिगत ऋण	—	—

* इसके अतिरिक्त निर्यात ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत / 0.12 बिलियन रुपये की राशि भी अनर्जक राशि है जो कुल ऋण-व्यवस्था पोर्टफोलियो का 0.15% है।

II. निवल अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	4.28	4.58
वृद्धि		
(i) वर्ष के दौरान (नए एन पी ए)	0.62	0.65
(ii) ब्याज-निधीयन	0.03	0.03
(iii) विनिमय दर घट-बढ़	—	0.07
उपखंड योग (क)	0.65	0.75
घटाएं		
(i) उन्नयन	—	—
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)	0.75	0.04
(iii) बट्टा	—	0.42
(iv) विनिमय दर घट-बढ़	0.05	0.59
उपखंड योग (ख)	0.80	1.05
31 मार्च को सकल एनपीए (क - ख)	4.13	4.28

* डीबीओडी परिपत्र सं. डीबीओडी बीपी बी सं. 46/21.04.048/2009-10 दिनांकित 24 सितंबर, 2009 के अनुलग्नक की मद सं. 2 के अनुसार सकल एन पी ए

III. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक अस्तियाँ तथा राजस्व (बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
कुल आस्तियाँ	—	—
कुल एन पी ए	—	—
कुल राजस्व	—	—

IV. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एस पी वी का नाम	
घरेलू	विदेशी
—	—

(ज) आस्ति पुनर्निर्माण हेतु वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

(बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	2009-10	2008-09
(i)	खातों की संख्या	1	0
(ii)	प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	–	–
(iii)	कुल प्रतिफल	0.62	–
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.11	0.15
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ	0.62	–

''पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों'' को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी ओ डी सं. एफ आई डी.एफ आई सी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 1 जुलाई, 2006 और उसके बाद के दिशा-निर्देशों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(झ) अनर्जक निवेश

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.35	0.29
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	0.05	0.06
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियाँ	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.40	0.35
धारित कुल प्रावधान	0.35	0.30

(ञ) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(बिलियन रुपये)

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	1.23	1.45
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.25	(0.22)
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	–	–
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.18)	–
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	–	–
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	1.30	1.23

(ट) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना

(बिलियन रुपये)

श्रेणी	विवरण	सी डी आर प्रणाली	एस एम ई ऋण प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	7	7	18
	बकाया राशि	1.79	0.96	5.60
	बलिदान राशि (मूल्य में कमी)	0.02	0.01	0.01
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	3
	बकाया राशि	–	–	0.72
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
कुल	खातों की संख्या	7	7	21
	बकाया राशि	1.79	0.96	6.32
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.02	0.01	0.01

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2010 को एक उधारकर्ता का आवेदन ऋण पुनर्संरचना के लिए प्राप्त हुआ जिनके अंतर्गत कुल राशि 0.33 बिलियन रुपये है ।

गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण)

(बिलियन रुपये)

श्रेणी	विवरण	सी डी आर प्रणाली	एस एम ई ऋण प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	6	5	8
	बकाया राशि	1.86	0.33	3.81
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.17	–	0.03
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	1
	बकाया राशि	–	–	0.13
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
कुल	खातों की संख्या	6	5	9
	बकाया राशि	1.86	0.33	3.94
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.17	–	0.03

(ठ) ऋण सहायता :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	15.49	1.07	1.50
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	30.16	2.08	2.92
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	123.77	8.52	11.99
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	149.64	10.30	14.49

* यथा 31 मार्च, 2009 को पूँजी निधियाँ

गत वर्ष :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता (टीसीई)@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	21.11**	1.37	1.86
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	44.47	2.88	3.93
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	132.94	8.61	11.74
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	189.57	12.27	16.75

* यथा 31 मार्च, 2008 को पूँजी निधियाँ

** यू एस डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य अवमूल्यन के कारण यद्यपि वर्ष 2008-09 के दौरान यू एस डॉलर की तुलना में जोखिम में 1.65 मिलियन यू एस डॉलर की कमी हुई है।

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग न की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ + डेरीवेटिव्स के कारण ऋण जोखिम।

1) बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पूँजी निधियों के 15% से अधिक निवेश वाला एक उधारकर्ता था जिसके लिए बोर्ड/प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था। यथा 31 मार्च, 2010 को इस उधारकर्ता को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूँजी निधियों का 15.49% थी।

(ड) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र/परिधान	10.71	8.99
ii) धातु और धातु प्रसंस्करण	13.64	11.45
iii) पेट्रोलियम/पेट्रो रसायन	9.51	7.98
iv) रसायन एवं रंजक	7.72	6.48
v) इंजीनियरी माल	6.43	5.40

गत वर्ष :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र/परिधान	13.07	11.60
ii) धातु और धातु प्रसंस्करण	9.66	8.57
iii) रसायन एवं रंजक	8.47	7.51
iv) औषध एवं औषधियां	7.46	6.62
v) इंजीनियरी माल	6.82	6.05

'ऋण सहायता' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
बैंकों को ऋण सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं की ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता-ऋण को, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ढ) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	"निवेश कोटि से कम स्तर" की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	–	–	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएँ	3.19	2.95	–	0.24	3.19**
3	बैंक	0.25	0.15	–	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	3.91	3.14	–	3.51	2.70*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.0026	–	–	0.0026	0.0026
6	अन्य	5.50	–	–	0.0025	0.0025
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.67	–	–	–	–
	कुल	12.91	6.24	–	3.91	6.04

प्रावधान की गई कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से 1.96 बिलियन रुपये ए आर सी आई एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश तथा 0.66 बिलियन रुपये ऋण की राशि पुनर्संरचना के कारण अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश की गई हैं।

** जिनमें से 2.95 बिलियन रुपये की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त हुई।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	''निवेश कोटि से कम स्तर'' की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	–	–	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएँ	3.31	3.07	–	0.24	3.31**
3	बैंक	0.25	0.15	–	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	6.84	6.03	–	3.99	3.16*
5	अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम	0.0026	–	–	0.0026	0.0026
6	अन्य	3.99	–	–	–	–
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.70	–	–	–	–
	कुल	14.44	9.25	–	4.38	6.62

\# किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से 2.32 बिलियन रुपये ए आर सी आई एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश तथा 0.76 बिलियन रुपये ऋण की राशि पुनर्संरचना के कारण अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश की गई हैं।

** जिनमें से 3.07 बिलियन रुपये की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त है।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

6. चल निधि

(क) रुपया आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप।

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	189.04	116.46	52.90	42.48	34.02	434.90
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	95.17	63.23	52.23	25.96	38.66	275.25
कुल आस्तियाँ	284.21	179.69	105.13	68.44	72.68	710.15
रुपया देयताएँ	175.09	105.82	34.46	13.49	61.93	390.79
विदेशी मुद्रा देयताएँ	94.39	62.99	51.96	25.85	37.80	272.99
कुल देयताएँ	269.48	168.81	86.42	39.34	99.73	663.78

गत वर्ष : (बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	169.85	68.64	86.03	26.91	32.30	383.73
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	99.02	61.27	61.83	18.37	53.51	294.00
कुल आस्तियाँ	268.87	129.91	147.86	45.28	85.81	677.73
रुपया देयताएँ	166.03	58.32	63.83	10.01	61.17	359.36
विदेशी मुद्रा देयताएँ	97.83	61.00	61.60	18.30	53.15	291.88
कुल देयताएँ	263.86	119.32	125.43	28.31	114.32	651.24

आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित यथा 31 दिसंबर, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आई डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-सूमहों में किया गया है।

(ग) रेपो लेन-देन : (बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2010 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—

गत वर्ष : (बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2009 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	13.26	2.03	—

7. भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई, 2008 के दिशा-निर्देश और उसके बाद के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरीवेटिव में जोखिमों प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यत: अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओ टी सी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरीवेटिव आदि का ही उपयोग करता है।

2. डेरीवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दरों / विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि (ii) ऋण जोखिम अर्थात् प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरीवेटिव नीति लागू है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप डेरीवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपेन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्रीसेटलमेंट जोखिम सीमाएँ पी वी 01 सीमाएँ आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) बैंक के मिड ऑफिस जो डेरीवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देख-रेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2010 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरीवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से लिया गया है तथा आस्ति-देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप शामिल नहीं हैं जो कि डेरीवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है।

ख) मात्रात्मक प्रकटन

(बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2008-09	
		मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव	मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव
1	डेरीवेटिव (सांकेतिक मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	93.95	25.41	110.86	18.47
	ख) ट्रेडिंग के लिए	—	—	—	—
2	मार्क-टू-मार्केट स्थितियाँ				
	क) आस्ति (+)	15.69	0.10	11.01	0.23
	ख) देयता (-)	—	—	—	—
3	ऋण सहायता	19.22	0.23	16.90	0.27
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पी वी 01)				
	क) हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.74	0.95	1.00	0.16
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	—	—	—	—
5	वर्ष के दौरान 100*पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	1.01	0.99	1.02	0.29
	(ii) न्यूनतम	0.74	0.11	0.84	0.16
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	—	—	—	—
	(ii) न्यूनतम	—	—	—	—

(ग) एक्सचेंजों में व्यापार किए गए ब्याज डेरीवेटिव के संबंध में प्रकटन

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि (लिखत-अनुसार)	—
2.	यथा 31 मार्च, 2010 को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत-अनुसार)	—
3.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-अनुसार)	—
4.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-अनुसार)	—

(घ) वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप पर प्रकटीकरण (बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2008-09	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वैप करारों का मूल सांकेतिक मूल्य	25.4056	—	18.4744	—
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.0761	—	0.0156	—
3.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—
4.	स्वैप बही का सही मूल्य	0.0957	—	0.2336	—

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्ति-देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

8. परिचालनात्मक परिणाम

क्रम सं.	विवरण	2009-10	2008-09
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.37	7.75
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.80	0.80
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन-लाभ	1.75	2.36
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.13	1.18
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ (मिलियन रुपये)	22.13	20.58

- परिचालनात्मक परिणामों के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। ('कार्यशील निधियाँ' कुल आस्तियों से संबंधित हैं)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है।

9. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2009 को लागत	1.30	0.41	1.71
परिवर्द्धन	0.02	0.08	0.10
निपटान	0.00	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2010 को लागत (क)	1.32	0.47	1.79
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2009 को संचित	0.45	0.37	0.82
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.06	0.04	0.10
निपटान पर समाप्त	0.02	0.01	0.03
यथा 31 मार्च, 2010 को संचित (ख)	0.49	0.40	0.89
निवल ब्लॉक (क-ख)	0.83	0.07	0.90

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2008 को लागत	1.11	0.39	1.50
परिवर्द्धन	0.19	0.03	0.22
निपटान	0.00	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2009 को लागत (क)	1.30	0.41	1.71
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2008 को संचित	0.39	0.35	0.74
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.06	0.03	0.09
निपटान पर समाप्त	0.00	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2009 को संचित (ख)	0.45	0.37	0.82
निवल ब्लॉक (क-ख)	0.85	0.04	0.89

10. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

11. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-17 के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य कोई खंड नहीं हैं क्योंकि, बैंक के परिचालनों में प्रमुखत: एक खंड अर्थात थोक वित्तीय कार्यकलाप ही शामिल हैं।

12. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटन किया गया है :

- संबंध

  (i) संयुक्त उद्यम :

  – ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड (जी पी सी एल)

  (ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

  – श्री टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन, (अध्यक्ष, जी पी सी एल) (24 जून, 2009 तक)
  – श्री एन. शंकर (एक्ज़िम बैंक के नामिती निदेशक) (25 जून, 2009 से)

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(मिलियन रुपये)

विवरण	संयुक्त उद्यम 2009-10	संयुक्त उद्यम 2008-09
मंजूर ऋण	—	—
जारी गारंटियाँ	1.69	3.36
प्राप्त ब्याज	—	—
प्राप्त गारंटी कमीशन	0.01	0.02
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	—	—
स्वीकार की गई जमा राशियाँ	5.07	7.06
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.30	0.45
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशि	—	—

वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां : 2.20 मिलियन रुपये (गत वर्ष 4.24 मिलियन रुपये)

वर्ष के दौरान बकाया निवेश राशि : 2.60 मिलियन रुपये (गत वर्ष 2.60 मिलियन रुपये)

वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम गारंटियां : 5.66 मिलियन (गत वर्ष 4.24 मिलियन रुपये)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक का यथा 29 मार्च, 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बी सी. 89 / 21.04.018 / 2002-03 ऐसे लेन-देनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है, जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात प्रमुख प्रबंध कार्मिक) है।

13. आय पर कर का लेखांकन

(क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण :

	(मिलियन रुपये)
(i) आय पर कर	2400.95
(ii) जोड़ें : निवल आस्थगित कर आस्तियां	188.12
	2589.07

(ख) आस्थगित कर आस्ति :

प्रमुख मदों के संदर्भ में आस्थगित कर देयताओं तथा आस्तियों का संगठन नीचे दिया गया है :

विवरण	(मिलियन रुपये) यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर आस्तियाँ	
1. अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	1823.70
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	27.35
घटाएँ : आस्थगित कर देयताएँ	1851.05
1. बाँड निर्गम खर्च का परिशोधन	101.65
2. धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	1441.88
	1543.53
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ [तुलन-पत्र के 'आस्तियाँ' पक्ष में 'अन्य आस्तियों' में शामिल]	307.52

14. संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था	देश	धारिता का प्रतिशत	
		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड	भारत	26%	26%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं और आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है :

(मिलियन रुपये)

देयताएँ	2009-10	2008-09	आस्तियाँ	2009-10	2008-09
पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	11.75	10.46	अचल आस्तियाँ	0.31	0.28
ऋण	0.00	0.00	निवेश	6.10	4.87
अन्य देयताएँ	0.85	4.91	अन्य आस्तियाँ	6.19	10.22
कुल	12.60	15.37	कुल	12.60	15.37

आकस्मिक देयताएँ : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

(मिलियन रुपये)

व्यय	2009-10	2008-09	आय	2009-10	2008-09
अन्य व्यय	7.23	6.77	परामर्शी आय	9.51	8.78
प्रावधान	0.99	1.22	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.77	0.88
			अन्य आय	0.00	0.01
			प्रतिलेखित की गई आस्थगित कर देयता	0.00	0.00
कुल	8.22	7.99	कुल	10.28	9.67

15. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियाँ वित्तीय आस्तियाँ हैं जिन पर 'आस्तियों के अनर्जन' संबंधी लेखामानक-28 लागू नहीं होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च, 2010 को आस्तियों का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

16. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संगठन द्वारा कर्मचारी लाभों पर, यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखामानक-15 (आर) को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) बैंक के तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(मिलियन रुपये)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
निधिक देयताओं का वर्तमान मूल्य	171.21	34.90
आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	161.88	37.65
गैर-निधिक देयताओं का सही मूल्य	—	—
हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	—	—
आस्ति के रूप में हिसाब में न ली गई राशि	—	—
निवल देयता	9.33	(2.75)

ख) बैंक के लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(मिलियन रुपये)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	11.03	3.71
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज	12.69	3.09
आयोजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	(10.36)	(2.69)
वर्ष के दौरान निवल उपचय गत हानि/(लाभ)	(13.49)	(5.87)
विगत सेवा लागत - गैर निजी लाभ निधि	—	—
विगत सेवा लाभ - निजी लाभ हिसाब में लिया गया	—	—
कुल ''कर्मचारी लाभ खर्च'' में शामिल	(0.12)	(1.77)
नियोक्ता द्वारा योगदान	3.92	—

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
बट्टा ब्याज (प्रति वर्ष)	8.25%	8.25%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2009-2010 के लिए निधिक देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि के लिए तुलन-पत्र में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के लिए 26.74 मिलियन रुपये का प्रावधान किया है, तदनुसार छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ देयता 1.2 मिलियन रुपये हो गई है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 1.61 मिलियन रुपये की राशि का योगदान कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि खाते में किया गया है।

17. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पी. आर. दलाल
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

श्री योगेश अग्रवाल

श्री आलोक के. मिश्रा

श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री ओ. पी. भट्ट

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 101048डब्ल्यू

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2010

संगठन संरचना

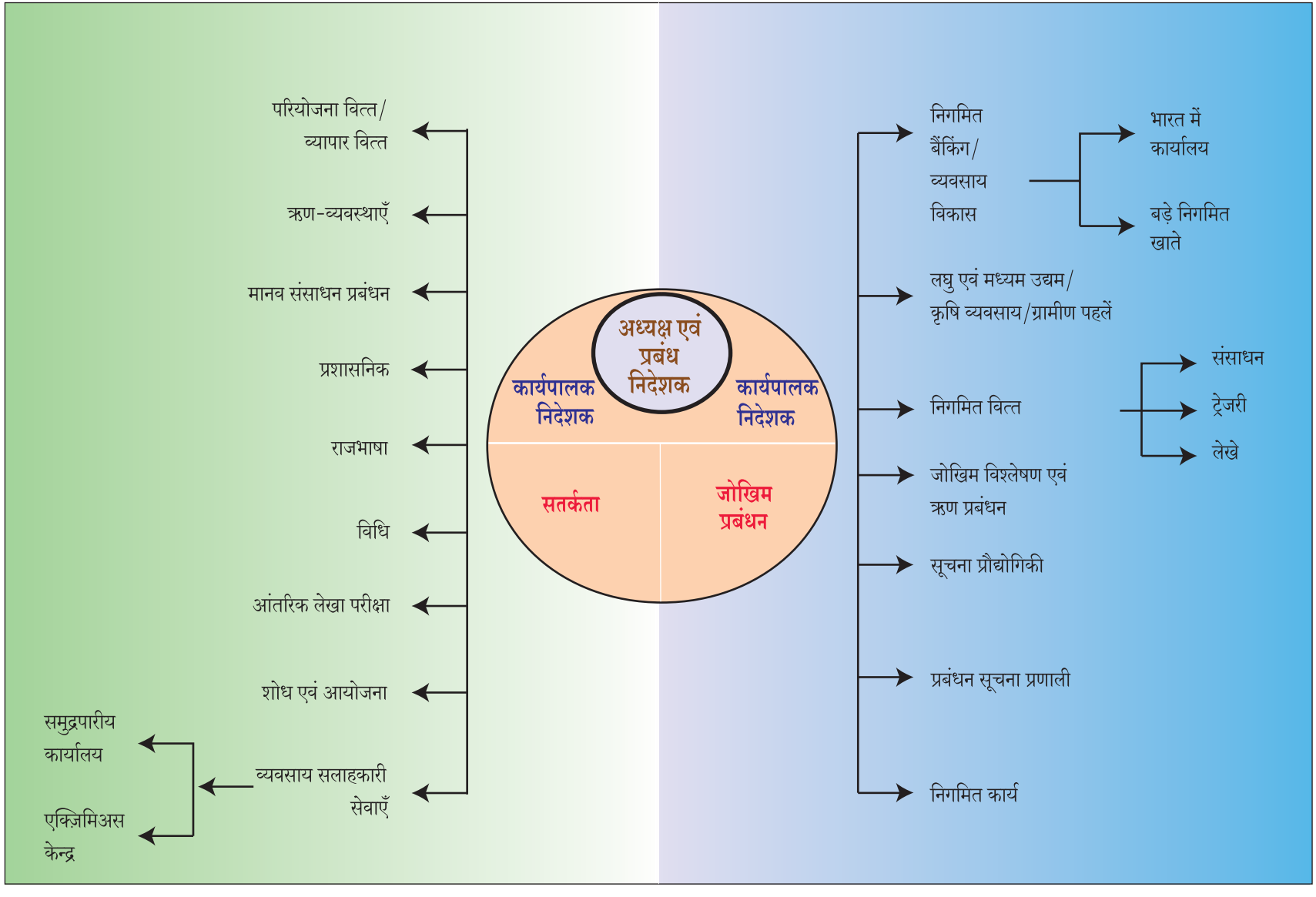
परियोजना वित्त/
व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएँ
मानव संसाधन प्रबंधन
प्रशासनिक
राजभाषा
विधि
आंतरिक लेखा परीक्षा
शोध एवं आयोजना
व्यवसाय सलाहकारी
सेवाएँ
समुद्रपारीय
कार्यालय
एक्ज़िमिअस
केन्द्र
अध्यक्ष एवं
प्रबंध
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
सतर्कता
जोखिम
प्रबंधन
निगमित
बैंकिंग/
व्यवसाय
विकास
भारत में
कार्यालय
बड़े निगमित
खाते
लघु एवं मध्यम उद्यम/
कृषि व्यवसाय/ग्रामीण पहलें
निगमित वित्त
संसाधन
ट्रेजरी
लेखे
जोखिम विश्लेषण एवं
ऋण प्रबंधन
सूचना प्रौद्योगिकी
प्रबंधन सूचना प्रणाली
निगमित कार्य

एक्ज़िम बैंक का प्रमुख संसाधन : इसकी मानव पूँजी
Exim Bank's Key Resource: Its Human Capital

प्रबंधन दल / Management Team

बाँए से बैठे हुए:
डेविड रस्कीना, मुख्य महाप्रबंधक
के. मुत्थुकुमारन, मुख्य महाप्रबंधक
सुनील त्रिखा, मुख्य महाप्रबंधक
एन. शंकर, कार्यपालक निदेशक
टी. सी. ए. रंगनाथन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
प्रभाकर दलाल, कार्यपालक निदेशक
आर. डब्ल्यू. खन्ना, मुख्य महाप्रबंधक
जॉन मैथ्यू, मुख्य महाप्रबंधक
सी. पी. रवींद्रनाथ, मुख्य महाप्रबंधक

Sitting from left:
David Rasquinha, Chief General Manager
K. Muthukumaran, Chief General Manager
Sunil Trikha, Chief General Manager
N. Shankar, Executive Director
T. C. A. Ranganathan, Chairman & Managing Director
Prabhakar Dalal, Executive Director
R.W. Khanna, Chief General Manager
John Mathew, Chief General Manager
C. P. Ravindranath, Chief General Manager

बाँए से खड़े हुए:
नदीम पंजेतन, महाप्रबंधक
सैम्युअल जोसेफ, महाप्रबंधक
टी. वी. राव, महाप्रबंधक
डेविड सिनाटे, महाप्रबंधक
दया चंद्रहास, महाप्रबंधक
सुनीता सिंदवानी, महाप्रबंधक
संगीता शर्मा, महाप्रबंधक
मुकुल सरकार, महाप्रबंधक
एस. श्रीनिवास, महाप्रबंधक
प्रह्लादन एस. अय्यर, महाप्रबंधक

Standing from left:
Nadeem Panjetan, General Manager
Samuel Joseph, General Manager
T. V. Rao, General Manager
David Sinate, General Manager
Daya Chandrahas, General Manager
Sunita Sindwani, General Manager
Sangeeta Sharma, General Manager
Mukul Sarkar, General Manager
S. Srinivas, General Manager
Prahalathan S. Iyer, General Manager

क्षेत्रीय प्रमुख

Regional Heads

भारत स्थित कार्यालय

Indian Offices

अहमदाबाद
विवेक अग्रवाल
Ahmedabad
Vivek Agrawal

बैंगलोर
रविदास प्यागे
Bangalore
Ravidas Pyage

चंडीगढ़
संजीव पवार
Chandigarh
Sanjeev Pawar

चेन्नै
टी. डी. सिवाकुमार
Chennai
T. D. Sivakumar

गुवाहाटी
शॉनली लिटिंग
Guwahati
Shonly Litting

हैदराबाद
एम. श्रीनिवास राव
Hyderabad
M. Srinivasa Rao

कोलकाता
सौमार सोनोवाल
Kolkata
Saumar Sonowal

मुंबई
निर्मित वेद
Mumbai
Nirmit Ved

नई दिल्ली
श्रीराम सुब्रमणियम
New Delhi
Sriram Subramaniam

पुणे
लोकेश कुमार
Pune
Lokesh Kumar

विदेश स्थित कार्यालय

Overseas Offices

डकार
ओ'नील राणे
Dakar
O'Neil Rane

दुबई
रिकेश चंद
Dubai
Rikesh Chand

डर्बन
विनोद गोयल
Durban
Vinod Goel

लंदन
गौरव भंडारी
London
Gaurav Bhandari

सिंगापुर
दीपाली अग्रवाल
Singapore
Deepali Agrawal

वॉशिंग्टन डी. सी.
तरुण शर्मा
Washington D. C.
Tarun Sharma

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्द्धन करना है। यह प्रतीक चिन्ह इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिन्ह का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबंधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिन्ह निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this.The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना " देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है..."

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981.

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

मुख्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (022) 22172600 फैक्स: (022) 22182572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in वेबसाइट : www.eximbankindia.in

HEADQUARTERS

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (022) 22172600 Fax: (022) 22182572
E-Mail : cag@eximbankindia.in Website : www.eximbankindia.in

कार्यालय OFFICES

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II,पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन : (91 79) 26576852/43
फैक्स : (91 79) 26577696
ई-मेल : eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बैंगलूर 560 001.
फोन : (91 80) 25585755/25589101-04
फैक्स : (91 80) 25589107
ई-मेल : eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
पीएचडी हाउस, प्रथम तल,
सेक्टर 31 - ए, दक्षिण मार्ग,चंडीगढ़ 160 031
फोन : (91 172) 2641910/12/39/49
फैक्स : (91 172) 2641915
ई-मेल : eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
यू टी आई हाउस,पहली मंज़िल,
29,राजाजी साल्वै, चेन्नै 600 001.
फोन : (91 44) 25224714/49
फैक्स : (91 44) 25224082
ई-मेल : eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
चौथी मंज़िल, सन्मति प्लाजा,
सेंटिनेल बिल्डिंग के पास,
जी.एस. रोड, गुवाहाटी 781 005.
फोन : (91 361) 2462951 / 2450618
फैक्स : (91 361) 2462925
ई-मेल : eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन : (91 40) 23307816-21
फैक्स : (91 40) 23317843
ई-मेल : eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
चौथी मंज़िल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
टेली. : (91 33) 22833419/22833420
फैक्स : (91 33) 22891727
ई-मेल : eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल,
222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन : (91 22) 22823320/92/94
फैक्स : (91 22) 22022132
ई-मेल : eximwrro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
तल मंज़िल, स्टेट्समैन हाउस,
148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001.
फोन : (91 11) 23326625/6254
फैक्स : (91 11) 23322758/23321719
ई-मेल : eximndro@eximbankindia.in

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
फोन : (91 20) 26403000
फैक्स : (91 20) 26458846
ई-मेल : eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थिति कार्यालय

डकार
पहली मंज़िल, 7, रूए फेलिक्स फाउरे,
बी. पी. 50666, डकार, सेनेगल
फोन : (221 33) 8232849
फैक्स : (221 33) 8232853
ई-मेल : eximdakar@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंसियल सेंटर,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यू ए ई
फोन : (97 14) 3637462
फैक्स : (97 14) 3637461
ई-मेल : eximdubai@eximbankindia.in

डर्बन
सुइट 177, एल्ड्रोवांडे पैलेस,
6, जुबिली ग्रोव, उम्हॉलांगा,रॉक्स, 4320,
डर्बन, दक्षिण अफ्रीका
फोन : (27 31) 5846118 / 19
फैक्स : (27 31) 5846117
ई-मेल : eximdurban@eximbankindia.in

लंदन
88/90, टेम्पल चेंबर्स, 3-7, टेम्पल एवेन्यु,
लंदन इ सी 4 वाय ओ एच पी, यूनाइटेड किंगडम,
फोन : (44 20) 73538830
फैक्स : (44 20) 20 73538831
ई-मेल : eximlondon@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर,
सिंगापोर 049319.
फोन : (65) 65326464
फैक्स : (65) 65352131
ई-मेल : eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूट 1202, वाशिंग्टन डी. सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन : (1 202) 2233238
फैक्स : (1 202) 7858487
ई-मेल : eximwashington@eximbankindia.in

INDIAN OFFICES

Ahmedabad
Sakar II, Floor 1,
Next to Ellisbridge Shopping
Centre, Ellisbridge P.O.,
Ahmedabad 380 006.
Phone : (91 79) 26576852/43
Fax : (91 79) 26577696
E-mail : eximahro@eximbankindia.in

Bangalore
Ramanashree Arcade, Floor 4,
18, M. G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (91 80) 25585755/25589101-04
Fax : (91 80) 25589107
E-mail : eximbro@eximbankindia.in

Chandigarh
PHD House, Floor 1, Sector 31-A,
Dakshin Marg, Chandigarh 160 031
Phone : (91 172) 2641910/12/39/49
Fax : (91 172) 2641915
E-mail : eximcro@eximbankindia.in

Chennai
UTI House, Floor 1,
29, Rajaji Salai, Chennai 600 001.
Phone : (91 44) 25224714/49
Fax : (91 44) 25224082
E-mail : eximchro@eximbankindia.in

Guwahati
Sanmati Plaza, Floor 4,
Near Sentinel Building,
G. S. Road, Guwahati 781 005.
Phone : (91 361) 2462951/2450618
Fax : (91 361) 2462925
E-mail : eximgro@eximbankindia.in

Hyderabad
Golden Edifice, Floor 2,
6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad 500 004.
Phone : (91 40) 23307816-21
Fax : (91 40) 23317843
E-mail : eximhro@eximbankindia.in

Kolkata
Vanijya Bhawan Floor 4,
(International Trade Facilitation Centre),
1/1 Wood Street, Kolkata 700 016.
Tel : (91 33) 22833419/22833420
Fax : (91 33) 22891727
E-mail : eximkro@eximbankindia.in

Mumbai
Maker Chambers IV, Floor 8,
222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Phone : (91 22) 22823320/92/94
Fax : (91 22) 22022132
E-mail : eximwrro@eximbankindia.in

New Delhi
Statesman House, Ground Floor,
148, Barakhamba Road,
New Delhi 110 001.
Phone : (91 11) 23326625/6254
Fax : (91 11) 23322758/23321719
E-mail : eximndro@eximbankindia.in

Pune
44, Shankarseth Road,
Pune 411 037.
Phone : (91 20) 26403000
Fax : (91 20) 26458846
E-mail : eximpro@eximbankindia.in

OVERSEAS OFFICES

Dakar
Floor 1, 7, rue Félix Faure, B.P. 50666,
Dakar, Senegal.
Phone : (221 33) 8232849
Fax : (221 33) 8232853
E-mail : eximdakar@eximbankindia.in

Dubai
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct
Building No.3, Dubai International
Financial Centre,
PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Phone : (97 14) 3637462
Fax : (97 14) 3637461
E-mail : eximdubai@eximbankindia.in

Durban
Suite 117, Aldrovande Palace,
6, Jubilee Grove, Umhlanga Rocks,
4320, Durban, South Africa.
Phone : (27 31) 5846118/19
Fax : (27 31) 5846117
E-mail : eximdurban@eximbankindia.in

London
88/90, Temple Chambers,
3-7, Temple Avenue,
London EC4Y OHP, United Kingdom.
Phone : (44 20) 73538830
Fax : (44 20) 73538831
E-mail : eximlondon@eximbankindia.in

Singapore
20, Collyer Quay, # 10-02,
Tung Centre, Singapore 049319.
Phone : (65) 65326464
Fax : (65) 65352131
E-mail : eximsingapore@eximbankindia.in

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW,
Suite 1202, Washington D.C. 20006,
U.S.A.
Phone : (1 202) 2233238
Fax : (1 202) 7858487
E-mail : eximwashington@eximbankindia.in

संयुक्त उद्यम • ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टैंट्स लि., मुंबई, वेबसाट : www.gpcl.in

Joint Venture • Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai, Website: www.gpcl.in

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

भारत की प्रमुख निर्यात वित्त संस्था

India's Premier Export Finance Institution

www.eximbankindia.in